

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली



१२९३

क्रम संख्या

कानून नं.

स्थगित

रत्नचन्द्र मूणोत सृष्टि प्रथ-माला—१

३५६६९

समाज और जीवन

[समाज और जीवन की धार्मिक तथा आर्थिक समस्याओं को स्पर्श करने वाले लेखों का संग्रह]



सम्पादक

जमनालाल जैन, लाहिय-रत्न


भारत जैन महामण्डल

१९५०

प्रकाशक :

मूलचन्द्र बड़जाते
सहायक मंत्री,
भारत जैन महामण्डल वर्षा

प्रथम संस्करण : ३०००



मूल्य : एक रुपया

मुद्रक :

जमनालाल जैन
व्यवस्थापक
श्रीकृष्ण प्रिंटिंग वर्स, वर्षा

अपनी ओर से

‘समाज और जीवन’ पुस्तक पाठकों के हाथों में है। पाठक देखेंगे कि जीवन की और समाज की जो समस्याएं हमारा ध्यान आकर्षित कर रही हैं या जिनका धुंधला-स्पष्ट-अस्पष्ट चित्र हमारे सामने रहता है उनकी चर्चा इसके लेखों में आई है। लेखकों में विशेष कर बै ही हैं जिनका समाज और जीवन की समस्याओं के चिन्तन से गहरा सम्बन्ध रहा है। मैं समझता हूँ, ये लेख पाठकों को प्रभाव आएंगे और चिन्तन का मौका भी देंगे।

अधिकतर लेख जैनजगत के पिछले अंकों से ही संकलित किए गए हैं। कुछ लेखों में पुनः संशोधन करना पड़ा है। विनोबाजी का ‘वैश्यों का धर्म’ शांति-यात्रा से लिया गया है। सम्पादक उन सब लेखकों के प्रति कृतज्ञ है जिनके लेखों का उपयोग किया गया है और उन्होंने अपनी अनुमति प्रदान कर उत्साह बढ़ाया है।

पुस्तक का प्रकाशन भारत जैन महामण्डल द्वारा संचालित ‘श्री रत्नचंद्र मूणोत ग्रन्थमाला’ की ओर से हो रहा है। यह उसका प्रथम पुष्ट है।

भारत जैन महामण्डल असाम्प्रदायिक संस्था है और सब धर्मों के प्रति समन्वय साधना उसका ध्येय है—फिर भी विशेष रूप में वह श्रमण संस्कृति की समस्याओं को अधिक धृती है। इस संग्रह के अधिकतर लेख श्रमण-संस्कृति से ही सम्बंधित हैं।

आदरणीय डा० हीरालालजी जैन, प्रोफेसर नागपुर महाविद्यालय का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इस पुस्तक के लिए महत्वपूर्ण भूमिका लिख देने की कृपा की है।

भाई ए० बी० नन्दनवार ने मुख-चित्र बनाया है। निकटता में धन्यवाद भेद को पैदा करने वाला हो जाता है। वह कला का उपासक है और स्नेह उसका हार्दिक है। उसकी कला उत्तरोत्तर प्रगति पर है, यह उसकी रुचिका प्रमाण है।

संपादन और मुद्रण की जिम्मेदारी मेरी ही रही है—और इस कारण त्रुटियों का उत्तरदायित्व मेरा ही हो जाता है। अशुद्धियों के लिए पाठकों से क्षमा प्रार्थी हूँ।

अगर पाठकों का सहयोग मिला तो ऐसे ही दूसरे प्रकाशन भी पाठकों को भेट किए जावेंगे।

एक बात और। महामण्डल के प्रकाशन व्यापार की दृष्टि से नहीं, विचार-जाग्रति की दृष्टि से ही किए जाते हैं और इसीलिए कीमत भी कम-से-कम रखने का प्रयत्न रहता है।

वर्धा,

—जमनालाल जैन

२५ दिसम्बर ५०

अ नु क्र मणि का

आभार	प्रकाशक
आरम्भिक —	
१. सुख और शान्ति :	प्र. भगवानदीनजी १.
२. श्रमणों की समस्या :	भद्रन्त आनन्द कौसल्यायन २२.
३. कर्तव्य और अधिकार :	म- भगवानदीनजी ३०.
४. वैश्यों का धर्म :	आचार्य विनोबा ३७.
५. संस्कारों का पागलपन :	राजमल ललवानी ४१.
६. सार्वजनिक कार्य और धन :	रिषभदास रांका ४८.
७. निष्क्रिय वैराग्य :	जमनालाल जैन ५६.
८. यह असमता क्यों :	म. भगवानदीनजी ६८.
९. व्यक्ति का पुनर्निर्माण :	भद्रन्त आनन्द कौसल्यायन ८२.
१०. इन भूतनि मोहि नाच न चायो :	राजमल ललवानी ८७.
११. समाज-सेवा (१) :	रिषभदास रांका ९१.
१२. समाज-सेवा (२) :	रिषभदास रांका १००.
१३. व्यापार और अहिंसा :	जमनालाल जैन १०९.

आ भा र

प्रस्तुत पुस्तक 'श्री रतनचन्द्र मूणोत ग्रन्थ-माला' की ओर से प्रकाशित हो रही है। श्री रतनचन्द्रजी का स्वर्गवास अभी-अभी हुआ है। आप राखेगांव (यवतमाल) में रहते थे। शुरू से ही आपके विचार सर्व धर्म सम्बन्ध के रहे हैं। स्थानकवासी सम्प्रदाय के होनेपर भी न केवल जैन ही बल्कि बैज्ञानिक मन्दिरों आदि में भी वे आवाजाया करते थे और विधि-नियमों में रस लेते थे। वे एक धार्मिक टस्ट भी स्थापित करना चाहते थे। यही वृत्ति उनके सुपुत्र श्री हीराचन्द्रजी में पाई जाती है। उस दिन उन्होंने सहज-भाव से कहा कि वे उन्हीं पुस्तकों को रुचि पूर्वक पढ़ते हैं जिनमें किसी एक धर्म की प्रशंसा और दूसरे लब की निंदा न हो या फिर धर्म की अजौकिक बाँटें न हो जो धर्म जीवन को स्पर्श नहीं करता उसे वे धर्म नहीं मानते। यह एक बहुत बड़ी बात है और इसका महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब ग्रामीण वातावरण में रहकर ऐसे विचार सुनने को मिलते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब हम मानव-समाज के साथ ब्रिना जाति और धर्म के व्यायामिक सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं तब हमें उस अलगाव की क्या जरूरत है जो जीवन से भिन्न पड़ जाने वाले धर्म द्वारा पाला-पोसा जाता है।

महामण्डल की नीति और जैनजगत से वे हसीं कारण प्रभावित हैं और इसी कारण उन्होंने अपने स्व० पिताश्री की स्मृति में १००१ रुपया प्रदान कर यह पुस्तक प्रकाशित करने को प्रेरित किया।

आपके यहां कृषि और साहूकारी का काम-काज होता है।

हीराचन्द्रजी में सौबन्ध, सद्भावना और मिळन-सारिता के काफी गुण हैं।

महामण्डल इस सहायता के लिए उनका अभिनन्दन करता है।

हमारी अभिलाषा है कि ब्रिस सद्भावना से यह ग्रन्थमाला शुरू हुई है उसमें से अच्छी-अच्छी सर्वजनोपयोगी पुस्तकें प्रकाशित हों और श्री हीराचन्द्रजी को समाधान हो कि उनकी सद्भावना सार्थक हो रही है और उनके दान का सदुपयोग हो रहा है।



स्व० श्री रत्नचंदजी मूणोत

आरम्भिक

मनुष्य है तो एक जीवमात्र ही, जैसे अन्य पशु-पक्षी हैं; किन्तु उस में कुछ प्रवृत्तियाँ ऐसी विकसित हो गई हैं जिनके कारण वह अन्य सभा प्राणियों की अपेक्षा अधिक हो गया है। वे प्रवृत्तियाँ मुख्यतः तीन हैं:— ज्ञान, नीति और कला। मनुष्य अपने को व अपने आसपास की सुष्टुप्ति को जानना समझना चाहता है, तथा इस जानकारी में वह केवल अपनी आंख, कान आदि ज्ञानेन्द्रियों से ही काम नहीं लेता, किन्तु मानसिक चिन्तन भी करता है, जिस में वह अपनी बुद्धि द्वारा युक्ति और तर्क से भी काम लेता है। वह कार्य-कारण का संबंध भी जानना चाहता है, और इस के लिये प्रयोग भी करता है तथा अनुमान भी लगाता है। इस प्रकार वह अपनी समझदारी को उत्तरोत्तर बढ़ाता जाता है। यही नहीं, उसने अपने इस ज्ञान का प्रचार और विस्तार करने के लिये समुचित साधन भी खूब जुटा लिये हैं। भाषा द्वारा एक मनुष्य अपना ज्ञान दूसरों को भी दे सकता है व ग्रंथों द्वारा वह इस ज्ञान का अपने दूरवर्ती बन्धुओं तथा भविष्य की सन्तान के लिये भी संरक्षण कर लेता है। यह ज्ञान-शीलता व विवेक मनुष्य के सिवाय अन्य जीवों में नहीं पाई जाती। इसी के बल से मनुष्य ने दर्शन व विज्ञान की उच्चति की है।

नीतिका विचार मनुष्य की, दूसरी विशेषता है। अपने हित व अहित संबंधी नैतिक प्रवृत्ति तो पशुओं आदि में भी पाई जाती है, किन्तु बुरे और भले, पाप व पुण्य, सत् और असत् का विचार मनुष्य की ही विशेषता है, जिस के ही फलस्वरूप धर्म, सदाचार व राजनीति आदि का विकास हुआ है।

उसी प्रकार अपने कार्यों में, उपयोगी घटनाओं में सौन्दर्य व सुध्य-वस्था की स्थापना कर के उस में सुख का अनुभव करना मनुष्य की कला-

त्मक तीसरी विशेषता है, जिस के फलस्वरूप उसने वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, गानकला व काव्यकला आदि का उत्थान किया है।

इन तीन महागुणों की उपासना मनुष्य चिरकाल से करता आरहा है, और उसका ध्येय भी इन में पूर्णता प्राप्त कर लेना प्रतीत होता है। इसीलिये जितने अंश में मनुष्य इन गुणों में उन्नति करता है उतना ही वह सभ्य व सुमंस्कृत गिना जाता है। किन्तु जान पड़ता है कि इन गुणों के विकास की कोई निर्दिष्ट सीमा नहीं है। नाना देशों व समाजों में ये ही गुण नाना प्रकार से प्रकट हुए हैं, और कालक्रम के अनुसार उनकी विशेष प्रवृत्तियों की क्षति और वृद्धि निरन्तर होती हुई पाई जाती है। एक देश की नीति, सदाचार व सभ्य व्यवहार दूसरे देश से भिन्न पाया जाता है। नाना धर्मों व दर्शनों ने जीव और इतरसृष्टि को भिन्न भिन्न प्रकार से समझा है। जो कुछ आज सुन्दर, कलात्मक व आकर्षक समझा जाता है, कही कल इच्छाही हो जाता है; और जो प्राचीन काल में सत्य व तथ्य विश्वास किया जाता था वही अब अज्ञान व अन्ध-विश्वास माना जाता है। इस प्रकार हमारे ज्ञान और विवेक के विस्तार की कोई सीमा नहीं है।

भारतवर्ष चिरकाल से चिन्तनशील रहा है, और चिन्तनशील समाज कभी एक ही नियमावली के बन्धन में बंधा नहीं रह सकता। सुष्ठुगति-शील है, परिस्थितियां निरन्तर बदलती रहती हैं, और तदनुसार हमारी आवश्यकता, इच्छा एवं नीति भी विकसित होती जाती हैं। वेदों में हमारी जिस जीवनशैली का चित्रण पाया जाता है, उसमें उपनिषदों की विचार धारा एवं महावीर व बुद्ध जैसे महापुरुषों के उपदेशों ने एक भारी परिवर्तन उपरिथित कर दिया। यहाँ विदेशी आये—यवन, शक, हूण और अन्ततः मुसलमान और अंग्रेज। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा और उन्हें भी बहुत कुछ सिखाया। 'कबीर और नानक, दयानन्द और रामकृष्ण, एवं तिलक, टागोर और गांधी ने हमारे नैतिक व आध्यात्मिक ज्ञान की धारा को विशुद्ध

और निर्मल बनाने का प्रयत्न किया, समाज के नवीम लंगठन की प्रेषण की; तथा जीवन में एक व्यक्ति उपस्थित की और इस प्रकार ऊँहोंमें हमें पश्चात्रा के प्रवाह में जहाने; वादों के अमज़ाल में भटकने एवं नवीनता की लहरों में छुकने से बचा लिया।

बच हमारा देश स्वतंत्र है। पर क्या हमें स्वाधीनता के सुख का अनुभव हो रहा है? इस देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कह सके कि उसे खाने-पीने पहगने-ओड़ने व रहने आदि के लिये उपयोगी सब पदार्थ सचि अनुसार सरलता से प्राप्त होते हैं। धार्मिकता का तो जीवन से मानो संबंध ही टूट गया है, नैतिकता व्यक्ति के जीवन व सामाजिक व्यवहार में से बिल्स होती जा रही है। निष्ठुर स्वार्थपरायणता व अनुशासन-हीनता जीवन के अंग बनते जा रहे हैं। उधर अन्तर्राष्ट्रीय आकाश में युद्ध के काले बाल पुनः उठते दिखाई दे रहे हैं। विदेश, अविश्वास व अद्विकार की मात्रा राष्ट्रीयता के स्तर पर संसारभर में बढ़ती जा रही है, जिसका कुपरिणाम सब ओर दिखाई पड़ने लगा है। अन्तर्राष्ट्रीय संघ भी इन बुराइयों से अपने को बचा नहीं पाता। काल की इस गति को मोड़ने का क्या कोई उपाय है?

हमें अपने धर्मशास्त्रों का इस दृष्टि से पुनः अवलोकन करने की आवश्यकता है। प्राचीन आचार्यों व संतों के उपदेशों में हमें यह खोजना है, कि क्या उनसे हमारी आज की समस्याओं को हल करने में कुछ सहायता प्राप्त हो सकती है। हमें अपने रीति-रिवाज, आचार-विचार एवं वैयक्तिक व सामाजिक जीवन-पद्धतियों पर पुनः विचार कर के देखना है कि क्या वे हमारी सांस्कृतिक धारा के अनुकूल हैं, तथा क्या उनके द्वारा ही हम अपना कल्याण व संसार को सुप्रति ठाम कर सकेंगे?

और सब से बड़ी आवश्यकता तो है स्वतंत्र व निष्पक्ष चिन्तन और विवेक की। प्रस्तुत पुस्तक में जो लेख-संकलन किया गया है वह हमारी

बुद्धि को इसी दिशा में उत्तेजित करने का अभिप्राय रखता है। इन निवन्धों के लेखक समाज के लव्ध-प्रलिष्ठ चिन्तनशील विद्वान् हैं। प्रत्येक लेख में हमारी राजनीति, अर्थ-व्यवस्था, समाज-रचना, लोक-सेवा आदि प्रवृत्तियों के कुछ दोष व विकार दिखा कर उनके शोध का उपाय बतलाया गया है। जिनमें हजारता है और आत्मोन्नति व समाज-विकास की भावना है वे अवश्य इन लेखों को पढ़ेंगे और उनसे लाभ उठा सकेंगे। ऐसे ही चिन्तनशील उपदेशों द्वारा सुधार पर ही हमारे देश व समाज का भविष्य निर्भर है।

नागपुर महाविद्यालय

नागपुर

२९-११-५०

हीरालाल जैन

समाज और जीवन

: १ :

सुख और शान्ति

महात्मा भगवानदीनजी

शांति और सुख :

शांति की पूजा बहुत होती है। और उसको काफ़ी से ज्यादा महत्व मिला हुआ है। धर्म-ग्रंथ का अंत 'ॐ शान्ति' कह कर ही किया जाता है। कुरान के अन्त में भी ॐ शान्ति के अर्थों वाला 'अस्सलाम' लिखा मिलता है। सारे धर्मों की बुनियाद शान्ति फैलाने के खातिर पड़ी। फिर भी शान्ति शहद में आज इतना मिठास नहीं है जितना 'सुख-शान्ति' बोल में। शान्ति के साथ सुख जुड़ जाने से शान्ति का मतलब सब के लिए साफ हो गया है यानी जहाँ शान्ति वहाँ सुख या जहाँ सुख वहाँ शान्ति। यो सुख-शान्ति एक अर्थ वाले शब्द हो जाते हैं।

दिलसे कोई सुख-शान्ति नहीं चाहता :

सैकड़ों व्याख्यानों को व्याख्यान देने वाले यो शुरू करते हैं : 'सब सुख चाहते हैं और धर्म यह सिखा सकता है कि सुख कहाँ मिलेगा' और फिर आगे चल पड़ते हैं। मानो व्याख्यान देने वालों को व्याख्यान सुनने वालों के मन का ठीक-ठीक और पूरा पता है और उनको अपनी इस जानकारी पर पूरी पूरी तसल्ली यों हो जाती है कि व्याख्यान सुनने वालों में से कोई एक भी उनकी इस मान्यता का खण्डन नहीं करता। हम भी ऐसे व्याख्यानों के सुनने वालों में रहे हैं और हमने भी भेड़-चाल या

भीड़-चाल के बश में होकर औरों की तरह चुप रहने में ही अपनी सुख-शान्ति समझी है। यह हम यों कह रहे हैं कि हमें बोलना चाहिए था और हम बोले नहीं। बात हमारे मन-लगती नहीं थी, फिर हमें चुप नहीं बैठना था। हम यह न तब मानते थे और न अब मानते हैं कि आदमी जी से सदा सुख-शान्ति चाहता है। वह सुख-शान्ति से ऐसे ही डरता है जैसे दुख-दर्द से। अगर सुख सोने में है तो हमें एक भी ऐसा न मिलेगा जो सौ घंटे या पचास घंटे या पच्चीस घंटे भी सोये। अगर सुख खाने में है तो हमें एक भी ऐसा न मिलेगा जो दस सेर या पांच सेर या ढाई सेर खा जाय। सुख-शान्ति को समझाने के लिए हमें यह तो बताना ही पड़ेगा कि सुख-शान्ति है किस काम में और फिर काम कोई ऐसा बताया नहीं जा सकेगा जिसमें कोई निरन्तर लगाकर कुछ ही समय में दुःख न मानने लगे। फिर यह बात कैसे ठीक हो सकती है कि सब लोग सुख-शान्ति चाहते हैं?

अनुकूल-प्रतिकूल वेदना :

कुछ ऋषियों ने 'वेदना' नाम का एक और शब्द खोज निकाला। वेदना शब्द विद् से बना है। विद् माने जानाना, वेदना माने जानकारी। वेदना शब्द वाले ऋषियोंने सुख को कहा अनुकूल वेदना और दुख को कहा प्रतिकूल वेदना। इस को सीधे शब्दों में यों समझ लीजिये कि मनलगती जानकारी सुख और मन न लगती जानकारी दुख कहलाती है। अब सुख रह गया मनचाही बात। अब धर्म बताये कि वह क्या सुख सिखायेगा? जो मैं चाहता हूँ उसके मिलने से ही मुझे सुख मिलेगा। अगर धर्म भी मेरी हाँ में हाँ में मिलाता है तो धर्म ने मेरा क्या भला किया और मेरे किस क्षम आया? और अगर धर्म मेरी बात को काटता है और 'ना' कहता है तो वह मुझे दुःख देता है। फिर यह बात शूँ हो जाती है कि धर्म सुख देता है। इन अनुकूल और प्रतिकूल वेदनाओं ने बात तो

आदमी के मन-लगती कही पर इसमें ऐसा कोई बीज न मिला जिसे बोकर आदमी सुख-फल की खेती आसानी से काट लेता है।

'आनन्द' और वेदना :

कुछ ऋषियोंने बड़ी ऊँची उड़ान ली और उन्होंने एक नये शब्द 'आनन्द' की रचना कर डाली। इस शब्द की तेज़ धारसे उन्होंने अनु-कूल और प्रतिकूल दोनों वेदनाओं का ही सर काट कर केंक दिया। यानी सुख-दुःख दोनों को ही बेकार साचित कर दिया या निरी दुनियादारी की चीज़ बना कर छोड़ दिया। अगर आनन्द शब्द का उत्था किया जाय तो वह होगा आत्म-वेदना और घरेलू बोली में वही होगा अपनी जानकारी। तो अब आनन्द रह गया आत्मानंद यानी अपने आप अपने आप में मग्न रहना। और अगर वेदना शब्द से आप चिपके ही रहना चाहते हैं तो आनन्द के माने हो जाते हैं अपने आप को जानते रहना और मग्न रहना। वास्तव में बात तो यह बड़ी गहरी है और बड़े बड़े तर्क-शालियों का मुँह बंद कर सकती है, पर है कोरी कल्पना। हो सकता है बिल्कुल सच्ची हो। पर जहाँ कहीं वह सच्ची मिलेगी वहाँ न हम होगे न तुम और न वह दुनिया होगी। तब फिर ऐसी सचाई से हमें क्या लेना-देना।

सुख-शान्ति की खोज :

आइये, अब आसमान से फिर भूतल पर आ जाइये और अपनी सुख-शान्ति से भेट कीजिये। भला-बुरा जैसा भी सुख इस दुनिया में है और भली-बुरी जैसी भी शान्ति यहाँ मिलती है उसीसे हमें काम पड़ेगा और उसीको पाकर हमें तसल्ली होगी और चैन पड़ेगा। फिर उसी की बात क्यों न करें? आइये, अब उसी की खोज करें और पता लगाएं कि वह कहाँ रहती है और कहाँ अपने आप आ जाती है? और क्यों अपने आप चली जाती है? वह सिनेमा के फिल्म के चित्रों की तरह निरी जाया ही

क्यों न हो, पर जब हमें सुख देती है तो हमारे लिये तो वह चाया नहीं, बड़ी माया है। हम उसके खोजने या उसकी चर्चा करने में कुछ समय है तो वह समय बर्बाद किया हुआ नहीं समझा जाना चाहिए।

समाज भी सुख-शांति नहीं चाहता :

शान्ति की खोज में निकलने से पहले यह बात तो हमें अपने जी में बिठा लेनी ही चाहिए कि सुख-शान्ति मिलेगी हमें तभी जब हम सच्चे जी से उसको अपनाना चाहेंगे। हम चाहें और वह न मिले, ऐसा नहीं हो सकता। जो आदमी जो चीज़ चाहता है, वह कोशिश करके अपने जी से चाहने का सबूत देता है और कोशिश किये जाता है और फिर वह पा भी लेता है। यह हम इसलिए लिख रहे हैं कि हमारा अनुभव हमें यह ढंके की ओट बता रहा है कि हम सचमुच सुख-शान्ति नहीं चाहते। न अलग-अलग और न समाज रूपसे। बहुत खोजने पर सी में से कोई एक ऐसा शायद मिल जाय जो सुख-शान्ति के पीछे लगा हो और उसके पाने की कोशिश कर रहा हो। पर समाज रूपसे तो उसकी भी कोशिश यही मिलेगी कि सुख-शान्ति जितनी दूर रहे उतना अच्छा। अब जब समाज से सुख-शांति दूर है, तो व्यक्ति को कहाँ से मिल जायगी और जब व्यक्ति ही उससे भागता फिरता है तो व्यक्ति से बना हुआ समाज उसे क्या आसमान से बरसा लेगा? सचमुच यह बात हम बहुत बढ़कर कह गये कि न व्यक्ति सुख-शान्ति चाहता है और न समाज। इस बात का हम अगर कोई पक्का सबूत न दें तो यह किसी के गले न उतरेगी। और हमारी हँसी उड़ेगी सो अलग। हमारी हँसी उड़ जाय इसमें तो हम जरा भी दुःख नहीं मानेंगे। मगर हमारी हँसी तो तभी उड़ेगी जब कोई यह सामित कर देगा कि समाज मी और व्यक्ति भी सुख-शान्ति चाहते हैं और अलग अलग और मिलकर सब उसी की खोज में जुटे हुए हैं और जी-जान से कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसी हमारी हँसी उड़ी तो हमारे हिस्से में कुछ सुख ही

सुख और शान्ति

आयगा। क्योंकि हम इस बात के कायल हैं कि खोब करने से सुख-शांति ज़रूर मिलती है। और खोब करने वाले समाज को ज़रूर मिलेगी। और हम उस समाज के अंग हैं, किर हम उसको पाये बिना कैसे रह जायेंगे? बहुत न सही कुछ तो बाट में आयेगी ही। पर हम तो अपनी बात पर अड़े हैं। वह बात यह है कि समाज सुख-शान्ति नहीं चाहता और न इस ओर कोशिश कर रहा है।

पाँच भूत और सुख-शांति :

आइये, सुख-शान्ति के लिए पहले पाँच भूतों की खोब करें। जलन को अगर आप दुःख मानते हैं तो ना-जलन में सुख-शांति का निवास है। यह कौन नहीं जानता कि आग जलाने के लिए कम-से-कम तीन लकड़ियों की ज़रूरत होती है यानी जलन या दुःख पैदा करने के लिए तीन का इकड़ा होना ज़रूरी है। जलन को नाजलन में बदलने के लिए यानी दुःख को शांति में बदलने के लिए इतना ही तो करना है कि तीनों लकड़ियों को अलहदा कर दीजिये। योड़ी देर में आप ही बुझ जायगी। न औरों को जलायेंगी और न खुद जलेंगी। अब तो घर घर में पथर का कोयला इस्तेमाल होने लगा है और बच्चा-बच्चा यह जानता है कि कोई एक कोयला जलती आग से अलग हुआ नहीं कि बुझा नहीं। पानी घटाओं के रूप तूफान लाता है, बिजली गिराता है, अंधेरा करता है, मकान तोड़ता है, पहाड़ तोड़ता है, और न जाने क्या क्या आफतें खड़ी करता है। वही जब बिखर कर इधर-उधर फैल जाता है तो सुख-शांति फैलाता है, खेतियाँ सरखाता है और अंधेरे को उजाले में बदल देता है। पानी बाढ़ के रूपमें गँव के गँव बहा ले जाता है। पर समझदार लोग बाढ़ से बचने के लिए नदी के किनारे किनारे नहरें तैयार रखते हैं और पानी को छितरा देते हैं। बाढ़ की बला को नहरों के जरिये सुख-शांति में बदल देते हैं। हवा धने पत्ते वाले पेड़ को टक्कर मारकर गिरा देती है लेकिन

जिस दरखत ने अपने बहुत-से पत्ते छितरा दिये हों, आंधी रूप वाली हवा उसका कुछ नहीं बिगाढ़ सकती क्योंकि उससे टकरा कर वह खुद छितरा जाती है। रेल वाले कई सिगनल के हथों का नुकसान करने के बाद यह समझ पाये कि उसमें अगर बहुत से स्क्राक्स कर दिये जायें तो आंधी फिर उस न तोड़-फोड़ सकेगी क्योंकि वह खुद इन स्क्राक्सों में होकर छितरा जाती है। आग, पानी, हवा गला फाड़ फाड़ कर आदमी को यह सबक दे रहे हैं कि सुख व शांति विखरने और छितराने में है, सिमटने और इकट्ठे होने में नहीं। पर प्रकृति के ये दोनों गुण हैं कि वह सिमटी-सिमेटी है और बिखरती-बिखरती है यानी दुख-सुख मय है। आदमी दुख से बिलकुल तो नहीं चचे सकता पर जरा सोचे समझे तो सुख-शांति के अम्बार खड़े कर सकता है। जो सुख-शांति आज दुनिया में कहीं भी नहीं है और किसी को हूंटे नहीं मिल रही, उसकी कुछ दिनों में ही इतनी बहुतायत हो सकती है कि जो जितनी चाहेगा, पा सकेगा।

असली सुख विखरने और छितरने में है :

यह किंवे नहीं मालूम कि हमारी हरी हरी खेतियाँ जिनको देख कर हमारी अँखें तर हो जाती हैं, हमारा मन उमंगों से भर जाता है और जिस देख कर हमारी घरवालियाँ गा उठती हैं और नाचने लगती हैं और हमारे चचे खिलखिला उठते हैं वह सब नतीजा है उस के देर को छितराने का और खेत में बिखरने का जो घर में देर के रूप में कोठी में बन्द था और अगर कुछ देर और बन्द रहता तो तरह तरह के कीड़े और बदबू पैदा करता, घर भर को दुख देता और सङ्कर कितनों को भूखा रखता और यों कितनों को रुलाता, इसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता। देखिये न, अब उसीका एक एक दाना खेत में पड़कर कितने गुना हो गया है। याद रहे वह वहाँ देर में रहने के लिए नहीं बढ़ा है। अगर कोई उसे देर के लिए

बढ़ा हुआ समझे तो वह दुख का देर खड़ा करना चाहता है, वह खेत पकने पर जितनी जल्दी, जितने छोटे टुकड़ों में छितराया जायगा उतना ही ज्यादा सुख-शांति फैला सकेगा। बस, इकट्ठे होने में दुःख है पर इसी में सुख भी है अगर हम बिखरने के लिए इकट्ठे हो रहे हों। पर यह याद रहे कि बिखरने की नीयत से इकट्ठे होने में भी असली सुख नहीं, माना हुआ सुख है, सुख की इंतजारी का सुख है। असली और अमली सुख तो छितरने और बिखरने में ही है।

आइये, अब जरा असली दुनिया में आइये। आप को अपनी कमाई के एक महीने बाद किसी एक दिन सौ रुपये इकट्ठे द्याय लग जाते हैं तो वे सुख तो देते हैं पर वही नकली सुख यानी इंतजारी का सुख। अमली सुख तो तभी मिलेगा जब वे कई दूकानों पर बिखर दिये जायेंगे और वहाँ से तरह तरह की चीजें घर पर आ कर जमा होंगी। अभी जमा हो रही हैं। इसलिए असली सुख के इन्तजार का ही सुख है। अब जरा उसके पकवान बनने दीजिये। अभी भी असली सुख कुछ दर है। अब उस पकवान को घर भर मैं बंटने दीजिये यानी बिखरने दीजिये और फिर देखिये कि वे बिखरे हुए सौ रुपये बच्चों को कैसे कुदका रहे हैं, उनसे बड़ों को फुदका रहे हैं, उनसे बड़ों को चढ़का रहे हैं। और आप यह देख कर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। यह ठीक है कि आप सौ के सौ नहीं खर्च कर डालते, कुछ बचा रखते हैं। जो बचा रखते हैं उतना ही दुःख बचा रखते हैं। आप कह सकते हैं कि हम तो उसे सुख मानते हैं। बेशक, आप ठीक कहते हैं और हम उसके जवाब में यह कहेंगे कि आपने दुख को सुख का नाम दे रखा है। और तभी तो हम यह कहते हैं कि दुनिया में सुख-शांति कहीं नहीं है। हम से अगर आप सलाह लें तो जिस दिन आप को सौ रुपये मिला करें उसी दिन अगर आप उन रुपयों को, अगर आप का कुण्डम्ब पांच आदमियों का है, बीस बीस रुपये भी आदमी या और

किसी हिसाब से उनमें बाट दिया करें तो आप देखेंगे कि आप और भी ज्यादा सुखी हो गये हैं और आये दिन भी रोज की अंक्षट से बच गये हैं। यह बात हम यों ही नहीं लिख रहे, हमने खुद हस तरह का एक आदमी देखा था और यह भी मालूम किया था कि वह औरों की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुखी है। हमने उसकी नक़ल भी की थी और अब तो हम अपने अनुभव के आधार पर यह ज़ोर के साथ कहने की हिम्मत करते हैं कि यह बिखर देने का तरीका जमा करने की रीति से कहीं ज्यादा सुखदायक होता है।

सूद कड़वा विष है :

हम हैरान हैं सूद की बुराई या सूद में रहनेवाला ज़हर मुहम्मद साहब के सिवा किसी और सन्त को या ऋषि-नवी को क्यों न दिखाई दिया? सूद का रिवाज़ सचमुच एक ऐसा दुखदाई रिवाज़ कि जिसके रहते समाज का सुखी होना या व्यक्ति का शांति हासिल करना किसी तरह नसीब नहीं हो सकता। इसकी लोटी भलाई लोगों के दिल में इतनी गहरी असर कर गई है कि वे ठंडे जी से इस मामले पर सोचने के लिए तैयार नहीं हो सकते। सूद एक ऐसी बला है जिसने समाज में कहीं टीले खड़े कर दिये हैं और कहीं पोखरे खोद दिये हैं। सूद समता के लिए बहुत कड़वा विष है। धन जमा करने का रिवाज़ उनमें भी है जिनकी गरदन में सूद के रिवाज़ की रस्ती नहीं पड़ी है। पर उनका धन जमा करना इतना दुःखदाई नहीं होता जितना सूद लेनेवाले समाज का। आम तौर से धन चांदी और सोने के सिक्कों के रूप में ही जमा किया जाता है और वही तरीका जमा करने का जहरीला है। हाँ, उसका बैंकों में जमा होना तो बेहद जहरीला है। पर हम तो उसे किसी तरह भी जमा होने को समाज और व्यक्ति के लिए दुःखदाई ही समझते हैं। पर जब तक सिंके का चलन मौजूद है तबतक न लोग जमा करने से रक्खेंगे और न सच्चा सुख पा सकेंगे। इसमें शक नहीं कि हमारे ये गिने-चुने शद्द इस

मामले में लोगों की पूरी पूरी तसल्ली न कर सकेंगे और वे हम से और भी ज्यादा खुलासा इस मामले में चाहेंगे। पर हम उन्हें यही सलाह देंगे कि वे ठंडे जी से सूद की ॐच-नीच पर अकेले में बे-लाग होकर एक बार गहरी नजर डालें तो। तो वे बरुर उसी नतीजे पर पहुँच जायेंगे जिस पर हम पहुँचे हैं। उनके सोचने के लिए इतना इशारा हम किये देते हैं कि वे एक बार इस तरह सोचें कि उन्होंने कुछ रुपया सूदपर ले रखा है और कौड़ी खुकाने के लिए पास नहीं और किर इस हैसियत से सोचें कि उन्होंने अपना सारा रुपया उधार दे रखा है और आसानी से एक कौड़ी भी बसूल नहीं हो पाई। तब वे सब तरह के नीचान-ऊचान में होकर निकल जायेंगे और सूद की सब तरह की बुराइयाँ उनकी समझ में आ जायंगी और किर आप वे इस नतीजे पर पहुँच जायेंगे कि सचमुच सुख पसे के जमा करने में नहीं है उसके छितराने और बिसराने में ही है।

छितराना प्रकृति का नियम :

यह किसको नहीं मालूम कि होशियार हकीम और वैद्य जब किसी मरीज को अपने हाथ में लेते हैं तब सब से पहला काम वे उस चीज़ को छितराने का करते हैं जो बहुत दिनों से मरीज के पेट में भूल से जमा होती रही है। इसके लिए वे दस्त और कै का सहारा लेते हैं और अगर इससे भी नफा होता नहीं देखते तो नस-फसद खोलकर खून छितराने पर उतारू हो जाते हैं और अस्थिर मरीज को सुख-शान्ति पहुँचाने में कामयाब हो ही जाते हैं। चबाकर खाने पर कौन समझदार जोर नहीं देता ? चबाना, खाना छितराने के सिवा और चीज़ ही क्या है ? और सचमुच जिन्हे चबा-चबाकर खाने की आदत हो गई है उन्हीं से पूछिये तो वे आप को बतायेंगे कि खाने का सच्चा सुख और खाने की चीजों का सच्चा स्वाद उसी तरह मिलता है और उन्हीं को मिलता है। उनको सुख नहीं मिलता जो बड़े-बड़े कौर मुंह में रखकर निगल जाते हैं। उन्हें न खाना खाने का सुख

मिलता और न हजम करने और रस बनाने का सुख मिलता है। सांस लेने में इतना आनन्द नहीं आता जितना सांस बाहर फेंकने में। सांस लेना यानी हवा को एक कोठरी में इकट्ठा करना और सांस फेंकना यानी हवा को छितराना। असल में सांस फेंकने में हम उस ज़हर को निकाल फेंकते हैं जिसको हम अपनी भूलों से अनदर बमा करते रहते हैं। किर सांस फेंकने यानी हवा को छितरा देने में हमें सुख मिलना ही चाहिए। थोड़े शब्दों में प्रकृति हमें तन्दुरुस्त बनाये रखने के लिए जमा करने का काम भी करती है, पर विखरने-विखराने का काम ज्यादा करती है। और इस तरह वह थोड़ी देर दुःखी रखकर ज्यादा देर सुखी रखना चाहती है। हम उसके तरीकों पर न अच्छी तरह से नज़र डालते हैं और न उससे कोई सवक लेना चाहते हैं। किर यह कैसे समझा जाय कि हम सुख-शान्ति चाहते हैं।

शासन में छितराने का प्रयोग :

आइये, अब ज़रा हुक्मती कामों की तरफ आइये। हुक्मत जब समाज को सुख-शान्ति पहुँचाना चाहती है तो ऐसी भीड़ को पुलिस की लाटियों से छितरा देती है जिसपर उसको यह शक होता है कि वह जनता की शान्ति को भंग करनवाली है। इतना ही नहीं, अच्छे से अच्छे काम के लिए जमा होनेवाली भीड़ की देखरेख के लिए सरकारी पुलिस का इन्तजाम रहता ही है। अगर कहीं किसी वज़ह से सरकारी पुलिस वहाँ नहीं पहुँच सकती तो भीड़ जमा करने वाले पहले ही से अपनी पुलिस तैयार रखते हैं जिसको वे स्वयंसेवक दल का नाम दे लेते हैं। इसका यही मतलब है कि भीड़ जमा करने वालों को भीड़पर पूरा एतबार नहीं रहता। वे खूब समझते हैं कि जहाँ भीड़ इकट्ठी होगी वहाँ ऊधम होगी ही। भीड़ में ऊधम का न होना अचरण माना जा सकता है पर ऊधम का होना तो मामूली बात माना जायगा। भीड़ में किर चाहे वह धर्मात्माओं का मेला ही क्यों न हो, गठकटों और जेब-करतों की खूब बन आती है।

लुच्छों और लकड़ों की मौज रहती है। वह, भीड़ को ऐसे ही समझिये जैसे गहरी अंधेरी रात, जब चोरों की बन पड़ती है। सरकार ने अमन और शान्ति रखने के जो कानून बनाये हैं उनमें से एक है दफा १४४, जिस की यही तो मनशा है कि भीड़ न इकट्ठी होने पाए और अगर इकट्ठी हो तो छितरा दी जाय। उस कानून की रू से पांच-छः आदमी भी भीड़ समझे जाते हैं। अब तो सरकारी कागजों से भी यह साक्षित हो गया कि सुख-शान्ति छितरा कर ही फैलाई जा सकती है। एक मुल्क कितनी ही अच्छी नियत से दूसरे मुल्क से लगती अपनी हृद में अगर फौजें इकट्ठी करता है तो वह दूसरे मुल्क की सुख-शान्ति भंग करता है और दूसरे मुल्क को तबतक चैन नहीं पड़ता जबतक कि उसका पड़ोसी मुल्क अपनी इकट्ठी हुई फौजों को बहाँ से न हटा ले। यानी उन्हें न छितरा दे या न बिखरा दे। अगर पड़ोसी मुल्क किसी तरह इसपर राजी नहीं होता तो फिर वह उसी तरह अपने मुल्क की हृद में फौजें इकट्ठी करता है और अगर जोरदार हुआ तो पड़ोसी मुल्क की फौजों को घकेल कर हटा देता है, छितरा देता है या खत्म करके बेकार कर देता है और अगर बहुत जोरदार हुआ तो पड़ोसी मुल्क डरकर ही अपनी फौजें हटा लेता है और छितरा देता है। यानी दुःखी और अशान्त मुल्क कांटे से कांटे को निकालता है। पर जो कांटा पांव में लगा हुआ होता है वह भी कांटा है और जो उस कांट को निकाल रहा है वह भी कांटा है। कांटा अगर दुःखदार्ह होने की वजह से बुरा है तो वह पांव में लगा हो तो भी बुरा है और हाथ में हो तब भी बुरा है। हाथ वाला कांटा ही कव पैर वाले कांटे को बिनापांव को और दुःख दिये निकाल पाया है? इसलिए फौजों का इकट्ठा होना हर तरह दुखदार्ह है और उनका बिखर जाना हर तरह सुखदार्ह है।

शहर गाँवों में छितरें :

हवाई जहाज से गिरनेवाले मामूली बम से ही नहीं, एटम बम से-

जचने के लिए भी सब से अच्छी तजबीज यही है कि समाज बड़े बड़े शहरों में जो जमा हो गया है वह पाँच-पाँच और दस-दस घर वाले गाँवों में बहुत बड़े हिस्से में छिपरा दिया जाय। बस, एटम बम का खतरा दूर हो गया। यह इस तरह कि एटमबम इतना कीमती होता है कि उसे दुश्मन पाँच-दस घर वाले गाँवपर गिरा कर बेहद टोटे में रहेगा। इसलिए वह बम गिराने की बेकूफी कभी नहीं करेगा। इसी खिलखिले में यह भी समझ लेना चाहिए कि ये बड़े बड़े कल कारखाने समाज के उन सदस्यों के लिए जो उसमें काम करते हैं बेहद दुःखदार्ह हैं; पर इसकी चचा तो अभी हम करते नहीं। अभी तो हम यह बताना चाहते हैं कि ऐसे कल कारखाने दुकूमत के ख्याल से भी बड़े दुःखदार्ह हैं। दुश्मन के बम उनपर गिरकर करोड़ों की रोज़ी का एकदम खात्मा कर सकते हैं। यही कल कारखाने छिपर कर छोटे रूप में गाँव के घरों में रहटी, चरखा, धुनकी, करघे और कोल्हू और कढ़ाव का रूप ले लें तो दुश्मन सकपका जाय और हमारा देश भी एकदम करोड़ों की रोज़ी न खो पाये। न फिर कपड़े के बिना नंगा रहे और न शाकर के बिना उदास। ये बातें अब ऐसी बातें नहीं रह गई जिन पर लम्बी चौड़ी बहस की जरूरत हो। जिनको जताने के लिए हम ये बातें परिवर्त रहे हैं वे हम से ज्यादा अच्छा समझते हैं। अगर हम में इन बातों के बारे में एक मन विश्वास है तो उन में एक रक्ती भी नहीं और इसी बास्ते जानते हुए भी वे इस पर अमल नहीं करते। अकल विश्वास को आसानी से कबूल नहीं करती और किसी ने टीक ही कहा है कि “अकल जब आती है, आती ठोकरे खाने के बाद”। गोरी पलटनों ने एक लड़ाई हारकर ही पतलून की जगह नेकर को अपनाया। कारखानों के छिपराने की बात भी तजरबे के मास्टर के मुँह से ही सीखने पर चित्त पर अंकित हो पायेगी। पर हो सकता है कि वह सबक इतनी देर से मिले कि हम हाथ मलकर रह जायें। तभी तो हम कह रहे हैं कि सचमुच समाज-सुख-शांति नहीं चाहता।

हिन्दुस्तान की सुख-शांति नष्ट कैसे हुई ?

अंगरेजी सरकारने अच्छी नियत से न सही, किसी भी नियत के आनंदरी मजिस्ट्रेटों की बुनियाद ढाली । इस तरह एक बगह बहुत इकट्ठी हुई हिन्दुसाफ करने कीताकृत को छितराया विससे डिप्टी कलक्टरों और जिला मजिस्ट्रेटों को थोड़ा-सा सुख मिला । जनता को भी कुछ सुभीता हुई । अंगरेजी सरकार ज़रा भी यह नहीं चाहती थी कि हुक्मत की ताकृत यह इन्साफ की ताकृत उसके हाथ से निकलकर हिन्दुस्तानियों के हाथ में जाय । हिन्दुस्तानी जनता के हाथ में देने की बात तो वह कभी सुपने में भी नहीं सोच सकती थी । अंगरेजी राज में हम दुखी थे पर हम सुखी थे यह हमें पता कहाँ था ! यह तो भूल-भट्टेके कभी कभी कांग्रेस के कुछ उम्र नेता शहरे के इने-गिने पढ़े-लिखों के जी में यह बिठाने की कोशिश करते रहते थे कि वे अंगरेजी राज में दुखी ह । उनकी समझ में कुछ-कुछ आता भी था, पर जब वे अपने हजारों-लाखों रिश्तेदारों में से और हजारों-लाखों जान-पहचान वालों में से किसी एक को भी नायब तहसीलदार या तहसीलदार देख लेते थे तो सब दुःख भूल जाते थे और उम्र नेताओं की बात को निराधोखा ही समझते थे; इसीलिए वे सुख-शांति की कोशिश नहीं करते थे । दुख देखते देखते उसी को सुख समझने लगे थे । बस, चोटी के दस-बीस समझदार समझते थे कि जबतक ताकृत कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठी रहेगी तब तक देश सुखी नहीं हो सकता । पर उनकी सुनता कौन था ? जिस अंगरेज ने हिन्दुस्तान में बिखरी पञ्चायती ताकृत को एक कलम से ख़त्म कर दिया वही सब से ज्यादा समझदार अंगरेज था और वही हिन्दु-का सब से बड़ा दुश्मन था जो हिन्दुस्तान के सुख को अगस्त्यमुनि की तरह एक चुल्ह में पी गया । उस के बाद हिन्दुस्तान को कभी सुख-शान्ति का स्वाद नहीं मिला और इसलिए वह उसको इतना भूल गया कि दुःख दर्द को ही सुख-शान्ति समझने लगा ।

कॉंग्रेस का संगठन :

सन् १९२० में हिन्दुस्तान के सन्त ने लोगों को सुख-शान्ति का ज्ञान कराया। पर उसे तो हिन्दुस्तान के पाँच में लोग कॉटे को निकालना था और वह कॉटा तो कॉटे बिना नहीं निकल सकता था। यह ग्रीक है कि उसने अपनी समझ में मुलायम से मुलायम कॉटे से काम लिया पर वह इतना सख्त तो ज़रूर था कि कॉटा निकालने के काम में न मुड़ता था, न ढीला पड़ता था और वह या कॉंग्रेस का संगठन। उस संगठन के नियमों को पढ़कर देश-बन्धु दास तो फड़क उठे थे और कह बैठे थे कि यह तो नई सरकार गढ़ी जा रही है। और सच्चमुच सन् २०० और २१ में कॉंग्रेस ने सारी ताक़त फिर चाहे वह हुक्मत की हो या इन्साफ की, अंगरेज के हाथ से छीन ली थी। और गाँव-गाँव में नहीं तो शहरों-शहरों और जिलों-जिलों में छितरा दी थी। अब जिला-कॉंग्रेस का प्रेसिडेण्ट आपोआप जिला-मजिस्ट्रेट बन बैठा था। और अंगरेज जिला-मजिस्ट्रेट अपनी कच्चही में हाथ पर हाथ धरे रहता था। यही दाल कुछ सूचे के सूचदारों का था। और यही वे दिन थे कि जब अंगरेजी राज रहते हुए भी हिन्दुस्तानी बंदू सुखी थे क्योंकि हुक्मती और इन्साफी ताक़त छितरकर करोड़ों नहीं, लाखों भी न सही तो हज़ारों के हाथों में ज़रूर बढ़ गई थी और वह सच्ची ताक़त थी। क्योंकि उस ताक़त ने लोगों को हाथ का पक्का और लंगोटी का सच्चा बना दिया था। अंगरेजी ताक़त अब नाम को रह गई थी। असली ताक़त अब सब हिन्दुस्तानियों के हाथ में थी। धीरे धीरे किसी बजह से वह ताक़त हिन्दुस्तानियों की मुट्ठी में न रह पाई और शायद इस बजह से कि वे उसको आगे गाँव में न छितरा पायें इसलिए वह फिर घरों-घरों की छतपर फैली मिट्ठी की तरह बरसात के रेले से उसी पोखर में पहुँचने की तरह से बहाँ से वह आई थी उन्हीं अंगरेजों के हाथ में फिर से पहुँच गई और फिर वह मुट्ठी-भर गोरों के हाथ की चोज़ बन गई। और बरसों तक उन्हीं के हाथ

में ज्यों की त्यो सुरक्षित रही। सन्'२० और '२१ जैसे सुख का मज़ा हिन्दुस्तान की जनता फिर कभी न ले पाई। सन्' ४७ में सचमुच अंगरेज हिन्दुस्तान छोड़कर चल दिये। वेशक वे हुक्मती और इन्साफी ताकत अपने साथ नहीं ले गये पर उसे अपने से भी कम तायदाद वाली छोटी जमात के हाथ में सौंप गये और इस तरह वे हिन्दुस्तान को और भी ज्यादा दुखी बना गये। हिन्दुस्तान के सन्त ने उन दिनों के बाइसराय माउण्ट ब्रेटन से बहुत चाहा कि वे एक छोटा-सा काम तो जनता के सुख का अपने हाथ से कर जायें और वह यह कि नमक-कर को अपने हाथ से खत्म कर जायें। पर पत्थर-दिल माउण्टब्रेटन या राजनीति के गूढ़ पंडित माउण्टब्रेटन किसी तरह न पसीजे और बर्त्तानिया के सर पर महात्मा गान्धी के शब्दों में इतने बड़े यश का मुकुट बांधने के लिए राजी न हुए। इसमें क्या गूढ़ रहस्य था इस पर हम कलम उठाकर क्या करेगे, इसके समझने का काम हम अपने पढ़ने वालों पर छोड़ दें।

हिन्दुस्तान के सन्त की तड़प :

हाँ तो हिन्दुस्तान का संत अपने जीवन में हिन्दुस्तान की सुख-शांति की न कोई योजना बना पाया और फिर सुख-शांति फैलाने की बात तो कही दी कैसे जा सकती थी। अंगरेजों के चले जाने के बाद सुख-शांति फैलाने की जितनी तड़प उस संत में थी उतनी किसी में नहीं थी यह कहना तो कुछ कहना नहीं होगा। उसकी चौथाई भी उन सब में नहीं थी जो हिन्दुस्तान को आज़ाद करने के खातिर उस के साथ-साथ या उस से अलग हथेली पर सिर लिए फिरते थे। वह वही संत था जो अपने सब संगठनों को छितरा देना चाहता था और सबे किसान की तरह अपने हरेक साथी को अनाज के दानों की तरह बीते-जी राजनीतिक शक्ति के ख्याल से ब़ीमान में दफन कर देना चाहता था। या दूसरे मानों में वह अपने एक एक साथी को छो-गुना बलवान् या सौ में बदल देना चाहता था। वह सचमुच

तपस्या से पाई अद्विदि-सिद्धि को सच्चे व्यापारी की तरह मेहनत से कमाये। एक एक सिक्के को व्यापार में लगा देना चाहता था या सूद पर उठा देना। चाहता था। वह निकम्भी और जल्दी नष्ट होने वाली राजसत्ता को विश्वरा-छितराकर सकम्भी और कमी न नष्ट होनेवाली नीति-सत्ता में बदल देना। चाहता था। वह आत्म-बल का विश्वासी था, नीति-बल का पुसला था। वह समझदार होने के दिन से मरने के दिन तक राज-बल को ढुकराता रहा। और सत्य तथा प्रेम-बल को गले ल्याता रहा। क्या वह अपने साथियों को सत्यबल और प्रेमबल के अलावा कोई दूसरा बल अपनाने की सलाह दे सकता था? राजबल का इच्छुक हिन्दुस्तान में कौन नहीं? राजबल के इच्छुकों की खोज करने की कहाँ जरूरत है? उन के लिए विज्ञापनों पर पेता खच्चे करना पैसे का टुक्रपयोग करना है। इस बीसवीं सदी में जब एक सिक्के का छोकरा यानी कहार का लड़का अफगानिस्तान के खानादानी बादशाह अमानुल्ला के हाथ से अफगानिस्तान की गही छीन सकता है और अफगानिस्तान पर बरसों न सही, कुछ महीनों राज कर सकता है और ऊंचे से ऊंचे पटे-लिखों को अपनी उंगली के इशारों पर नचा सकता है तो हिन्दुस्तान का भी गंगुआ तेली, मुहम्मदा कुंबडा, कलुआ कुम्हार और रमबानी भिश्ती राजसत्ता लेने के लिए मिल सकते हैं और बक पड़ने पर जिलों को ही नहीं सभों को भी संभाल सकते हैं। हिन्दुस्तान में रामराज्‌य और चीतू पांडों की कमी नहीं है। इनका राज फिर चाहे वह दिनों और फस्तों ही रहा हो, हिन्दुस्तान के 'जिसकी कोमड़ी उस के गीत गानेवाले' सैकड़ों आई, सी. एसों से हजार गुना अच्छा था। उस के राज में जनता ही नहीं वे दूसरों के बल पर भेड़िया बननेवाले आई, सी. एस. भी मेमने बने सुखी थे। पर ऐसे रामराज्‌य और चीतू पांडे डाक्टरों के हूँडे नहीं मिल सकते। उस के लिए संत की ओर वही नहीं, संत की अद्वा और चाह भी चाहिए। 'मुझ जैसे दुनिया में और नहीं' कहने-वालों को हिन्दुस्तान में ही नहीं, दुनियाभर में ऐसे आदमी नहीं मिल सकते।

जो उसकी जगह ले सकें। उसकी जा० भरने का अगर कोई छाती पर हाथ रखकर दावा कर सकता है तो या तो वह यमदूत होगा या उसी का कोई सगा सहोदर होगा। राजसत्ता चलाना कितनी ही टेढ़ी लीर क्यों न हो पर नीति-बल और सचाई की घाक जमाना उससे भी सवा टेढ़ी लीर है। राजसत्ता में अगर जान जोखम है तो बेहिसाब नक़ली आदर और बेहिसाब दुनियादारी का सुख भी है। तभी तो उसके लिए हर मैं और तू लालायित रहता है। और दुनियाभर की मुसीबतें झेलने के लिए सब से आगे चलता दिखाई देता है। नीतिसत्ता में भी अपना सुख है क्योंकि बिना सुख के कोई उसकी तरफ क्यों दौड़ेगा? पर वह सात्त्विक सुख है। आत्मसुख है। वह अपने आपको तो खूब दिखाई देता है पर अपने जान-पहचानबालों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि अपने सभे सहोदरों और आत्मजों तक को नहीं दिखाई देता। उसे वह नीति-सत्ता धारी खुद भी न दूसरों को दिखा सकता है और न समझा सकता है, इतना ही नहीं जितनी वह उनको समझाने की कोशिश करता है उतनी उतनी ही वह नई आफत अपने सिर मोल लेता है। विश्वास की जगह उसका लोगों को अविश्वास हो जाता है और वह उसे छोड़कर राजबल अपनाने के लिए भाग खड़े होते हैं। वे यह समझ ही नहीं पाते कि एक माँ बाहरी सुख को त्याग कर और भीतर के सुख को अपना कर ही बालक को बाहरी सुख पहुँचा सकती है। आम दुनिया यही समझती है कि वह खूब धन कमाकर गरीबों में उसे बांट सकती है और उसको धन सुख पहुँचा सकता है। या वह बहुत बड़ी राजसत्ता हाथ में लेकर ही लोगों को राजबल बांट सकती है और राजसुख पहुँचा सकती है। आम दुनियादारों की उस तरफ निगाह ही नहीं जाती कि जिस धन त्याग कर और उसे बिखरा कर वह दुनिया को सच्चे मानों में सुखी बना सकते हैं और राजसत्ता त्याग कर दुनिया को सच्चे मानों में राज बलशाली बना सकते हैं।

न बाने क्यों राजनीति के झांडियों को राजाओं का सीधा-सच्चा * इतिहास ठोक-टीक सबक नहीं देता। उन्हें मालूम है कि जब वर्तानिया की ताक़त राजा नामधारी एक आदमी की मुट्ठी में थी तब वर्तानिया इतना सुखी नहीं था जितना तब जब वही ताक़त राजा के कौंसिल नामवाली पांच-सात आदमियों की गोष्ठी में बंट गई थी। भले ही राजा पूरे ज़ोर से ताक़त को अपनी मुट्ठी में ही यामे हुए था और क्या उनको यह नहीं मालूम कि वर्तानिया तब उतना सुखी नहीं था जब कौंसिल और राजा में विलयी ताक़त उसपर राज कर रही थी जितना तब कि जब वही ताक़त पालियामेट के दो धरों और सैकड़ों सदस्यों में बंट गई थी। और क्यों इसी के आधारपर वे अब यह नहीं समझ लेते कि आज का वर्तानिया का दुःख और ज्यादा सुख में बदल सकता है। अगर वही राजसच्चा गांव गांव में छितरा दी जाय और वर्तानिया के हर गांव को सब बातों के लिए न सही तो बहुतसी ज़रूरी बातों के लिए छोटे छोटे ज़म्हुरी राज्यों का यानी रिप-बिल्कों का रूप दे दिया जाय। अगर वर्तानिया आज ऐसा नहीं करता तो उसकी जनता न सुख-शांति को पहचानती है और न सुख-शांति चाहती है। अगर जनता चाहती भी हो तो वहां के एम. पी. कहलाने वाले पालियामेट के मेम्रर तो हरगिज नहीं चाहते, क्योंकि सच्चा हाथ से छोड़ना मामूली काम नहीं है। वह और अपनाई जा सकती है, छोड़ी नहीं जा सकती। सच्चा छोड़ना, शराब और अफीम छोड़ने से हजार गुना नहीं लाख गुना मुश्किल होता है। और हिन्दुस्तान में आज कौन सी ग्रीमारी है? अंगरेज़ ने हिन्दुस्तान के साथ खरे शब्दों जो सब से बड़ी दग्ध की है या राजनीतिक शब्दों में सब से गहरी चाल चली है तो वह यह है कि वह हिन्दुस्तान के मुँहीभर आदमियों के हाथ में सच्चा थमा कर गया है और उसका बश चलता तो वह उसको अकेले हैदराबाद के निजाम के हाथ में या उदयपुर के महाराणा के हाथ में या इधर-उधर से लाये किसी और राजा-नवाब के हाथ में या और न सही विकटोरिया के खानदान के किसी

जार्ब एडवर्ड के हाथ में यमा कर जाता । पर सन्त के रहते इह तरह की चाल चलने की वह न सोच सका । किसी तरह इम यह मान लेते हैं कि अंगरेज मुद्दीभर आदमियों के हाथों में सत्ता तो दे गया है पर वे हैं देवता-स्वरूप और तभी तो वे खुले हाथों अपनों को ही नहीं, गैरों को भी बांट रहे हैं । पर यह याद रहे कि वे कितनी ही अपने और गैरों में उसे बांटे उससे ज्यादा नहीं छिटरा सकते जितनी अंग्रेज अपनों में छिटराये हुए था । और गैरों में कुछ को बांट कर करोड़ों को ललचाये हुए था । अगर आज हमोर मुद्दीभर सत्ताधारी उसे अंगरेज से ज्यादा खुले हाथों बांट रहे हैं तो इम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि अगर वे दस सेर बांट रहे हैं तो बीस सेर जनता के हाथ से छीन रहे हैं । कप्टोल और राशनिंग जनता के हाथ से राजसत्ता लीचना नहीं तो और क्या है ? इसलिए इस खुले हाथ बैटवरे में भी राजसत्ता के मैदान में टील और ऊँच होते चले जा रहे हैं और तालाब और गहरे होते चले जा रहे हैं । असमता तेजी से बढ़ रही है । सुख-शांति पैरों में पंख लगाये हिन्दुस्तान की ओर पीट किये हुए निकलते सूरज की ओर बढ़ती चली जा रही है । देखे कब पीछे मुड़कर देखती है । इम यह कहे बिना भी नहीं रह सकते कि जैसे काजल की कोठरी में घुस कर कोई काला हुए बौखलाये बिना नहीं रह सकता और राजसत्ता की मदिरा पीकर कोई राजसत्ता की प्यास नहीं मिटा सकता । वह अपने हाथ से राजसत्ता की मदिरा का प्याला कभी नहीं फेंक सकता, होठ से भी नहीं हटा सकता । उस का प्याला तो उस का कोई सच्चा हितैषी ही उस के हाथ से छीन सकता है या कोई सन्त ही उससे छीन कर उसके प्याले और चोतल दोनों को तोड़ कर फेंक सकता है । अगर ऐसे हितैषी या संत अशोक की तरह उन मुद्दीभर सत्ताधारियों को न मिले तो फिर कोई उन जैसा ही उन के बराबर वाला उन के हाथ से छीन कर प्याले को अपने मुंह लगायगा और चोतल छीन कर उल्टी बगूल में दबाकर अपनों के प्यालों में

उंडेलेगा और इन मदमातों के साथ क्या करेगा यह समझने का काम हमने पढ़ने वालों पर छोड़ते हैं ।

केन्द्र जानदार खंटा :

हिन्दुस्तान की राजसत्ता एक कीली के चारों तरफ शुपती चली जा रही है और हर छोटे बड़े में एक लहर दौड़ गई है कि वह आवाज लगाकर यही कहता फिरता है कि सब बल वहीं थोपे जाओ, वहीं थोपे जाओ, और वहीं थोपे जाओ । कीली सचमुच बड़े काम की चीज़ होती है । खंटा सचमुच सहारा होता है । पर वह तभी तक सहारा है जब मैं अपनी भैस का पगड़ा अपने आप उस खंटे में बांधूँ; लेकिन खंटा जानदार हो और मेरे हाथ से मेरी भैस का पगड़ा छीन कर अपने में बांध ले तो वह सहारा नहीं वह तो ढेकला कहलायगा । और आज हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है ? आज केन्द्र जानदार खंटा बना हुआ है और उससे जनता अपनी भैसें नहीं बांध रही, वहीं पगड़ा छीन कर भैसों को बांध दुए है । भैसें प्यासी हैं, वे खूटे से खोली नहीं जाती इसलिए गर्दन तोड़ती हैं । वे भूखी हैं, चरने के लिए खोली नहीं जाती, इसलिए वे रस्ता तोड़ने की कोशिश करती हैं । यह ठीक है कि आज केन्द्र का खंटा खंटा नहीं है । वह तो दीवार में सटाया हुआ बैंटा है और कोई भैस उसे किनना ही जोर लगाकर उखाड़ नहीं सकती । पर इसका क्या भरोसा है कि पगड़ा भी इतना मज़बूत है या गर्दन की गाँठ भी इतनी ही सख्त है कि वह भैस के जोर का पूरी तरह मुकाबला कर सकेगी ? हो सकता है पगड़ा भी इतना ही मज़बूत हो पर इसकी ही क्या गारंटी है कि भैसबाले खड़े खड़े इस गर्दन तुड़ने के तमाशे को चुपचाप उस समय तक देखते रहेंगे जिसकी कोई मियाद बंधी हुई नहीं है । किसी समय यह केन्द्र से बंधने की धृत और धुन भली हो सकती है पर आज तो वह नहीं है । और कुछ बातों के लिए आज भी हो पर हर छोटी-बड़ी बात के लिए आज वह कैसे भी नहीं है । और हम आज ही की बात कह रहे हैं ।

राजसन्ता विखरे :

आब तो इस बात की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि सन्ता को हद से ज्यादा विखरेकर जनता को सुखी और शान्त बनाया जाय। तभी तो राष्ट्र का पिता सन्ता को सीधे विखराने की योजना एन मरने के दिन कांग्रेस के समने रख गया था। पर वह तो ऐसे उड़ा दी गई मानो वह एक ऐसे कोरे संत की कही हुई बात थी जिसका सीधे-नासीधे कभी राजनीति से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा था। हमें संतों की दुखाई पीटने की आदत नहीं है और हवाले दे देकर लिखना भी हमारा तरीका नहीं है। हम तो आखिर-पर जोर इसीपर देना चाहते हैं कि किती तरह का भी बल क्यों न हो इकट्ठे होने से दुखदाई होता है और विखर जाने से सुखदाई। बस, राजसन्ता विखर कर ही, परतरीके से विखर कर ही हिन्दुस्तान में सुख-शान्ति फैला सकती है और सुख-शान्ति का स्वाद पाकर ही जनता उसकी कठर करना सीख सकती है, उसको सरकारने में लग सकती है, उस के बनाये रखने की योजनाओं में जुट सकती है और उसपर अगर किसी तरफ से भी आफत आये तो सर से कफ़न बांधकर उसकी रक्षा के लिए भी निकल सकती है। जान लेने की तैयारी से कभी किसी ने देश की रक्षा नहीं की। जान देने की तैयारी से ही देश की रक्षा हुआ करती है और जान देने के लिए वही तैयार हो सकते हैं जिन्हें सुख-शान्ति की चाट पढ़ गई हो। और सुख-शान्ति सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने बल को दबाने और अन्याय को दबाने के सिवा और ही क्या चीज़ ?

सुख-शान्ति ही सब कुछ है। उसी को जानना और समझना चाहिए। उसी को पाना सब कुछ पाना है और उसको पाकर अपने पर पूरा अधिकार हो ही जाता है। और अपने पर अधिकार करना ही सुखी होना और औरों को सुख-शान्ति बांटना है।

श्रमणों की समस्या

भदन्त आनन्द कौसल्यायन

आर्य-संस्कृति में जैन तथा बौद्ध परिवारक ही सामान्यतः ‘श्रमण’ कहलाते हैं। आर्य-संस्कृति की यदि दो शास्त्राएँ मानी जायः वैदिक तथा अवैदिक; तो जैन तथा बौद्ध ‘श्रमण’ ही अवैदिक संस्कृति के प्रतिनिधि हैं।

‘वैदिकों’ के लिये ‘अवैदिक’ होना जैसे नियम ह तथा निन्दा का भी विषय हो सकता है, ठीक उसी तरह ‘अवैदिकों’ के लिए ‘वैदिक’ होना योड़े उपहास का विषय है।

“वैदिक” धर्म का संन्यास-मार्ग कदाचित्, श्रमण संस्कृति की ही देन है। इसलिये जब हम ‘श्रमणों की समस्या’ की चर्चा कर रहे हैं तब प्रकारान्तर से सभी शास्त्र-सिद्ध परिवारकों की समस्या सामने आती है। ‘श्रमण’ और ‘संन्यासी’ में भेद करने का हमारा अग्रह भी नहीं है।

ऐसे भी विचारक हैं जो संन्यास-आश्रम को ही मात्र अप्राकृतिक मानते हैं। उनकी दृष्टि में किसी को भी कभी भी ‘श्रमण’ अथवा ‘संन्यासी’ नहीं बनना चाहिए। ऐसे विचारकों की बातें अभी रहने दें।

सामाजिक-कारणों से, अर्थिक-कारणों से, नैतिक अथवा आध्यात्मिक कारणों से आज से ढाई हजार वर्ष से भी पहले श्रमण-संस्था की नीव पड़ी होगी। तब से उसने लाभग सभी घरों में किसी-न-किसी रूप में स्थान पाया है।

हर संस्था के कुछ-न-कुछ नियम, कुछ-न-कुछ विनाश (हिसिडिन), रहती है। श्रमण-संस्था की भी है। जैन श्रमणों की है। बौद्ध भिक्षुओं की है। उतनी व्यवस्थित न सही, किन्तु हिन्दू संन्यासियों की भी है ही।

आज हम ‘अमरणों की समस्या’ पर किसी ऐसी सामाजिक दृष्टि से विचार नहीं करने जा रहे हैं, बिल प्रकार हम ‘भिखरमंगों की समस्या’ पर विचार करते हैं। हम इस प्रश्न पर अमरणों की अपनी दृष्टि से विचार करना चाहते हैं।

अमरणों की अपनी समस्या गहरी है। उसका ‘धर्म’ और ‘जीवन’ से सम्बन्ध है, इसीलिये वह कम-से-कम उनके अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने जैन “अमरण” और बौद्ध “भिक्षु” मित्रों के जीवन से दो-एक उदाहरण देकर उस समस्या की ओर अंगुली-निर्देश करना चाहता हूँ।

सारनाथ (बनारस) बौद्ध-तीर्थ तो है ही, वह तीर्थाक्षर श्रेयान्तरनाथ की भूमि होने से जैन-तीर्थ भी है। वहाँ एक जैन-मंदिर है। प्रायः कुछ-न-कुछ लोग बौद्ध-मंदिर के साथ जैन-मंदिर के दर्शनार्थ भी आते ही रहते हैं। मैं सारनाथ में काफी समय रहा हूँ और अब भी मन का सम्बन्ध बना ही है। ‘तथागत’ की धर्म-चक्र-प्रवर्तन भूमि होने से किसी भी ‘भिक्षु’ का ही नहीं, किसी भी भारतीय का ही नहीं, विश्व के किसी भी नागरिक का उससे सम्बन्ध टूट ही कैसे सकता है? जब मैं सारनाथ में रहता था तब प्रायः रोज धूमने जाता। एक दिन शाम को चला जा रहा था कि उधर से एक जैन मुनि आते दिखाई दिए। उन्होंने पूछा :

“सारनाथ-मंदिर कितनी दूर है?”

मंदिर उस स्थान से एक मील भी दूर नहीं रहा होगा, किन्तु थके हुए का योजन लगा हो ही जाता है। मैंने सोचा, यदि मैं इनके साथ वापिस लौट चलूँ तो इन्हें ‘साथ’ हो जायगा और मैं बातचीत करके इनकी चर्या के सम्बन्ध में कुछ-न-कुछ नई जानकारी प्राप्त कर लूँगा। इनका रास्ता कठेगा और मेरा जान बढेगा।

मुनिजी से कुछ ही दूर पर दो आदमी बहुत-सा सामान लिए आ रहे थे। उनकी ओर संकेत करके मैंने पूछा :

“यह आदमी आपके साथ है ? ”

“हाँ ! ”

“तो आप जब यात्रा में रहते हैं, तब आपकी भिक्षा की क्या व्यवस्था रहती है ? इमने सुना है कि जैन मुनियों की ठण्डे-गर्म पानी के विषय में भी मर्यादा है । ”

“हम जहाँ जाते हैं, भिक्षा कर लेते हैं । ”

“आप अपने साथ के इन दो आदमियों से भोजन क्यों नहीं बनवा लेते ? ”

“हम अपने लिये इनसे भोजन नहीं बनवा सकते । हाँ, यह अपने निब के लिये भोजन बनाते हैं । उसमें से हम ‘भिक्षा’ ले लेते हैं । ”

अब आप ज़रा विचार कीजिए कि इस द्रविड़-प्राणायाम का क्या अर्थ है ? मुनि महाराज ‘भिक्षा’ ग्रहण करते हैं । वे उन्हीं दो आदमियों की बनाई हुई ‘भिक्षा’ ग्रहण करते हैं । वे दोनों आदमी जहाँ जहाँ मुनि महाराज जाते हैं सामान लिये उनके साथ-साथ चलते हैं । किसी न किसी शद्धालु सेठ ने मुनि महाराज के लिए ही यह व्यवस्था कर रखी है । यह सब होने पर भी मुनि महाराज को यह स्वीकार करने में अनौचित्य मालूम होता है कि वह भोजन उनके लिये बनता है ।

आप इसे कदाचित् मुनि महाराज का ‘ढोग’ कहेंगे । किसी के भी आचरण के लिये सहसा “ढोग” शब्द का उपयोग करने से सरल कोई दूसरा काम नहीं । किन्तु हमें इसे समझने का, प्रयत्न करना चाहिए ।

मेरी समझ में मुनि महाराज “ढोगी” नहीं थे । वे वैसा ही करने के लिये मजबूर थे । उनके जैसे मानसिक संस्कार थे और उनकी जैसी आर्थिक वा भौतिक परिस्थिति रही उसमें वे और कुछ कर ही नहीं

सकते थे। ठीक उन्हीं की परिस्थिति में कोई भी दूसरा आदमी और कुछ कर ही नहीं सकता।

वे मुनि थे। भिक्षा उन्हें मांगनी ही चाहिए। श्रमण-संस्कृति ने भिक्षा-संस्था की ओर कल्पना की और उसका जो विकास किया उसमें मूल बात यही है कि सन्यासी समाज के लिए 'दूधर' न हो। उसका समाज पर कम-से-कम भार पड़े। यहाँ तक कि किसी को भी 'उसके लिए' भोजन न बनाना पड़े। गृहस्थ जो अपने लिए बनाए उसी में से मधूकरी-वृत्ति से साधु पार घरों से थोड़ा थोड़ा लेकर अपना जीवन-निर्धारा कर ले। इसी दृष्टि से जैन-श्रमणों की चर्या में यह उत्कृष्ट नियम है कि वह वही भोजन करें जो उनके लिए न बना हो। अब इस नियम के रहते मुनि महाराज "अपने लिए" उन आदमियों से भोजन बनवाने लग जाएँ तो उनमें तथा दो नौकरों को साथ साथ लिए फिरनेवाले किसी भी सेठ-साहूकार में अन्तर नहीं क्या रह जायगा?

प्रश्न होता है, तब वे जहाँ जाते हैं वहीं "भिक्षा" क्यों नहीं मांग लेते? आज प्रायः भिलारी ही 'भिक्षुक' रह गए हैं। भिलारियों को जो और जैसा भोजन बैसे मिलता है उसे आज कौन श्रमण प्रहण करने के लिये तैयार है? और सच्ची बात है 'श्रमण' को यदि 'भिक्षा' मिलती है तो पूज्य-बुद्धि से ही मिलनी चाहिए; कुछ दया-बुद्धि से नहीं। 'श्रमण' अपरिग्रही है, वह दरिद्र नहीं है। वह भिक्षु है; भिलमंगा नहीं है। जिस दिन श्रमण भिलमंगा हो जायगा उस दिन उसकी तेजस्विता ही नष्ट हो जायगी।

फिर मुनि-महाराज को 'पानी' भी क्या? 'सामान' क्या पानी? ही चाहिये है जो उनके लिए गरम न किया जाना हो! तब वे उस घर भिक्षा मांग ही कैसे सकते हैं? परिणाम वही होगा, जिसका निरूपण महाराज की चर्या में दर्शन हुआ है।

अब मैं अपने ही एक स्नेह-भाजन श्रमण महिन्द्रजी का उदाहरण लेता हूँ। जैन-श्रमणों की तरह बौद्ध-श्रमणों से भी पास मैं पैसा न रखने की आशा की जाती है। श्रमणों की दोनों 'विनयों' में ही नहीं, सभी परिवाजकों को इच्छा-पैसा रखना चाहिए है। श्रमण भिक्षा-जीवी है। रोज़ की रोज़ भिक्षा मांग खाता है। पैसा उसके किस काम का? पैसा रखेगा तो संग्रह भी हो ही चायगा। उस के नष्ट होने का भय रहेगा और उस के सुरक्षित रखने की चिन्ता।

किसी भी भिक्षु अथवा श्रमण को क्या जरूरत पड़ी कि वह अपने आप को 'निज्ञानवे के फेर' में डाल व्यर्थ हैरान हो! इसीलिये श्रमण-संस्थाएँ प्रत्येक के लिये 'अपरिही' रहना अष्ट नियम ठहराया गया है।

श्रमण महिन्द्र बर्मा से बौद्ध-दीक्षा लेकर आए हैं। नया मुला बहुत अल्प-अल्प पुकारता है, यह एक सर्व व्यापक सिद्धांत है। बिचार श्रद्धापूर्वक जितना ज्ञान है उस के अनुसार 'विनय' पालन करने की पूरी चेष्टा करते हैं। पैसा न रखने का नियम तो एक अत्यन्त सीधा-सादा नियम है, जो सभी श्रमण परम्परा को मान्य है। इन पंक्तियों का लेखक स्वयं वर्णों पैसा न रखने व्यौर रखने की उल्लंघनों में उलझा रहकर आज किसी भी सामान्य आदमी की तरह पैसे का व्यवहार करने लग गया है। उस दिन सारनाथ में महिन्द्रजी ने कहा :

"मेरा कुछ पैसा अमुक.....आदमी के पास है। वे जा रहे हैं। आप के साथ कोइ आदमी हो तो उस दिल्ला हूँ।"

"आपका पैसा मैं भी ले सकता हूँ" कह कर मैंने वह अपने साथी गुणाकर को दिल्ला दिया।

दूसरे दिन उन के दिल्ली के पास एक छोटीसी बगह तक जाने की व्यवस्था करनी थी। मैंने उसके पैसे ले यह व्यवस्था कर देने का भार

अपने ऊपर लिया । स्टेशन पहुँचा । बाबू से पूछा—“आप एक टिकट दे देंगे ?”

“अभी गाड़ी आने में देर है । एक घण्टे बाद मिलेगा ।”

टिकट मुझे इन स्वामीजी के लिए चाहिये । यह पैसा पास रखते नहीं । मैं इन्हें अभी टिकट ले देकर चला जाना चाहता हूँ ।”

“तो लाइए, किन्तु कहाँ का चाहिए ?”

स्टेशन का नाम चताया । वह छोटा-सा स्टेशन ! बाबू की रेलवे-गार्ड तक मैं नहीं ही मिल रहा था । मैं ढाई रुपये का एक नया टाइम-टेबल खरीद लाया । उसमें स्टेशन का नाम दिखा कर कहा—“यह स्टेशन है ।”

वह छोटा-सा स्टेशन ! उसकी मील-संख्या नहीं दी थी ! पता नहीं कितना किराया लगता है ? वहाँ गाड़ी ठहरती है या नहीं ? इन दो प्रश्नों को लेकर कापी परेशानी हुई । अंतमें बाबू ने दो दो स्वामियों के प्रभाव से प्रभावित होकर टिकट बना दिया ।

मैं चाहता था कि महिन्द्रजी को रात को सुरक्षित सोने की जगह भी मिल जाए । स्थान सुरक्षित करनेवाले कलर्क से भेट की । उसने कहा :

“गाड़ी आने पर ही इम् कुछ कर सकते हैं । गाड़ी यहाँ से चलती होती तो अभी कुछ कर देते ।”

“यह स्वामीजी पैसा नहीं रखते । मैं अभी जाना चाहता था । आप पैसा ले लेते । गाड़ी आनेपर स्थान सुरक्षित कर देते ।”

“यदि गाड़ी मैं स्थान न मिले तो मैं यह पैसा इनको लौटा दूँ ?”

“अरे ! यह पैसा रखते होते तब तो बात ही क्या थी ! आप ऐसे करें, यह पैसा रख लें । मैं किर आ जाऊँगा । यहि इन्हें स्थान न मिला तो आप यह पैसा मुझे लौटा दीजिएगा ।”

महिन्द्रजी साथ साथ यह सब देख सुन रहे थे। अब उनसे न रहा गया। वे छोटे बचे नहीं हैं। उन्होंने गृहस्थ-जीवन में, फौज में ओवर-सीयरी की है। उनके मन में छोपे हुए बुद्धिवाद ने उनकी भावना पर कहीं चोट लगाई। वह चोट आँख बनकर बढ़ने लगी। बोले :

“मन्ते ! मुझे क्षमा करें ! मैं नहीं जानता कि यह शील-पालन है अथवा दुःशीलता है ? आप को मेरे कारण इतना कष्ट हो रहा है !”

मैंने उन्हें दाढ़स बंधाई :

“मासूली बात है। किसी भी नियम-पालन में थोड़ी असुविधा होती ही है। हर नियम-पालन के एक से अधिक पहलू होते हैं। आपको यह पहलू भी देखने मिल रहा है। अच्छा ही है।”

अब भी महिन्द्रजी पैसा न रखने के उस नियम को निशाह तो रहे हैं, किन्तु मैं जानता हूँ कि उनके हृदय में एक स्थायी संदेह घर किए हुए है कि यह शील-पालन है अथवा दुःशीलता !

श्रमण-संस्कृति के दो सामान्य प्रतिनिधियों के जीवन से ली गई यह दोनों सामान्य घटनाएँ किस बात की ओर इशारा करती हैं ? ये कौनसा प्रश्न हमारे सामने लाकर खड़ा करती हैं ?

प्रश्न सीधा-सादा है। वह प्रश्न किसी भी चारित्य-हीन दोगी श्रमण को हैरान नहीं करता। किन्तु, जिसके जीवन में सचाई है, जिसके जीवन में अद्वा है, उसके सामने सचमुच यह बड़ा भारी प्रश्न है कि आखिर वर्तमान समय में उसके धर्म-जीवन का माप-दण्ड क्या हो ?

अभी कल-परसो जग्बूमुनिजी महाराज तथा उनके गुरुजी ने मुझसे अपिलने आने की कृपा की थी। गुरुजी ने जो प्रश्न मुझसे पूछे वह ऐसे ही थे “रेल में चढ़ सकते हैं या नहीं ? शाम को भोजन खा सकते हैं वा नहीं...इत्यादि ।”

उनके वे प्रश्न महस्त्वपूर्ण हैं। वे बतलाते हैं कि आज के अनेक चिन्तक भ्रमणों के लिए यह एक बड़ी भारी समस्या है कि वे रेल में चढ़े, अथवा नहीं? शाम को खाएं अथवा नहीं?

किन्तु, मैं हरे दूसरी दृष्टि से देखता हूँ। मेरी विश्वासा यह है कि क्या एक 'मुनि' रेल में चढ़ने से 'मुनि' नहीं रहता और यदि वह रेल में नहीं ही चढ़े तो क्या यह कोई ऐसी विद्येष जात है जिसे किसी के भी धार्मिक-जीवन का ऊचा माप दण्ड माना जाय?

'विनय' के सभी नियम साध्य हैं, साधन नहीं। क्या देश-काल के बदलने पर साध्य की सिद्धि के लिए बहुधा साधन बदलने नहीं पड़ते? कुछ लोगों का कहना है कि यदि कोई अभ्रण 'विनय' नहीं पालन कर सकता तो उसे 'अभ्रण' बनने की ही क्या आवश्यकता है? मेरी विश्वासा है कि क्या जीवन के धर्म-रूप का मात्र प्रतिनिधित्व इन नियमों के पालन द्वारा ही होता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि देश-काल की ओर ध्यान न दे, जड़वत् किन्हीं नियमों को पालते रहना 'अधर्म' का ही दोतक हो? प्रश्न नियमों के पालन कर सकने अथवा न कर सकने का नहीं है। प्रश्न नियमों के पालन करने के औचित्य तथा अनौचित्य का है।

'नियमों' का पालन करना और वर्तमान सुग के सामान्य जीवन के माप-दण्डों के मुताबिक कौतुकागार की सामग्री बनकर पड़े रहना एक रास्ता है।

'नियमों' को पालन-करना उचित न समझने के कारण दीक्षा का ही त्याग कर देना दूसरा रास्ता है।

'नियमों' के पीछे जो मावना है उसे ग्रहण कर देश-काल के अनुसार उन नियमों का नये ढंग से पालन करना तीसरा रास्ता है।

अभ्रणों का भविध्य इन तीन रास्तों में से एक सही रास्ता चुनने पर निर्भर करता है। यदि 'संघ' न चुन सके तो फिर व्यक्ति को ही चुनाव करना पड़ेगा।

दखें अभ्रण-संस्था का भावी इतिहासकार क्या लिखने जा रहा है।

३ :

कर्तव्य और अधिकार

महात्मा भगवानदीनजी

जीवन का निचोड़

विलायत के कवि बायरन के बारे में यह बात मशहूर है कि जब वह इमित्हान के परचे के इस सवाल के बारे में सोच रहा था कि “पानी हज़रत ईसा को देख कर क्यों शराब बन गया ?” इस पर एक लेख लिखो ” तो वह धंटों सोचता रहा पर उसकी समझ में कुछ न आया । जब तीन धंटे पूरे होने को हुए तब कहीं उसको एक बात सूझी और वह यह थी कि जब पानी ने अपने मालिक को देखा तो वह खिल उठा । बस, उस सवाल के ज़बाब में इतने ही शब्द लिखे और कहते हैं कि वह इमित्हान में पास हो गया । इसी तरह मैंने बहुत शोचा कि कर्तव्य और अधिकार के बारे में क्या लिखा जाय तो मुझे बस इतनी ही बात सूझी । कि कर्तव्य और अधिकार भारतीयों के जीवन का निचोड़ है और उसके बारे में ऐसे इतना ही कहा जा सकता है कि ‘कर्तव्य-गालन पर हम अधिकार हासिल करें और कर्तव्य-पालन ही हमारा अधिकार है ।’ इतना कहकर रेडिओ बालों की और आप सुननेवालों की तसली ही जानी चाहिए थी । पर न मैं बायरन हूँ और न आप उस तरह के परीक्षक हैं । इसलिये तेरह मिनट अभी और कुछ कहना पड़ेगा ।

दोनों एक दूसरे में समाहित

कर्तव्य और अधिकार भारतीय जीवन में इतने मुलमिल गये हैं कि आप अधिकार को बिना कर्तव्य के और कर्तव्य को बिना अधिकार के न

सोच सकते हैं, न बोल सकते हैं और न कर सकते हैं। हमारे यहाँ का शब्द 'अधिकार' अपने पीछे एक कथा लिये हुए है। और यही हाल कर्तव्य का है। अधिकार और कर्तव्य के लिए अंगरेजी में शब्द है Right और duty। पर ये Right और duty ही कब वह माने रखते हैं जिन मानों को लेकर आज अमेरिका और यूरोप वाले लड़ रहे हैं और जिनकी देखादेखी हम सब भारतीय भी बैठा ही कर रहे हैं। अधिकार पाने की लड़ाई कैसी ? और अधिकार हासिल करने से रोकेगा कौन ? अधिकार हमारी कमाई का फल होता है। बल, वह कर्तव्य कमाई का फल है। अधिकार के और हमारे बीच में कोई आ ही कैसे सकता है ? क्या पेड़ और फल के बीच में कभी कोई आ पाया है ? क्या दीपक जलने और प्रकाश होने के बीच में कभी कुछ देर लगी है ? इसी तरह कर्तव्य-पालन करते करते हम किसी-न-किसी अंश में अधिकार पाते ही रहते हैं। और किसी-न-किसी चीज़ के अधिकारी बनते ही रहते हैं। उसको साफ़ समझने के लिए आइये आपको उन दिनों के भारत में ले चलें जिन दिनों सिकन्दर का हमला उसकी उत्तर-पञ्चमी सरहट पर हो रहा था। सिकन्दर के मुकाबले में था राजा पुरु। हम यहाँ इस वक्त सिकन्दर और पुरु के कर्तव्यों और अधिकारों की चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे उस वक्त के दो मामूली आदमियों की जो खेती का काम करते थे। ये दोनों पुरु के दरबार में उस वक्त पहुँचते हैं जब सिकन्दर भी पुरु के पास बैठा हुआ होता है। इन दोनों मामूली आदमियों में से एक को दूसरे के खिलाफ़ यह शिकायत थी कि यह मेरी ज़मीन में निकले हुए खजाने को लेने से इन्कार करता है और दूसरा अपने इन्कार की बजह यह बताता था कि जिस ज़मीन में यह खजाना निकला है उस ज़मीन को मैं इसके हाथों बैच लुका और जब वह ज़मीन मेरी नहीं रही तो उसमें से निकला हुआ खजाना मेरा कैसे हो सकता है ?

कर्तव्य और अधिकार का एकता का आनन्द

देख लिया आपने ! कर्तव्य और अधिकार भारतीय जीवन में मिछकर कितने एकमेक हो गये और इनकी एकमेकता आज भी कभी कभी जब आँखों के सामने आ जाती है तब देखने वाले गद्गद हो उठते हैं। और इसी एकमेकता के फल की बात कभी हम सुन लेते हैं तो इतना मन उत्संगता है कि आँखों से आँख बहने लगते हैं। अब सोचिये जो आदमी इष्ट तरह से अपने जीवन में कर्तव्य और अधिकार को एकमेक कर लेगा उसको इष्ट एकमेकता के आधारपर खड़े होकर काम करने में कितना आनन्द आयेगा। पुरुषुग के उस किसान के आनन्द को ज़रा तोलकर देखिये कि जब उसकी ज़मीन में ख़जाना निकलता है तो वह अपना यह कर्तव्य समझता है कि वह उस ख़जाने के असली मालिक को जितनी जलदी हो सके वह खुश ख़बर सुनाये कि उसकी ज़मीन में उसका ख़जाना मिला है और वह अपना ख़जाना ले ले। ख़जाने के लिये अपने कमाये हुए पैसे से मोल ली हुई अपनी ज़मीन को उसकी ज़मीन मानता है। उसका कर्तव्य उसे सिर्फ ज़मीन पर अधिकार करने को कहता है, उस ख़ज़ाने पर नहीं, जो ज़मीन के सौदे में शामिल नहीं है। उधर दूसरा आदमी यानी ज़मीन बेचने वाला जो अपनी ज़मीन पर की हुई मेहनत का फल रूपयों के रूप में पूरा पूरा पा चुका होता है, वह अपना यह कर्तव्य समझता है कि वह तिर्फ उन रूपयों पर अधिकार जमाये जो उसे सौदे में ईमानदारी के साथ मिले हैं, न कि उस ख़जाने पर जिसके बारे में न वह जानकार है न अज्ञानकार। अब अगर पहला आदमी ख़ज़ाने पर अधिकार जमा लेता है तो वह कर्तव्य भूल जाता है और कर्तव्य के बिना पाया हुआ अधिकार डरावनी चौंज़ी है। वह चरित्र तो बिगड़ा ही है, जान को भी जोख़म में डालता है। इसी आदमी के मामले को ले लीजिये। अगर वह ख़जाने को अपनाना अपना अधिकार मानता है तो उसे अपने कर्तव्यशील मन

को सौ असत्य युक्तियाँ देकर समझाना पड़ेगा और तब भी मन की पूरी पूरी तसल्ली न हो पायेगी और अगर किसी तरह से मन की तसल्ली उसने कर ही ली तो मन कर्तव्य-शीलता में या तो ढीला पड़ जायगा या उसे हमेशा के लिये खो बैठेगा। और फिर चरित्र क्या रह जायेगा? रही जान-जोखम की बात। यह हो सकता है कि उस ख़ु़ज़ाने का असली या नकली कोई दावेदार खड़ा हो जाय और न मालूम फिर किन किन शंखटों का सामना करना पड़े और हो सकता है जान भी जोखम में पड़ जाय।

अधिकार का अधिकारी

यहाँ हमें बंकिम बाबू की दलील याद आ जाती है। वे अपने 'चौदे का चिह्न' में एक जगह अदालत में 'चौबेजी' के मुँह से बड़े मजे की बात कहलवाते हैं। उस बात से अधिकार और कर्तव्य दोपहर के चमकते हुए सूरज की रोशनी में आ जाते हैं। चौबेजी के मुँह से निकलता है “जीत के बल पर अगर किसी देश पर किसी राजा का अधिकार ठीक माना जा सकता है, तो चौरी के नाते चौरी की हुई चीज़ पर चोर का अधिकार क्यों ठीक नहीं?” यहाँ यह तो समझ ही लेना चाहिए कि ईमानदारी से कर्तव्य-पालन करते हुए मेहनत से कमाई हुई चीज़ पर ही अधिकार सच्चा अधिकार होता है। और उस अधिकार को कोई देता नहीं। वह हमें कर्तव्य को प्रकृति की देन होती है और उसी का दूसरा नाम अर्जन करना है। ‘ईमानदारी से कर्तव्य पालन करते हुए’ शब्द निकाल दिये जायें तो अधिकार ना-सच्चा अधिकार हो जाता है। क्योंकि मेहनत तो चुराकर चीज़ लाने में भी कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है जितनी उसके कमाने में भी न होती। चोर भी तो यातो जागता है। और हर रात उसको माल नहीं मिल जाता। जब भी कुछ उसको मिलता है वह कई रातों के जागने का फल होता है। इतना ही नहीं

उसे उस काम में कभी कभी अपनी जान जोखम में डालनी पड़ती है। और किर भी राजा न उसकी इच्छा मेहनत का स्वयाल करता है और न जान जोखम में डालने की ओर ध्यान देता है। इतनी मेहनत से चुराई हुई चीज़ को राजा उसे छीन लेता है और जिसकी होती है उसको दे देता है। वह इतना ही नहीं करता, चोर को सज़ा देता है और उससे ऐसी मेहनत करता है जिसे करने को उसका जी नहीं चाहता। यह वह इसलिये करता है कि चोर कर्तव्य को समझने लगे, ईमानदारी को जान जाय और इस तरह सच्चे और ना-सच्चे अधिकार में अन्तर करना सीख जाय। हाँ, तो अब यह पता चला कि कोरी मेहनत से किसी चीज़ पर अधिकार नहीं होता और अगर हो भी जाय तो या तो वह अधिकार अपनी जान जोखम में डालेगा या किसी दूसरे को सतायेगा या दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जायगा। जैसे कोई डाक्टरी की कला पर कोरी मेहनत से अधिकार कर ले और उसके साथ ईमानदारी और कर्तव्य-पालन की पुट न दे तो नसीजा यह होगा कि वह डाक्टर लालच में पड़कर ऐसे ऐसे निकम्मे काम करने लग जायगा जिसकी बजह से लोग दुखी होंगे और एक दिन वह खुद भी आफत में फँसेगा और हो सकता है फँसी पर भी चढ़ा दिया जाय। यही बजह थी कि भारत के ऋषि-मुनि और भारत के बड़े बूढ़े किसी को किसी विद्यापर अधिकार कराने से पहले उसको अच्छी तरह से परख लेते थे और देख लेते थे कि वह ईमानदारी के साथ कर्तव्य पालना जानता है या नहीं। यह दो बातें देखकर ही वे किसी को विद्या पर अधिकार कराते थे। यह बात गुलत है कि वे शूद्रों का विद्या पर अधिकार नहीं कराते थे और जिसने जाबाली ऋषि की कथा पढ़ी है वह तो यह गान ही नहीं सकता कि भारत के ऋषि-मुनि ऐसा भेद-भाव करते थे। कथा याँ है :

जाबाली नाम की एक नारी थी। उसे सच पर अधिकार पा और इस नाते कर्तव्य-पालन पर भी अधिकार था। उसके बारह बरस के बेटे को विद्या पढ़ने की सुझी। उन दिनों पाठशाला में गोत्र बताना ज़करी होता था और गोत्र बिना बाप के होता नहीं। इसलिये जब वह लड़का अपनी माँ से गोत्र पूछने पहुंचा तो उसकी माँ ने सच सच कह दिया कि गुरुजी से कह देना कि मैंने तुम्हें पर का दासी का काम करते हुए पाया है। अगर तेरा गोत्र कुछ हो सकता है तो जाबाली के नाते जाबाल हो सकता है। इसी कर्तव्य-अधिकार मिले मंत्र ने गुरुजी का दिल पिघला दिया और गुरुजी को उसे अपना विद्यार्थी मानना पड़ा और यही लड़का फिर जाबाली शृंखि बन गया।

कर्तव्य-पालन और अधिकार

यह बात किसी दरजे तक सच है कि उन दिनों के ब्राह्मण आमतौर से ईमानदारी के साथ कर्तव्य-पालन करने के जन्म से ही आदी होते थे, इस वास्ते ब्राह्मणों को विद्या दी जाती थी, पर वह बात तो आज भी मौजूद है और हर देश में मौजूद है। आज ईमानदार और सब तरह से योग्य आदमी को दूपतर में इतनी जल्दी जगह नहीं मिलती जितनी एक बी०८० या एम०८० को। इसकी बजह सिर्फ यही है कि आमतौर से कालेज से निकले हुए स्नातक ईमानदारी से कर्तव्य-पालन करने वाले निकलते हैं। यह दूसरी बात है कि आज यह बात भारत में ही नहीं, सभी जगह ढीली पड़ गई। पर यहाँ तो कहना इतना ही है कि कर्तव्य-पालन की कला आये बिना या कर्तव्य-पालन का अभ्यास हुए बिना न अधिकार कोई कराता है, न अधिकार कोई देता है, न अधिकार कोई मिलता है और न अधिकार कोई कमाया जा सकता है।

पुराणों की कथाएँ

भारत के सारे पुराण कर्तव्य और अधिकार की एकमेकता से पैदा हुए फलों का कथन मात्र है। हो सकता है कहाँ कहाँ उन पुराणों में ऐसी

चीज़ आगई हो जो इस कस्टी पर न कही जा सके। तो इस अपने सुनने वालों से यही प्रार्थना करेंगे और अगर इस सलाह देने के अधिकारी हैं तो यही सलाह देंगे कि वे पुराण के उत्त भाग से कोई सीख न लें जो इस कस्टी पर ठीक नहीं उत्तरता। आजकल सब जगह धीर्घामूर्ती से पाये अधिकार का बाजार गर्म है और अकर्तव्य इसी कर्तव्य का जामा पहने बहुत सस्ते दामों बाजार में मिलता है। इसलिये हमें उसकी खरीदारी से बचना चाहिए और थोड़ीसी तक़लीफ उठाकर कर्तव्य और अधिकार के उभी रास्ते पर आ जाना चाहिए जिसे भारत के लोग अपनाये हुए थे, आज भी कुछ कुछ अपनाये हुए हैं और जिनकी बजह से ही भारत उठा है, आजाद हुआ है, चमका है और चमकता हुआ रखा जा सकता है।

कर्तव्य आत्मानन्द है

गेहूं के बीज को आप कर्तव्य समझिये, गेहूं के डंठल को आप अधिकार मानिये और गेहूंओं से लदी गेहूं की बाल को आप आत्मानन्द मानिये, और अब सोचिये कि गेहूं बोकर कोई किसान भूसा मिल जाने की चर्चा करे और गेहूंओं को बिल्कुल भूल बैठे तो वह आप की नज़रों में हँसी की चीज़ होगा या नहीं ? ठीक इसी तरह अगर आप कर्तव्य-पालन करने के बाद आत्मानन्द की जात छोड़कर अधिकार-अधिकार के ही गीत गायें तो समझदार आप पर हँसेंगे या नहीं ? ठोस्तो, इसलिये मेरी तो यही सलाह है कि आप कर्तव्य किये जाइये और आत्मानन्द की गंगा में हुब्बियों लगाइये। अधिकार आप के पांव छूता हुआ नज़र आयेगा।

सचाई का सिक्का

सचाई...सिक्के के कर्तव्य और अधिकार के दो पहलू हैं और जिसने इथ में सचाई का सिक्का है उसी को आत्मानन्द प्राप्त है।

[ऑल इण्डिया रेडिओ नागपुर से प्रसारित

: ४ :

वैश्यों का धर्म

आचार्य विनोदा

हिन्दू धर्म ने एक समाज-रचना की थी जिसमें लोगों को काम बांट प्रटिया गया था। उसमें वैश्यों के लिए कृषि, वाणिज्य और गौ-सेवा ये तीन धर्म बताए गए हैं।

धर्म वह है जिसके लिए मनुष्य शरीर धारण करता है। धर्म सब के भले के लिए होता है। जो ऐसे धर्म को मानता है वह जरूरत पड़ने पर आवश्यक त्याग भी करता है। कुटुंब में लोग एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं जैसे से उन्हें धर्माचरण का समाधान रहता है। ऐसा न होता तो हमारी हालत जानवरों-जैसी होती। इस कुटुंब-व्यवस्था ने हमें जानवर बनने से बचा लिया। इसी प्रकार हरएक के लिए सामाजिक धर्म नियत किया गया था, जिसमें वैश्यों का धर्म कृषि, गौ-सेवा और वाणिज्य द्वारा समाज-सेवा करना बताया गया था।

किन्तु वैश्यों ने कृषि और गौ-रक्षा को मुश्किल समझ कर उन्हें छोड़ दिया। बाद में यह काम ऐसे लोगों को सौंपा गया जो आवश्यक मेहनत तो कर सकते थे परंतु इस काम के योग्य शास्त्रीय ज्ञान उनके पास न था। इनका एक नया वर्ग बनाया गया जिसकी गिनती बाद में शूद्रों में होने लगी।

मैं मानता हूँ कि पुराने जमाने में वैश्य समाज के सच्चे सेवक होते थे। वे अपना पैसा, अपनी बुद्धि, सब कुछ समाज की सेवा में लगाते थे। इसीलिए उन्हें महाजन भी कहा गया है। समाज में व्यापारियों

की अच्छी प्रतिक्षा हुए बिना तो उन्हें 'महाक्षन' नहीं कहा गया होगा । वे सत्य-निष्ठ और सेवा-परायण न होते तो यह पदवी उन्हें न मिलती ।

लेकिन जब लेती और गौ-रक्षा का धर्म उनसे छूट गया तो उनका तेज घटने लगा । फिर भी जिन लोगों ने समाज का यह काम संभाला उनमें और वैश्यों में परस्पर संबंध अच्छे रहे । परंतु मेहनत करने वाले लोग धीरे-धीरे हीन समझ बाने लगे । जब अंग्रेज व्यापारी यहाँ आए तो उन्होंने यह सारी परिस्थिति देखी । उन्होंने देखा कि व्यापारी लोग किसानों को नीचा मानते हैं, उनके हाथ का खाते-पीते नहीं । उनमें और व्यापारियों में प्रेमभाव नहीं है । इतनी दूर से आनेवाले अंग्रेजों के हाथ यह अच्छा मौका लग गया । उन्होंने अपना व्यापार शुरू कर दिया । जब सारा व्यापार हमारे व्यापारियों के हाथ से उनके हाथ में चला गया तो उन्होंने यहाँ अपनी सेना भी बना ली । आगे का हाल तो आप सक जानते हैं ।

इस तरह दक्षता न रखने, कारीगरों को हीन मानने और चूसने के कारण व्यापारियों के हाथ में व्यापार के बजाय केवल दलाली बच्ची रह गई ।

आज व्यापारी लोग भले-बुरे उपायों से धन कमाते हैं, और कुछ दान भी करते हैं । परंतु देश में उनकी प्रतिष्ठा नहीं रही । उनके लिए अब आदर के शब्दों का प्रयोग नहीं होता । दूकानदार कुछ खरीदने के लिए आए हुए छोटे बच्चों को भी ठगने से बाज नहीं आता । फिर ऐसा राष्ट्र कैसे उभत रह सकता है ?

प्रश्नोत्तर

प्रश्न—मुनाफे की मर्यादा क्या होनी चाहिए ?

उत्तर—वाणिज्य की गीता के अर्थ में अगर हम धर्म मान लेते हैं तो मुनाफे का संवाल ही नहीं उठता । किसान और आम जनता हमारी

मालिक है। और हमें मालिक की सेवा करनी है। इसलिए मबदूर या किसान जो कुछ निर्माण करता है उसके वितरण में हमें सिर्फ मेहनताना लेना है और हर बक्त यह सोचना है कि देश की संपत्ति कैसे बढ़ सकती है। आठ घंटे काम कर के मबदूर केवल एक रूपया पाए और व्यापारी एक हजार, तो यह धर्म नहीं है। धर्मयुक्त व्यापार में न मुनाफा होना चाहिए न धाय। तराजू के पलड़ों की तरह दोनों बाजू समान होनी चाहिए। लेकिन आज तो व्यापारियों के दिल में संचय की वृत्ति ने धर कर लिया है। सच्चा श्रीमान् तो वह है जिसका धन और धान्य, जैसे तुकाराम ने कहा है, धर-धर में भरा है। जिसके जीवन को उसके इर्द-गिर्द की बनता चाहती है, वह सच्चा धनी है। जिसे लोग चाहते ही नहीं हैं वह तो भिखारी है। कबीर का वचन है :—

पानी बाढ़ो नाव में, धर में बाढ़ो दाम ।
दोनों हाथ उल्लिखिए, यही उयानों काम ॥

नौका में पानी बढ़ जाने पर जैसे हम उसको, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से बाहर केंकते हैं, उसी तरह बढ़े हुए धन को धर के बाहर केंक कर धर को बचाना चाहिए। यदि लेनेवाला मिल जाय तो उसका उपकार मानना चाहिए। फुटबाल की तरह धन का खेल होना चाहिए। गेट को कोई अपने पास नहीं रखता। वह जिसके पास पहुँचती है वही उसे केंक देता है। 'पैसे' को इस तरह फेंकते जाइए तो समाज-शरीर में उसका प्रवाह बहता रहेगा और समाज का आरोग्य कायम रहेगा। संस्कृत में 'पैसे' को द्रव्य कहा है। 'द्रव्य' माने बहेवाला। अगर वह स्थिर रहा तो रुके हुए पानी की तरह उस में बदबू आने लगेगी।

प्रश्न—महात्माजी ने तो कंट्रोल उठाया था, क्या अब पुनः कंट्रोल रखने से बनता को तकलीफ नहीं होगी ?

उत्तर—महात्माजी की सलाह तो ठीक ही थी, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। जिस राष्ट्र में चरित्र-शीलता नहीं है उसमें कोई योजना काम नहीं कर सकती। कट्टोल उठाया तो चीजों के दाम बढ़ गए। नहीं उठाते तो काला-बाजार होता। मैंने इसका हल बताया है कि लगान में अनाज वसूल किया जाय। मैं मानता हूँ कि इस से हमारी समस्या काफी सुलझ सकती है। रहा कपड़े के बारे में, उसका मुख्य उपाय तो चरखा ही है। साथ-साथ आज जो मिलें हैं उन्हें देश की मिल्कियत करना चाहिए, समाजवादी तो इसकी मांग कर ही रहे हैं, किंतु मुझ भी परमेश्वर को साक्षी रखकर प्रार्थना-सभा में दुःख के साथ कहना पड़ा कि मिल-मालिकों ने देश को दगा दिया है। देश की मिल्कियत होने के बावजूद भी देश के लोगों को मिली पर निर्भर नहीं होना चाहिए, हाथ से कपड़ा बना लेना चाहिए। उनको इस बारे में तालीम देने आदि का इंतजाम चरकार को करना चाहिए। अगर अब और वस्त्र इन दो चीजों का इस इस तरह प्रबंध कर लेते हैं तो और चीजों की विशेष वित्ता नहीं रहती।

इंदौर

१८-८-४८

: ५ :

संस्कारों का पागलपन

राजमल ललवाणी

दर्शन या काव्य की भाषा में जगत मुसाफिरखाना या सराय भले ही हो, लेकिन मेरे लेखे तो दुनिया एक पागलखाना ही है। और यह ऐसा पागलखाना है जिसमें पूज्य और पुजारी, मालिक और सेवक, पति और पत्नी, रोगी और वैद्य, अपराधी और न्यायाधीश, चोर और तिपाही, सभी पागल हैं।

‘दुनिया कहती मुझको पागल,
मैं कहता दुनिया को पागल’

यह कोई मूर्ख की आवाज़ तो है नहीं, जिसकी उपेक्षा या घृणा की जाय। यह तो वास्तविक सत्य है—ऐसा सत्य जो परथर की रेखा से भी अमिट और स्थायी है। मैं जिसे पागल कहता हूँ, वह मुझे और साथ ही मेरे परिवार को भी पागल कहता है। अब अगर मैं कुठ नहीं बोलता हूँ तो वह कैसे सत्य नहीं बोलता होगा?

पागलखाने में रहने वाला ही पागल होता है, ऐसी बात नहीं है—कभी कभी तो समझने में ही पागलपन आ जाता है।

बस, अब आप समझ गए होगे कि पागलपन समझ का होता है। समझ एकतर्फा भी हो सकती है, लेकिन प्रायः वह दुहरी, तिहरी और सामूहिक ही होती है। संस्कार और परम्परा से बंधी आदतों के पीछे जो समझ का रखेया या प्रवृत्ति होती है, वह पागलपन सामूहिक या पारिवारिक होता है। वैयक्तिक पागलपन वह है जो आदतों पर निर्भर रहता है।

इस तरह वैचारिक, धार्मिक, राजनैतिक पागलपन भी हो सकते हैं। पागल-पन जान बूझकर योड़े ही बढ़ता या मजबूत होता है। खुद को यदि पता लग जाय तो वह पागलपन योड़े ही रह जाएगा। यह तो दूसरों को ही दीखता है, और वहीं से उसे पनपने का अवसर मिलता है। आज मैं भी ऐसा ही एक पागलपन कर रहा हूँ। पागलों की दुनिया का मैं एक प्राणी, यदि बहक नहीं जाऊं तो ही विशेषता। मैं अङ्गसर बहक जाया करता हूँ, यह मेरी जागतिक स्थिति है।

इन पागलपन की बातों को मैं कैसी मानता हूँ, यह पाठकों का नहीं, मेरे जानने का विषय है। यहाँ कुछ उदाहरण देता हूँ। पाठक उन्हें निर्लिप्त होकर पढ़ें, विचार करें। कृष्ण भगवान का उपदेश है कि निष्काम कर्म करो। आप रोयें या हँसें तो इसकी बिम्बेदारी हृष्टव्य पागलों या पागलों के दर्शक की नहीं, निरीक्षकों की है। मैं तो अपना काम करूँगा, और!—छुट्टी। और क्या?

यह एक पागलखाना है। इसे पागलों का अजायब-घर ही कह लीजिए। यहाँ सेकड़ों प्रकार के रोगी रहते हैं।

शायद इसे आप जानते हैं कि पागलों का रोग शारीरिक नहीं, प्रायः मानसिक होता है। बेचानों का रोग तो होता है मानसिक, पीड़ा दी जाती है उन्हें शारीरिक। पानी जड़ को नहीं, पत्तों को पिलाया जाता है।

तो, उस पागलखाने का सुपरिएटेंट एक समझदार आदमी था। उसकी २०—२१ वर्षे की पट्टी—लिखी लड़की थी। उसने अपने पिता से—एक दिन कहा :

“पिताजी, मैं पागलखाना देखना चाहती हूँ।”

“स्त्रो, क्या करोगी देखकर?”

“पागल कैसे होते हैं, जानना चाहती हूँ।”

पिता की अनुमति मिल गई । दूसरे दिन वह पागलखाने में जाकर पागलों का निरीक्षण करने लगी । पिता साथ में थे । किसी-किसी पागल का इतिहास यानी पागल बनने के कारण को जानने की स्वाभाविक उक्तियाँ को वह कैसे देखती । लड़की के संकेत चलते और उत्तर में पिता की जबान । वे कहते चले जा रहे थे मानों मारवाड़ का कोई चारण अपने यज्ञमान के पुरखाओं की बंशावली सुना रहा हो । वे दिना विश्राम लिए कहते चले चल रहे थे—यह अपनी लड़की को मारकर पागल हो गया है, यह धनिक से निर्धन बन जाने से पेसा हो गया है, किसी का पिता मर गया है, किसी का पुत्र मर गया है, कोई मुकद्दमे में हार गया है । किसी को हँसने, रोने और किसी को कोई बात गुनगुनाने की आदत लग गई है । इतने में उस लड़की की नवंबर २५—२६ वर्ष के एक युवक पर पड़ी । वह पटा-लिखा, सुन्दर और स्वस्थ था ।

लड़की ने उसे अपने नजदीक बुलाया । उसने पास पहुंचकर नम्रता-पूर्वक नमस्कार किया । उसके पास एक कम्बल थी । वहीं पेड़ के नीचे उसने कम्बल बिछाकर उस लड़की से बैठने को कहा ।

लड़की के बैठनेपर वह भी विनय पूर्वक बैठ गया । पारस्परिक कुशल प्रश्न के उपरांत उनकी चर्चा चली ।

“आपका शिक्षण कहाँ तक हुआ है ?”

“मैं अस्त्रिय में एम० ए० हूँ ।”

“आप यहाँ कैसे आ गए ?”

“यहीं तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ कैसे लाया गया । मैं यह इतनी बातें वेद, गीता, उपनिषद, राजनीति, साहित्य के बारे में आप के कर रहा हूँ । आप ही बताइए बहन, क्या मैं पागल हूँ ?”

“क्या आप को कोई ऐसी मानसिक चोट पहुँची है जिसका आप पर प्रभाव पड़ा है ?”

“नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मैंने आज तक किसी को सताया तक नहीं है। मैं जब आप के पिताजी से पूछता हूं तो कह देते हैं कि तुम पागल हो। मैं पागल हूं—बड़े अचंरज की बात है !”

“फिर भी कुछ बात तो अवश्य है जिससे आपको ऐसा माना गया।”

“हाँ, एक बात हो सकती है। मुझे यह विश्वास है कि मेरा शरीर कांच का है। (कलाई पर अंगुलियाँ ठोककर) यह ढेखो टन्नन् टन्नन् कांच ही तो है न ! जरा-सा धक्का लगते ही फूट-फूट जाएगा !”

“तो क्या शरीर कांच का है ?”

“माफ करें बहनजी, आपने भारतीय आध्यात्मिक विचार-धारा का अध्ययन नहीं किया, मालूम होता है ! कबीरदासने भी इसे कांच की शीशी बताया है ! क्या यह सच नहीं है ! शरीर सूपी कांच की शीशी छिनक (क्षणेक) में फूट जाएगी !”

सुपरिष्टेंडेंट की लड़की समझ गई कि इस युवक का पागलपन क्या है। घर लौटने पर उसने पिता से कहा कि वह युवक उसके संपुर्द कर दिया जाय।

पिता भी नवीन विचार के थे। सोचा कि दोनों शिक्षित, सुंदर, स्वस्थ हैं। एक-दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़कर यदि पागलपन दूर हो जाय तो क्या आपत्ति है। दोनों का वैवाहिक सम्बंध करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। एक वर्ष, जाति के भी हैं। अनुमति दें दी गई।

लेकिन संभ्या को एक ऐसी दुर्घटना हुई कि बेचारे का हार्ट फेल हो गया। वार्डर ने आग्रहपूर्वक भीतर चलने को कहा। वह कहता

था, मैं पागल नहीं हूँ। धर्मका दिया गया जिससे वह गिर गया और उसके विश्वास के अनुसार शरीर रूपी कांच फूट गया ! उसके प्राण-पञ्चेन उड़ गए ।

यह विचारों के पागलपन का एक उदाहरण है ।

कुछ लोग होते हैं, जो अपने आप से बातें करते हैं, बढ़बढ़ते या गुनगुनते रहते हैं; किसी मूर्ति के आगे स्तुति-प्रार्थना करते रहते हैं, सिर छुकाते हैं, कई औंधे लटक जाते हैं, कई प्रकार के आसन करते रहते हैं । शरीर पर भभूत रमानेवाले, कानों को फाड़नेवाले भिन्न-भिन्न वेश धारण करनेवाले, मुण्डन करवानेवाले, जटा बदानेवाले, फलाहारी, गंजाचिलम का टम लगानेवाले, भाँग पीनेवाले भी कम नहीं हैं । लोग मानते हैं कि वे ज्ञानियों के, साधुओं के और भक्तों के साधन हैं, जो अपनी धुन में रहते हैं । लेकिन मैं तो इसे धार्मिक पागलपन ही कहता हूँ ।

किसी शिशु को देखकर उसके साथ विकृत चेष्टाएं करना, मुंह-बनाना, गुदगुदी करना, तोतली भाया में पुकारना, किसी स्त्री को देखकर कुचेष्टाएं करना, अपनी स्त्री से एकान्त में बेतुकी बातें करना भी पागलपन हो है । इसे मैं प्यार का पागलपन कहता हूँ । इसी तरह कांच में मुंह देखना, मुंह बनाना, जीभ निकालना, आंखें मटकाना, मित्रों के बीच हाहा—हृहृ कर के हंसना, सुना—अनसुना करना, किसी को हंसी-विनोद में बेवकूफ बनाना, मजाक करना भी पागलपन है । इस से जब सन्तोष नहीं होता तो शराब पीना, शराबी-सी नकल करना, झूमना भी किया जाता है । इस मैं गुदगुदा पागलपन कहता हूँ । इस प्यार और मजाक को पागलपन नहीं कहा जाता, बल्कि एक प्रकार की 'अच्छाई' समझा जाता है ।

'मेरे यहाँ किसी समय एक तिलकधारी ब्राह्मण आए । थोड़ी ही देर में एक मुसलमान भाई आए और जाबमपर बैठ गए । अब क्या था,

ज्ञान देवता का रोम-रोम अपवित्र हो उठा। अपने लड़के को नदीपर धोती जाने को कहा। वे नदी पर गए और बल्लों समेत कूद पड़े। ऐसी ही एक घटना और है।

एक आदमी अपनी गाड़ी में पानी के दो पीपे भरकर ले जा रहा था। दुर्भाग्य की आत कि बैल की पूँछ हिली और एक इरिजन का स्पर्श कर गई। अब क्या पानी पवित्र रह सकता था? पानी फेंककर बेचारा घर लौट गया।

एक लड़का किसी हिन्दू हॉटल में चाय पीने गया। चाय पी। लेकिन पास ही खंड किसी ने एक व्यक्ति से कहा यह तो मुसलमान लड़का है। अब क्या था। जोर चला कप बशीपर। बेचारी इतनी जोर से केंकी गई कि चूर-चूर हो गई।

इसे मैं क्रोध का पागलपन कहता हूँ। कर्म कर कोऊ और ही, फल पावे कोऊ और-की सचाई ऊपर की घटनाओं में देखी जा सकती है। यानी कुम्हार कुम्हारी से न जीतने पर गंध के कान एंटता है।

कस्तूरबा स्मारक पंड के कार्य निमित्त हम कुछ लोग एक सेठ के यहाँ पहुँचे। किसी को खांसी आगई। खांसी आई तो उके कैसे? लेकिन सेठजी आगवबूला हो गए। बोले, यह कोई दंवालाना है जो खां-खां मचा दी। उसे निकाल कर ही सेठजी ने दम लिया। सेठजी बोले ‘पागल कहीं का?’। पर हमें सेठजी के ‘पागलपन’ पर हँसी आ रही थी।

एक भेल घर की स्त्रीने बुखार के कारण अपने नौकर से पैर दबाए। इतने में पति देवता आ पहुँचे। अब क्या था। परम्परा का संदेह प्रकट रूपेम उबल पड़ा। बढ़बढ़ाने लगे, पर-पुरुष का स्पर्श! बेचारी गालियाँ सुनकर भी कुछ न बोली। ऐसे ही अनेक प्रकार के संदेह जीवन में प्रवेश कर जाते हैं जिनसे बहुत बार हानियाँ उठानी पड़ती हैं।

सच तो यह है कि जिसे हम बहुत बार पागलपन कह दिया करते हैं, वह मनुष्य के भीतर छिपे रहने वाले दोष होते हैं। ये दोष ज्ञान और अज्ञान दोनों से पैदा होते हैं। ज्ञान से पैदा होने वाले दोष मज़ाक बन जाते हैं और अज्ञान के कदु या गंभीर। लेकिन धीरे धीरे आदमी की वे आदतें बन जाती हैं। ऐसा होने में संस्कार, लापरवाही शिक्षा-दीक्षा, प्रशृति और घटना का विशेष हाथ रहता है !

अरे भाई, पागलों की इस दुनिया में पागल न दीखें तो ही अचरज। मैं पागल हूँ, आप पागल हैं, सारी दुनिया पागल है। पागलपन में ही सबका जन्म है, जीवन है और है मरण। खुशी इस बात की है कि यहां कोई निर्देश नहीं है और यो हम सब चोर चोर मौसेरे भाई की तरह मजे में खाते-पीते, लड़ते-झगड़ते, और पांव पसारकर फिर पागलखाने की शरण में कूच कर जाते हैं। यहां संसार से चिपटने वाला भी पागल है, मुक्ति का राही भी उसी विशेषण से सम्बोधित होता है। जो हो, यह पागलपन अनादि तो है ही, अनन्त भले ही न हो।

सार्वजनिक कार्य और धन

रिपब्लिक संघ

एक आशंका

‘संस्थाएँ अपरिग्रही बनें’ की जो विचारधारा प्रकट की जा रही है उस के सम्बन्ध में कुछ विचारकों और कार्यकर्ताओं का ख्याल है कि यह विचारधारा सामाजिक कार्यों के लिए बाधक हो सकती है। सम्भव है कि बहुत कुछ हानि भी उठानी पड़े। उनका कहना है कि “एक तो दान देनेवालों की पहल ही समाज में कमी है और जो देनेवाले हैं वे भी आवश्यक और पर्याप्त तो नहीं ही टेते। समाज के कई आवश्यक कार्य ऐसे हैं जो धन के अभाव में रुके पड़े हैं या बराबर नहीं चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर दान देनेवालों को संस्थाओं के अपरिग्रहीकरण की बात सुनाई गई तो सम्भव है कि उद्देश्य का दुरुपयोग कर दान देना ही बन्द कर दें।”

यह बात समाज के एक अनुभवी नेताने हमारे सामने रखी है। यह एक विचारणीय विषय है और इसपर विचार होना आवश्यक है। गुरुजनों से विचार-विमर्श करनेपर जिस निर्णयपर हम पहुँचे हैं उस विचार के लिए समाज के सन्मुख उपरिथित कर देना आवश्यक प्रतीत होता है।

दान लेने के तरीके

इस सेतो शायद सभी सहमत होंगे कि आजकल एकत्रित करने या चन्दा मांगने की प्रवृत्ति बहुत बहु गई है। चन्दा मांगनेवाला किसी एक कार्य को अपना ध्येय मानता है और उसकी आवश्यकता इन

शब्दों में प्रकट करता है मानों उसके बिना समाज की गाढ़ी चल नहीं सकती, दूसरे कार्य तो गौण हैं। हम यह नहीं कहते कि सभी कार्य अनुपयोगी होते हैं, किन्तु देखा यह गया है कि अधिकांश कार्य कार्यकर्त्ताओं के दुष्ट-विलास को ही प्रकट करते हैं। वे कार्य उनके दिमाग की उपज होते हैं। हम यह नहीं कहना चाहते कि जिन कार्यों का समाज के लिए उपयोग है उनके लिए धन दिया ही न जाय। हमारा कहना तो यह है कि दान देने और धन एकत्र करने के जो तरीके प्रयुक्त किए जा रहे हैं उन में सुधार होना चाहिए। देनेवालों और लेनेवालों को आपस में विवेक से काम लेना चाहिए। यश और डर की भावना से दिया हुआ दान, और लोभ और छल से लिया जानेवाला दान विवेक और सौख्य-शून्य होने से किसी तरह फलदायक नहीं होता। इस तरह दोनों ओर से बब मानसिक और भौतिक स्वार्थ का आश्रय लेकर समाज के शुभ कार्य करने का आश्वासन दिया जाता है तब ऐसा लगता है कि इसके मूल में घोखा देने और नाम कमाने की लालसा और स्वार्थ समाया हुआ है। बहुत-से कार्यकर्त्ता जिन धनवानों से धन एकत्र करते हैं उनके प्रति कोई आदर-भाव नहीं रखते। धन हाथ में आने के बाद वे धनियों के प्रति एक प्रकार का तिरस्कार ही व्यक्त करते हैं। वे ऐसा भी कहते पाए जाते हैं कि “अच्छा बुद्धू बनाया सेठ को, थोड़ीसी खुशामद कर दी, गुणगान कर दिया, सभा-मंचपर आदर-सन्मान कर दिया, एकाध मानपत्र दे दिया और चित्र छाप दिया तो इस से अपना बिगड़ क्या गया। उस से तो रुपए ऐठ ही लिए।” इतना कहने पर भी वह कार्यकर्त्ता या कार्यकर्त्ताओं के समूह वाली संस्था यह मानने को तैयार नहीं होती कि उसका उद्देश्य दुष्ट है या वह समाज का अच्छा कार्य नहीं करना चाहती। अपनी सफाई तो यह कहकर दे दी जाती है कि क्या किया जाय, सेठजी की गांठ से पैसा छूटता ही नहीं, इसलिए किसी तरह निकालना तो आवश्यक या ही।

दान देने के तरीके

दूसरी ओर दान दे चुकने के बाद सेटजी भी कुछ ऐसा-सा ही कहते पाए जाते हैं कि “क्या करें भाई, जब कोई गले ही पड़ जाता है तो कुछ दिए बिना पिण्ड ही नहीं छूटता। अगर नहीं देते हैं तो चारों तरफ बदनामी का ढिढोरा पीटते फिरते हैं। इसलिए कुछ न कुछ देना ही पड़ता है।” फिर कुछ यह भी कहते पाए जाते हैं कि “भाई, अपने बाप-दादों की स्मृति में अपने समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ न कुछ करना कर्तव्य हो जाता है। अपने को तो व्यापार-धंधे से ही फुरसत नहीं मिलती, इसलिए बेचारे जो कार्यकर्ता कुछ काम करते हैं उन्हें मदद देनी ही चाहिए। और इस में अपना नुकसान ही क्या है। नेतागिरी मिलती है, समाज में नाम होता है, पदवियाँ मिलती हैं, अखबारों में चित्र छपते हैं। क्या यह कम महस्त्र की बात है? थोड़ा सा देकर इस नाम और कीर्ति को कौन छोड़ेगा?”

मूल बात दूर है

यह है हमारे समाज की हालत। समाज में भलाई का काम, सेवा का काम कितना होता है, कहाँ होता है और क्यों होता है इसकी चिन्ता किसी को नहीं। संस्था और कार्यकर्ता इसलिए खुश होते हैं कि उन्हें धन मिल जाता है और धनवान् इसलिए फूलकर कुप्पा होता है कि वह अपने नाम को चारों ओर चिल्हना हुआ देखता है। लेकिन यह दुख की बात है। इस तरह समाज-सेवा हजारों वर्षों में भी असम्भव है।

कर्तव्य

दान समझ-बूझ कर देना चाहिये और यह समझकर देना चाहिये कि धन यों भी स्थायी नहीं रहनेवाला है। जो कुछ पास में है वह समाज के लिए है, समाज का है और समाज से प्राप्त किया गया है।

प्रत्येक व्यक्ति पर समाज के अनन्त उपकार हैं। उन उपकारों का ऋण लुकाने के लिए इस धन का उपयोग होना ही चाहिए। लेनेवालों को भी छल का आश्रय नहीं लेना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि वे समाज की सेवा करने जा रहे हैं। असत्य और छल से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ नहीं सकती। मुँह पर दिलावटी खुति, खुशामद या आदर व्यक्त कर धन अवश्य प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन तभी तक जबतक धनिक वे-समझ अथवा नाम-प्रिय रहते हैं। यह समझना व्यर्थ है कि सामनेवाला इसमें मनोभावों को नहीं सोच पाता। अगर दान-दाताओं को 'बुद्धू' समझा जाता है तो लेनेवालों को भी 'टुकड़-खोर' या 'मिखारी' से कम नहीं माना जाता। इस दोनों ओर की समझ में—और यह समझ स्वार्थ मूल्क होती है—प्रायः ॅट और गधे की आपसी-प्रशंसा ही दिखाई देती है। इसलिए कार्यकर्त्ताओं का कर्तव्य है कि वे आवश्यक कार्यों के लिए ही दान ग्रहण करें और जो कुछ ग्रहण करें उसे आदर-पूर्वक ग्रहण करें। और धनियों का कर्तव्य है कि वे समझ-बूझकर समर्पण की भावना से उपयुक्त कार्यों के लिए योग्य कार्यकर्त्ताओं को ही आत्म-भाव से दें। न धनियों को 'बुद्धू' बनना चाहिए न कार्यकर्त्ताओं को मिखारी या टुकड़-खोर।

आवश्यक कार्य

अब प्रश्न यह उठता है कि आवश्यक कार्य कौनसे हो सकते हैं? गम्भीरता, पूर्वक विचार करने के पश्चात् ऐसा ल्या कि प्रत्येक सुप्रवृत्ति या अलाई का काम अनावश्यक तो नहीं ही है। हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि व्यक्ति या समूह की रुचि, शक्ति, बुद्धि और क्षेत्र की न्यूनाधिकता के कारण कार्यों में भिजता दिखाई दे। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन में धन की आवश्यकता नहीं होती, परस्पर सहयोग और सहानुभूति से ही ऐसे कार्य सम्पन्न किए जा सकते हैं। हाँ, कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो बिना धन के पूर्ण नहीं किए जा सकते। यह कार्य बहुत सीमित हैं। इन्हें लगता है कि इन्हीं कार्यों में धन की आवश्यकता होती है :

१. शिक्षण सम्बन्धी संस्थाएँ; जैसे छात्रालय, विद्यालय, छात्रवृत्ति-प्रदात्री संस्थाएँ, और महाविद्यालय आदि ।

२. औषधालय और आरोग्य-भवन आदि ।

३. आकस्मिक संकटकालीन सहायता प्रदान करनेवाली प्रवृत्तियाँ जैसे बाट, भूकम्प, दुर्घटनाएँ आदि ।

४. पुस्तकालय, वाचनालय आदि ।

५. यात्रियों और प्रवासियों की सुविधा के लिए सड़कोंपर बनाई जानेवाली घर्मशालाएँ, कुर्हे आदि ।

६. अथवा ऐसे ही वे कार्य जिनसे समाज को सीधी सहायता पहुँचती हो ।

यह काम ऐसे हैं कि जिन वेक्षन के बिना धन के नहीं सकते । लेकिन स्थान, आवश्यकता, समय आदि का खयाल रखे जिना केवल नाम और यश के लिए कहीं भी कुछ कर देने से कोई लाभ नहीं । इन परिवेश कामों के लिए भी कुछ लोग सद्भावनापूर्वक निरपेक्ष दृष्टि से धन देना पसन्द नहीं करते । इन चीजों में भी वे नाम और यश का रोड़ा अटका देते हैं । लेकिन हमारा खयाल है कि ऐसे कामों के लिए किसी तरह की अपेक्षा या जासक्ति रखे जिन वेक्षन के बिना ही धन दिया जाना चाहिए और कार्यकर्त्ताओं को उसकी चिन्ता करने या चंदा एकत्र करने में अपनी शक्ति खर्च करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ।

जिन धन के कार्य

साम्प्रदायिक झगड़े, मुकदमे, अधिवेशनों की शान और दिखावे, पत्रब्ल्यवहार, समाचार-पत्रों के प्रकाशन, कार्यालय के खर्च और संस्कृति के नाम पर लोगों की भावनाएँ उभाड़कर तार, शिष्ट मण्डल आदि में होनेवाला-

खर्च इन और ऐसे सब कार्यों के लिए हम समझते हैं कि समाज से मांगने या चंदा बसूल करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इन कार्यों की ओट में मनुष्य अधिकतर अपनी प्रसिद्धि का ध्यान रखता है और नेता बनने की लालसा ही रहती है। हमारा निश्चित मत है कि ये काम सामाजिक जीवन के सुख-दुखों से सम्बन्धित नहीं होते और इनकी आवश्यकता वे ही बताते हैं जो जीवन में या तो खा-पीकर सुखी होते हैं या जिनके पास कोई काम नहीं होता। ऐसे लोग बुद्धि के घोड़े पर बैठ कर कल्पना-लोक की सैर किया करते हैं। आदमी जमीन पर चलनेवाला प्राणी है। श्रम उसका जीवन-धर्म है। इसलिए पृथ्वी में से ही श्रमपूर्वक उसे जीवन-तत्त्व प्राप्त करना चाहिए, यही उसका सच्चा कार्य हो सकता है। हम समझते हैं सच्चे कार्य के लिए धन की कमी किसी को नहीं पढ़ती। श्रम स्वयं धन है।

भ्रुवकोष और व्याज

हमें एक बात की ओर और निर्देश करना है। वह यह कि भ्रव-कोषों के आधार पर कार्य करना दितकर नहीं होता। भ्रुव-कोष तथा बड़ी-बड़ी रकमें इकट्ठा करने के पीछे स्वार्थ, अहंकार तथा बड़प्पन रहता है और कुछ समय बीतने के बाद ज्ञगड़े निर्माण हो जाते हैं जिससे समाज के कार्य को हानि पहुँचती है। पहले धन पास में नहीं होता तो उसके लिए पुकार मचाई जाती है और एकत्रित हो जाने के पश्चात् यह चिन्ता खड़ी हो जाती है कि उसे कहाँ जमा किया जाय। अनेकों बार ऐसा हुआ है कि जिसके यहाँ धन जमा हुआ वह उसीका हो गया या नहीं देने के अनेक बहाने बनाए गए। धन जमा करने के पीछे कार्यकर्ताओं की व्याज से काम चलाने की मंशा होती है। वे यह सोच लेते हैं कि संस्था को सुन्दरित और स्थायी बनाने के लिए धन की चिन्ता से मुक्त रहने की आवश्यकता है। लेकिन यह विचार-चारा बहुत गलत है, हानिकर है। सब से बड़े

तुक्सान् यह होता है कि संस्था की सजीवता नष्ट हो जाती है। वह निर्बीच मशीन बन जाती है और कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है। उनमें वह स्वाभिमान, वह कर्तव्य-शीलता, संघर्षों का मुकाबला करने का वह साइस नहीं रहता जो नित चुगा चुगने वाले पक्षियों में रहता है, उस साधु में रहता है जो रोब अपना दाना-पानी जुटाता है, उस मच्दूर में रहता है जो रोब पसीना टपकाता है, उस किसान में रहता है जो रोब हल चलाता है। व्याज धन का मित्र भले ही हो, जीवन का शङ्ख है। इसलिए व्याज की अपेक्षा श्रम पर कार्य करने की निष्ठा हम में होनी चाहिए।

अधिक धन अनावश्यक है

लेकिन धन के बिना अगर काम नहीं ही चलता है तो वह इतना ही प्राप्त करना चाहिए जितना किसी कार्य के लिए आवश्यक हो। एक बार की अपेक्षा कोई दो बार का भोजन कर ले तो वह पहले के कई दिनों का भोजन भी दूसरे दिन खो देगा। और भविष्य में भी शायद दो-चार दिन भूखा रहना पड़े। यही हाल संस्थाओं के धन का भी है। जो कार्य आवश्यक रूप में हमारे सामने हो और समाज उसके लिए तैयार हो तो ही धन एकत्र करना चाहिए। समाज की चिंता अपने सिर पर लेकर निराश और उद्दिश होना व्यर्थ है।

सारांश

यह सब लिखने का सारांश पॉच पंक्तियों में आ सकता है :

१. जो कार्य धन के बिना नहीं चलते उनके लिये उतना ही धन लिया जाय जो उस कार्य में खर्च कर दिया जा सके।

२. प्रबन्धकोष जमा कर के व्याज से संस्था चलाने का मोह और स्वार्थ छोड़ दिया जाय।

३. बिन से धन लिया जाय उनके प्रति वादर और सद्भाव रखा जाय। किसी की अनुचित प्रशंसा न की जाय।

४. धन लेनेवाले सचाई और ईमानदारी से ही बिना किसी स्वार्थ और छल के धन प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उनका कार्य ऐसा हो कि वे अपना विश्वास जनता में बना रख सकें।

५. आवश्यक कार्य वे ही हो सकते हैं जिनसे सामान्य रूप से मनुष्य-जीवन को सुखी बनाने में सहायता मिल सकती हो।

आशा है, इस विषयपर समाज का विचारक-वर्ग, धनिक-वर्ग और कार्यकर्ता-वर्ग गम्भीरता से विचार करने की कृपा करेगा। धर्म और संस्कृति की रक्षा के नाम पर जो नोर आज लगाए जाते हैं उनका जीवन से कितना सम्बन्ध है, और वे कितने उपयोगी हो सकते हैं, इसपर भी विचार किया जाय।

: ७ :

निष्क्रिय वैराग्य

जमनालाल जैन

वैराग्य और ममता

भारतीय धर्मों में वैराग्य को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है। वैराग्य का अर्थ राग-विहीनता किया जाता है। राग को ममता का पर्यायवाची कहा गया है। धर्माचार्यों ने कहा है कि ममता आदमी को गिराती और फँसाती है। ममता में फँसा और उलझा प्राणी समता की व्यापकता को ग्रहण नहीं कर पाता। जो समता को ग्रहण नहीं कर पाता, विषमता उसका गला दबाए रहती है। कहा जाता है कि ममता और विषमता का जोड़ा है। दोनों के नष्ट होनेपर ही नौका समता के किनारे लग सकती है।

प्रेम

पर, प्रेम भी एक शब्द है। उसके महत्त्व को भी पारस्परिक व्यवहार में स्वीकार किया गया है। ममता प्रेम के अतिरिक्त क्या है जो सब के प्रति होनी चाहिए? अगर पारस्परिक प्रेम नष्ट हो जाय तो एक तो द्वेष प्रत्यक्ष होगा, या हो सकता है कि मनुष्य जीवित भी न रह सके।

शिशु की ममता

एक नवजात शिशु है। वह क्षण-प्रति-क्षण बढ़ता है। माता-पिता और पास-पड़ोसियों को अपनी स्वाभाविक चेष्टाओं द्वारा आनन्द प्रदान करता है। उसकी क्रियाओं को देख सब मुर्छ हो जाते हैं। उसे गोदी में लिया जाता है, उसे पुच्छकारा जाता है, उसकी बलैयाँ ली जाती हैं। यह सब ममता के बिना नहीं हो पाता। ममता अगर नहीं होगी तो प्रेम को

सार्थक करनेवाली कोई माधवा नहीं है जो हमें बच्चों की ओर आकर्षित कर सके। यह ममता अस्वाभाविक नहीं है। बच्चा किल्कारता है तो हम भी उसके साथ हो लेते हैं। वह रोने लगता है तो उसे विविध आकर्षणों द्वारा चुप करने और खुश करने के प्रयत्न किए जाते हैं। यह अगर नहीं किया जाता है तो कहना चाहिए और कहा ही जाता है कि वह आदमी रुखा या कठोर है जो बच्चे के प्रति भी स्नेह या ममता प्रकट नहीं करता। सीधे शब्दों में वह हृदय-हीन समझा जाता है।

ममता-मय साधु

महाकली साधु ऐसी स्वाभाविक ममता से दूर रहकर साधना नहीं कर सकता। उसे भी समाज में आकर या उसमें रहकर उपदेश करना ही होता है। जब कोई आवक किसी न-हैं से बालक को अपनी गोदी में लेकर मुनि के समीप पहुँचता है और विनय पूर्वक कहता है : “महाराज ! यह अपना ही बालक है” तब उसके सुन्दर मुखड़े पर महाराज की टृष्णि यथ जाती है और वे उस पर प्रसन्न हो आशीर्वाद के रूप में हाथ या पीछी फेर देते हैं। आवक को इससे सन्तोष होता है। वह समझने लगता है कि अब मेरे बच्चे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जिसे साधु का आशीर्वाद मिल गया, उत्तराइयाँ उसका पीछा नहीं कर सकतीं। मुझे भी बचपन में एक साधु (एलकजी) ने पीछी और आसन दिया था। उमर मेरी कोई पौँच साल भी थी। उस समय मेरा धर्म तो प्रहृण करने का ही था। उसके उपयोग और महत्व को समझने की जरूरत नहीं थी। दो-चार साल तो ये चीजें रखी रहीं, लेकिन पिताजी ने घर बदला तो वे खो गईं। मेरे लिए उनका रखा रहना या खो जाना एक-सा ही था। पर मौं को ऐसा लगा कि हमारा कुछ अनिष्ट होनेवाला है।

आवश्यक ममता

तो, मैं कह रहा था कि ममता साधु के लिए भी आवश्यक है। उसे कोई कृपा दृष्टि कहें, आशीर्वाद कहें, प्रेम कहें या और कुछ कहें। जो

साधु ऐसा नहीं करता उसका या किसी साधु-समूह का सामाजिक आदर कम हुए बिना न रहेगा। इस से मेरा मतलब यह है कि उनके वैराग्य यानी शुष्क असामाजिकता पर जनता की भ्रदा तो रहेगी ही, लेकिन भक्ति और निकटता का सम्बन्ध टूटता जाएगा।

अपेक्षित आशीर्वाद

देखा गया है कि बहुत से जी और पुरुष देव, शास्त्र और गुरु की भक्ति और पूजा इसलिए करते हैं कि वे समझते हैं कि ऐसा करने से उन्हें धन की प्राप्ति होगी, पुण्य का संचय होगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी, सन्तान का लाभ होगा आदि। इस लाभ और प्राप्ति की न्यूनाधिकता पर ही भक्ति की न्यूनाधिकता अवलम्बित रहती है। यह अपेक्षा सैद्धान्तिक दृष्टि से चाहे कैसी ही अनुचित हो, पर जो विरागी है उसे इन अपेक्षा करनेवालों को आशास्पद या लाभात्मक आशीर्वाद देना ही पड़ता है।

साधुत्व और समस्याएँ

व्यक्ति है कि समाज है और जहाँ समाज है वहाँ संघर्ष और संगटन भी है। कुछ धार्मिक, कुछ आर्थिक और कुछ सामाजिक यों कुछ-न-कुछ समस्याएँ समाज और चीवन में उठती ही रहती हैं और उनका निर्णय पक्षपात, अज्ञान, स्वार्थ और मोह-द्वेष के कारण सही-सही नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में स्वमावतः समस्याओं को सुलझाने के लिए समाज मुनि की ओर आकर्षित होती है। पर, उन समस्याओं और संघर्षों का निपटारा मुनि शायद ही करते हैं। वे कहते हैं : “इन सामाजिक झगड़ों या बखेड़ों से हमारा क्या सम्बन्ध ? हमें तो अपना आत्म-कल्याण करना है। अपने झगड़े तुम आप जानो।” कुछ इस उत्तर को वैराग्य की पराकाष्ठा समझ उपेक्षा कर देते हैं और कुछ टीका-टिप्पणी भी करते हैं। इस तरह मालूम होता है कि समाज में साधु-वृत्ति के विषय में दो विचार-

चाराएँ हैं : एक, उन्हें समाज से बिल्कुल भिन्न समझनेवाले लोग हैं और दूसरे उनपर समाज-निर्माण का उत्तरदायित्व लादते हैं। अपने अपने दृष्टिकोण से दोनों सही हैं, ऐसा मैं मान लेता हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि कोई मुझे बताए कि अगर धर्म विश्व-प्रेम सिखाता है और समझाव बताता है तो समाज से अलग रहने में, उसकी समस्याओं को न छूने में कौनसी साधना होती है ? और जो समस्याओं को समझ नहीं पाता, जो निर्णय देने में असमर्थ है, उसपर केवल मुनित्व के कारण ही समाज-निर्माण का उत्तरदायित्व लाद देना कहाँ तक उचित है !

सांसारिकता का त्याग

कहते हैं कि जो वीतरागी हैं वे संसार से परे रहते हैं यानी कि के संसार से सम्बन्ध छोड़ लेते हैं। तीन लोक की व्याख्या करते दुए दर्शन कहते हैं कि मुक्त जीव भी लोक के बाहर अलोक में नहीं जा सकता। अब संसार छोड़ देने का अर्थ सांसारिकता का त्याग मानना चाहिए। यह सांसारिकता क्या है कि जो आदमी को अधार्मिकता में फँसाती है ? धर्म ने सांसारिकता का तिरस्कार किया है। यानी उसकी इष्टि में जो असांसारिक है वह धर्मात्मा कहलाता है। पर सांसारिकता क्या इतनी बुरी है कि उसका त्याग ही किया जाना चाहिए ? किर जीवों के पारस्पारिक उपग्रह का क्या अर्थ रह जाएगा ?

संसार की स्वीकृति

महाकृती के संसार छोड़ देने को मान लेना चाहिए। पर, जो हवाह इधर-उधर बहती है वह संसार की ही है। जो भोजन ग्रहण किया जाता है वह इसी संसार में पैदा होता और पकाया जाता है। आत्मा के लिए 'निद्रा' रोग हो सकता है, पर शरीर के लिए 'अनिद्रा' भी रोग ही है। यह निद्रा और अनिद्रा का दर्शन भी इसी जगत में होता है।

इनिद्रियों से जो देखा, सुना और गोला जाता है वह भी लोक-चाह्य नहीं है । पारस्परिक सम्बन्धों को अगर छोड़ भी दिया जाय तो सांसारिक स्वीकृति इस प्राकृतिकता में आ जाती है । सच्चे अर्थों में तो इस प्राकृतिकता का त्याग होने पर ही सांसारिकता का त्याग मना जाना चाहिए । पर इस प्राकृतिकता का त्याग हो नहीं सकता । और जो त्याग नहीं कर सकता वह सदेह है और सदेह वह है जो सामाजिक है । सामाजिकता से अलग होकर जो धर्म आत्म-कल्याण की दुर्वार्द्ध देता है वह अभी कल्पना में है । उसे धरती पर उत्तरना चाहिए ।

विधि और नियमों का अनुराग

पढ़ने में आया कि वैराग्य समता का प्रतीक है । यानी किसी के प्रति भी वीतरागी मैं आग्रह, अनुराग या उपेक्षा नहीं होनी चाहिए । पर, अचरज है कि वीतरागी अपने नियमों के प्रति, आचरण की विधियों के प्रति अत्यन्त आग्रही दिखाई पड़ते हैं । वे यह नहीं सोचना चाहते कि उन नियमों के कारण उनकी व्यवस्था करने में किसको कितनी सुविधा-असुविधा हो सकती है ! मैं साहसपूर्वक कह सकूँगा कि अपनी विधियों का निरन्तर ध्यान रखना भी वीतरागता का अनुराग है, या कि नियमों का अनुराग है । यह मानने में कोई अपत्ति नहीं होनी चाहिए कि वीतरागी धार्मिक होता है । जो धार्मिक होता है वह किसी को कष्ट नहीं दे सकता । जैन मुनियों के लिए नियम है कि वे उनके लिए बनाए गए मोजनादि को ग्रहण न करें । पर धाज के श्रावक की सब से बड़ी मुसीबत यही है । जो इसे दुसीबत नहीं समझते वे शायद कष्ट-सहन को ही धर्म समझते हैं और युग की विचार-धारा से अपरिचित, मोले हैं । ऐसे लोग होगी तो नहीं होते, पर सामयिक विवेक की वे जरूरत नहीं समझते । सन्त नामदेव ने कहा है कि योगी का प्रेमी रहना उतना ही कठिन है जितना अग्नि का शीतल या सिंह का अक्षर रहना ! समझा यह गया कि जो साधु

जितना निष्कुर, रुक्ष और कोषी होता है वह उतना ही साक्षक और मोह-रहित रहता है। मोह से दूर रहना साधु के लिए आवश्यक है, पर इस के लिए प्रेम के त्याग की आवश्यकता क्यों हुई, यह समझ में नहीं आता। संसार के प्रति प्रेमी रहकर भी तो निमोंही रहा जा सकता है। मोह-रहित बनने के लिए यदि प्रेम का ही त्याग किया जाता है तो इस का अर्थ तो यही ही सकता है कि यह एक प्रकार की दुर्बलता है—इस में पलायन शुचि स्पष्ट है। यह ऐसी ही बात है कि जो आदमी किसी रोगी या अपराधी या पीड़ित के प्रति उहानुभूति नहीं रख पाता वह मन में उठने वाली भृण के बेग से बचने के लिए उस से अलग रहना चाहता है।

धन और वैराग्य

धर्म का तो धन से आन्तरिक सम्बन्ध है ही, वैराग्य का भी प्रतीक होता है। अन्तर इतना ही है कि धर्म का धन बढ़ता जाता है और वैराग्य का धन बोझ बढ़ता है। धर्म का धन आदमी को साहूकर बनाता है और वैराग्य धन में से पैदा होता है। आदमी कमाने में असमर्थ हो, परिवार का बातावरण अनुकूल न हो, सिरपर कर्ज का भार बढ़ गया हो, या कोई बड़ा मारी सामाजिक अपराध हो गया हो अथवा किसी आस की मृत्यु हो गई हो तो वैराग्य लेने की सूक्ष्मता है। क्योंकि वह जानता है कि उसे वैराग्य लेने के बाद कमाना नहीं पड़ेगा, परिवार की चिन्ता से वह मुक्त रहेगा, सामाजिक दण्ड से भी छूट जाएगा। इतना ही नहीं, उसे आदर और सम्मान भी मिलेगा। उसकी रक्षा के लिए जनता को अपनी पूजा के लिए बाध्य भी किया जाता है। कई जगह तो इसके लिए विशेष प्रबंध भी रहता है। मुनि अपरिग्रह के महाब्रती या सर्वोगीण प्रतिनिधि होते हैं और वे अपने लिए बनाया गया भोजन आदि भी ग्रहण नहीं करते। किंतु देखा गया है कि उन साधुओं के साथ कुछ धर्म-भक्त सेठों की ओर से सामान लदी गाड़ियाँ भी चलती हैं। साथ के अद्वाण या बेतन-मोगी गृहस्थ साधुजी

की चर्चा का पूरा प्रबन्ध करते हैं। वे साधु भी जहाँ जाते हैं वहाँ के सम्पन्न लोगों की कृपा के आकांक्षी रहते हैं। यद्यपि साधुओं का आहार सात्त्विक, सादा और अल्प ही होता है, परंतु उसके लिए आयोजन और ठाठ किसी पूर्णीवादी भोज से कम नहीं होता। और यह आहार उन्हें कि यहाँ या उसी जाति में ग्रहण किया जाता है जो सम्पन्नता के कारण ऊँची कहलाती है। यह अगर धन की महिमा नहीं है तो अपरिग्रह का दर्शन भी इसमें शायद ही होता है।

अनासक्ति और वीतरागता

गीता का एक शब्द है 'अनासक्ति'। अर्थात् कर्म करते हुए भी जो उसमें संकुचित स्वार्थ नहीं देखता और लालच नहीं रखता वह अनासक्त माना जाता है। अच्छा काम करो और सत्र के लिए करो और उस में भी अनासक्त रहो—यह अनासक्ति का अर्थ है। खाने को भोजन-सुस्वादु मिले या चाहे जैसा, पहनने को बस्त्र चाहे जैसा मिले या न मिले, सत्र काम में जो सद्ब रूप रहता है और सुख-दुख नहीं मानता उसे ही वास्तव में अनासक्त कहा जाना चाहिए। 'वीतराग' शब्द का भी इसी अर्थ में उपयोग करना चाहिए। जो वैराग्य कर्म के क्षेत्र में निष्क्रियता फैलाता है उसे धर्म तो नहीं, दंभ ही कहना चाहिए। जगत से दूर रहकर आत्म-साधना की जाती है और उसका महत्व है, लेकिन यह एकान्त-साधना अगर जगत की सेवा करने से विमुख करती है या सम्बन्ध तोड़ती है तो वह स्वार्थ ही होगा। एकांत-साधना थकावट के समय के विश्राम जैसी होनी चाहिए। क्योंकि यह विश्राम अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है और यह आवश्यक भी है। वीतरागता का अर्थ तो रागद्वेष-विहीनता ही है। लेकिन व्याज तो वह कर्म-विहीनता तक बढ़ गया है। किसी युग में यह अर्थ उपयुक्त रहा हो, पर सदा परिस्थिति एक-सी तो रहती नहीं। निरुपयोगी साधना

कुछ कहेंगे और कहते ही हैं कि अगर काम ही करना होता तो

कोई साधु क्यों बनता ? सांसारिक कार्यों की अपेक्षा साधु की आत्म-साधना बहुत कठिन है । मैं अनुमती नहीं हूँ, मान लेता हूँ कि वे ठीक कहते हैं । पर, कोई के उस बैल को आप क्या कहेंगे जो दिनभर फिरकर वहीं रहता है । एक आदमी है, जो श्रम के लिए चबकी चलाता है, पर अनाज सेकर नहीं बैठता । स्पष्ट है कि जो उपयोगी नहीं है वह श्रम व्यर्थ ही है । आत्म-साधना में शरीर तपता भले ही हो, समाज और देश के जीवन को उस ताप से समाधान या शान्ति नहीं मिलती । साधना आत्मा की की जाती है और पोषण शरीर का किया जाता है । यह उल्टी चक्री वैराग्य के नाम पर समाज में चलती रही है । और जब तक चलती रहेगी, समाज की काया-पलट नहीं होगी—उसकी विकृति दूर नहीं होगी ।

आप अकेला अवतरे

धर्माचार्यों ने कहा कि आदमी अकेला आता है और अकेला ही जाता है । उसका इस दुनिया में कोई संगी-साथी नहीं है । वे यहीं नहीं रुके, आगे बढ़े और कहा कि शरीर मल-मूत्र का घर है, परिजन स्वार्य के सीरी हैं और उन्नति में बाधक हैं । किसी को वश में करने के दो तरीके बड़े आसान हैं । एक ज्योतिषी था । उसे आता-जाता क्या या यह तो मैं कह नहीं सकता, पर लोगों के हाथ देखते समय वह दो बातें विशेष रूपसे कहता था । एक तो तुम्हारा उपकार माननेवाला कोई नहीं है । तुम जिसका उपकार करते हो वह भी तुम्हारा साथ नहीं देगा । और दूसरी यह कि तुम्हें अमुक रास्ते से धन की प्राप्ति होने वाली है । मतलब यह कि आदमी को श्रेष्ठता प्रदान की जाय और प्रलोभन दिया जाय तो वह जल्दी वश में हो जाता है । धर्माचार्यों ने भी बात तो यही की, पर जरा ऊँचे स्तर से की । यह अचरज की बात है कि जब्तों ‘सत्येषु मैत्री’ की शिक्षा मिलती है वही ‘अपने अपने सुख को रोकै पिता, पुत्र, दारा’ की भी वृत्ति को पुष्ट किया गया है । अगर इस किसी को अपना आत्मीय नहीं बना

सकते तो यह कहने में क्या अर्थ है कि दुनिया स्वार्थी है। अपनी असर्थता को छिपाने के लिए धर्म के शब्द-तीरसे दूसरों की निरा करना कहाँ तक उचित है !

वैराग्य के विद्यालय

अब तो वैराग्य के विद्यालय भी देखने में आते हैं। छोटे-छोटे बालक-बालिकाओं को उन में प्रविष्ट किया जाता है। उन्हें विरागी बनने की शिक्षा दी जाती है। विराग पैदा करने के लिए संगीत-शृंगार का भी अवलम्बन लिया जाता है। स्वाद-जरीयी बनने के लिए मिठाइयाँ भी खिलाई जाती हैं। इन विद्यालयों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वैराग्य जन्म-गत नहीं होता। अगर ऐसा है तो यह हर्ष की बात है। पर शायद मेरा यह समझना गलत हो। इस में शिष्यों की संख्या का मोह है या वैराग्य का अनुराग, कौन जाने ? पर इतना निश्चित है कि ये विद्यालय शारीरधर्म और समाजधर्म की अवहेलना या उपेक्षा कर खिस आत्मधर्म का प्रचार कर रहे हैं वह इतना निष्क्रिय तथा पूंजीबादी कोटि का है कि उससे समाज को, उनको और उनकी धर्म-शीलता को भारी क्षति पहुँच रही है।

नेताओं के दर्शन

कुछ साथु अपने नाम से पत्र-व्यवहार नहीं करते क्योंकि उन्हें डर है कि इससे पारस्परिक मोह उत्पन्न होता है। पर बात-चीत तो होती ही है। कई बार तो प्रतिष्ठित और सरकार-मान्य नेताओं से मिलने भी मुनि पदार्पण करते हैं। किसी का बच्चा मर जाय या घर लुट जाय तो उसे सांत्वना देने जाने में मुनि शायद धार्मिक बाधा महसूस करेंगे, पर राज्याधिकारियों से मिलने में उन्हें गौरव महसूस होता है। वैराग्य को टिकाए रखने के लिए वे संसार के व्यवहार और शृंगार से इतना डरते हैं कि सामाजिक पत्र-पत्रिकाओं को धूंढ़ने में भी उन्हें धार्मिक बाधा उत्पन्न होने की शंका होती है। पर समय-बे समय चाहे जैसी चर्चा करने, गाना गाने, समाज की

भली-बुरी बातें छेड़ने में धर्म आड़े नहीं आता। किसी नेता से मिलने या चर्चा करने में व्यापति किसे हो सकती है। लेकिन विचार तभी होता है जब विवेक को ताक में रखकर भावों की अपेक्षा नियमों की लीकों की रक्षा पर जोर दिया जाता है। उनका वैराग्य और कोई बाधा नहीं ढाँचा, केवल शान-प्राप्ति और विचार-शक्ति पर ही प्रतिबन्ध लगता है। सामायिक या ध्यान में बैठा-बैठा कोई मुनि या गृहस्थ अपनी चिंता छोड़ आए उपर्युक्त को सहन कर जल-मर जाय तो किसी दृष्टि से उचित माना भी जा सकता है, पर क्या वह सामायिक इतनी भी निष्ठुर हो सकती है कि उस समय किसी को जलवे-मरते या तकलीफ पाते रखकर भी उसे बचाने, सान्त्वना देने के लिए उठा नहीं जा सकता? अगर धर्म और वैराग्य ऐसा कर सकता है तो उस से तो सामान्य शिष्टाचार और नैतिकता भी अच्छी है।

कला और वैराग्य

कुछ साधुओं के पास मैंने हाथ के लिखे बटिया ग्रन्थ तथा लकड़ी के बने हुए सुन्दर और रंगीन पात्र देखे। पूछनेपर उन्होंने कहा: “इस में हमारा स्वावलंबन है।” पर, वह रंगीनता और मनोहरता और लिपि की सुवरता और महीनता तो शायद कला-ग्रन्थ की ही द्योतक थी। छपे ग्रन्थ और धातु के बर्तन परिग्रह में आते हैं। और परिग्रह वैराग्य का बाधक है। पर अपने स्वावलंबन का अभिमान भी तो शायद अपरिग्रह नहीं है। और किर जो सामग्री उनके पास रहती है उसको भी तो सुरक्षित रखना ही पड़ता है। अगर स्वावलंबन ही है तो वह बर्तनों तक ही सीमित क्यों रह जाता है—उसे कृषि और चूल्हे तक भी बढ़ना चाहिए। और किर अनासन्त उपयोग में कला का क्या महत्व? कला का चरम विकास समाज और जीवन के पतन का द्योतक है। इतिहास इसका साक्षी है। साहित्य में भी विकृति और अश्लीलता तभी आई जब ‘कला’ कला के लिए ही रह

गई। कहीं अपरिग्रह के प्रतिनिधियों की असंग्रहणीय सामग्री मी स्वावलम्बन के बहाने केषल कला की अभिव्यक्ति ही न रह जायें।

सच्चा वैराग्य

यो वैराग्य के कई भेद-प्रभेद हो सकते हैं। एक तो वह है जो अभावों में से निपटता है। दूसरा दुर्बलताओं और निराशा में से प्रकट होता है। पर एक वैराग्य वह भी है जो वृत्ति में से उद्दित होता है। मेरा खयाल है कि वृत्ति का या अनुभव का वैराग्य ही सच्चा और स्थायी होता है। न मिलने पर लोमड़ी के लिये अँगूर खड़े हो सकते हैं, पर मिठास भी मिलने के पूर्व समाप्त नहीं होती। हम प्रायः देखते हैं कि बाजार की परिमित वस्तु खाने में सुस्वादु और रुचिकर लगती है, लेकिन उस से अधिक उत्तम और अपरिमित वस्तु यदि घर की बनी होती है तो उस के प्रति आकर्षण नहीं रह जाता। सद्भाव में अनासक्ति ही सच्ची विरक्ति है। अँगूर पास में ही और फिर लोमड़ी उन्हें खट्टा बताकर छोड़ देतो ही बात सच्ची और साइसपूर्ण कही जायगी। हमारे अधिकांश साधु देखें कि वे किस कोटि में आते हैं।

आज यदि हमारे साधुओं में सहज-वैराग्य या समाज को सुख पहुँचाने की कर्म-शीलता नहीं दिखाई देती तो इसका कारण यही हो सकता है कि वे शास्त्रों के भावों और युग की स्थिति से दूर होकर शब्दों और रुदियों से चिपक गए हैं। और सच तो यह है कि कर्त्तव्य पर रुदि का अधिकार होते ही धर्म की मौत हो जाती है।

कर्म-शील वैराग्य

वैराग्य के विषय में ये कुछ पांचितयों विचार के लिए मैंने लिखी हैं। किसी की अद्वा को डिगाने और वैराग्य को चिगाने का मेरा उद्देश्य कर्त्ता नहीं है। हाँ, यह कहने का अधिकार अवश्य चाहता हूँ कि अब कर्म-

शील वैराग्य ही पूजनीय हो सकेगा। और धार्मिक विधियों में से वे सब ज्ञाते हुटा देनी होगी जिनसे आदमी अकर्मण बनता है और परिवार, समाज और देश के प्रति अनुत्तरदायी। अन्यथा जिस प्रकार इमशान-वैराग्य व्यंग और धिनोद की वस्तु है, वही गति धार्मिक वैराग्य की भी होनेवाली है। सच्चे अर्थों में विरागी वह है जो सेवा देता है, ज्ञेनेवाला तो दम्भी और दीन ही हो सकता है।

: C :

यह असमता क्यों ?

महात्मा भगवानदीनजी

असमता का प्रश्न

डाकू से लेकर संत तक, रंक से लेकर राजा तक, मरियल से लेकर पहलवान तक, मूरख से लेकर महा-पंडित तक सब एक ही तरह से माँ के कोख में जगह पाते हैं, एक ही दंग से जन्म लेते हैं, एक ही तरह रोते, हँसते और दूध पीते हैं, एक ही धरती माता के दिये ढुकड़ों पर पलते-पुसते हैं, एक ही तरह की हवा और धूप लेकर फलते-फूलते हैं और एक तरह का पानी पीकर ताजगी दासिल करते हैं। किर वह क्या बात है कि कोई ढेढ़ हाथ का बौना रह जाता है और कोई पंछत्या जवान बन जाता है। कोई गंगुआ तेली रह जाता है और कोई राजा भोज हो जाता है। कोई आये दिन दर दर की ठोकरें खाता फिरता है और कोई अपने दरवाजेपर आये हुए सफेदपोशों को दर्शन देता और अपने पॉच पुजवाता है। ये ऐसी बातें हैं कि छोटे-बड़े सभी को खटकनी चाहिए। पर अचरज तो यह है कि सौ में से एक के मन में भी इस तरह की खटक नहीं पाई जाती। आज के समाजवादियों ने और साम्यवादियों ने सौ में से एक दो में ऐसी खटक पैदा की तो है पर उस खटक में बनावट बहुत है। और वह अपने दंग की अलग होते हुए भी हमें बेदंगी और बेतुकी जँचती है। उस खटक में बाहरी कोच बेदृढ़ और भीतरी कोच नाम को भी नहीं। वे राजा को गद्दी से हटाकर उस की गदीपर जमकर रंकपने को मिटाना चाहते हैं। उनका यह कार्य उस बीमार जैसा है जो उठ-बैठ नहीं सकता और इस बजह से उसके हकीमने उसके खाने के लिए बिना चिकनाई की पतली खिचड़ी तज-

चीज़ कर रखी है और वह अपनी लिचड़ी खाते खाते किसी पूछान के इलवे के थाल पर जा लपके और ज्यादा खाने के बाद यह मानने लगे कि वह तनुरुस्त हो गया । जिस तरह वह मरीज बेहद टोटे में रहेगा उसी तरह से यह रंक भी राजा की गद्दी हथिया कर और ज्यादा रंक बन जायगा । ऊपर से पैदा हुई खटक जो रंग लाती है वह न एक के लिए अच्छा होता है और न समाज के लिए । ऊपर की खटक एक आदमी को यह सोचने समझने का अवसर ही नहीं देती कि वह क्यों रंक रह गया । वह रंकपने को ही किसी की देन समझता है । और यही समझता है कि जिस तरह यह राजा के हाथ में है कि वह जी चाहे जिस को सिपाही की बद्दी पहना दे और जी चाहे जिसको हवलदार की और जी चाहे जिसको सेनापति की । उसको यह पता ही नहीं कि सिपाही, हवलदार और सेनापति की वर्दियाँ यों ही नहीं बांटी जाती हैं । सिपाही में सिपाहीपने की परख की जाती है । उसे तब बद्दी मिलती है । वैसे ही परख की कसीटी पर हवलदार और सेनापति भी कसे जाते हैं तब वे उस बद्दी के हक़दार बनते हैं । पर वजिस आदमी में बाहर से खटक पैदा की गई है उसे इतने गहरे पानी में जाने की जरूरत क्या ? बाहरी खटक वाला तो बाहरी सीधा रास्ता ही अखिलयार करेगा और वह यही कि राजा को गद्दी से ढकेलो तो एक छन में राजा बन जाओ । हो सकता है कि इस तरह के काम से किसी एक को थोड़ी देर के लिए छोटी-मोटी सफलता मिल जाय पर सारे समाज की भलाई चाहने वाले की नज़र इस थोड़ी बनावटी सफलता पर भूले-भटके पड़ भी गई तो गटेक न पायेगी । वह ऐसी छोटी सफलता से न कोई सीख ले सकता है और न ऐसा कोई अटल सिद्धान्त बना सकता है जो समाज के सब आदमियों पर अलग-अलग काम में लाया जा सके । राजा तो गिनती का एक होता है, वह सब रंगों को राजा की गद्दी न दिला सकता है और न उसे ठीक समझता है । वह यह ज़रूर मानता है कि हर रंक में राजा होने की योग्यता है और एक ने ही उस योग्यता को बरसों धोया पोछा और

जॉन्चा मैंचा है तभी किसीने राजा का मुकुट उत्तर के सिर पर धर दिया है और उसने अपनी पहली तपस्था के बलपर स्वीकार कर लिया है और ठीक ढंग से संभाले हुए है। वह देखने के लिए राजा बनता या न बनता उस का रंकपना दूर हो चुका था और वह पहले ही से राजा था। सिर्फ लोगोंने उस अक राजा कहा। यही सच्ची बात है। जो अन्दर से राजा नहीं है वे राजा की गहरी पर ज्यादा देर नहीं टिक सकते और जो अन्दर से राजा है वह जहाँ है वहीं उसके लिए राजगहीं मौजूद है। दुनिया मुर्गों को दाने और राजहंस को मोती चुगाती है। राजा और रंक समझदारों की नज़रों से छिप नहीं पाते। पर जिस तरह हंस नहीं चाहता कि उसे कोई हंस कहे उसी तरह से जो भीतर से राजा है उसे राजा कहलवाने की इच्छा नहीं होती। बालकपन और बूढ़ेपन की तरह से रंकपना और राजापना आदमी के मन की अवस्थाओं का नाम है। रंकपने को और कुछ अर्थ ही नहीं है सिर्फ यह समझना है कि मैं रंक हूँ। रंक को इस अनन्त सुख से भरी दुनिया में दुःख ही दुःख दिखाई देता है। बीमारी में जिस तरह हमारा सब देह टूटने लगता है और हम यह चाहने लगते हैं कि यह देह न होता तो हम बड़े सुखी होते, उस वक्त हम यह भूल ही जाते हैं कि दुनियादारी के सुख को हम इस देह के बिना अनुभव ही नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से रंक को दुनिया के सब सुख दुख ही दिखाई देते हैं और वह चाहने लगता है कि ये सब न होते तो अच्छा था। उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि इन सब के बिना वह कितना दुःखी बन जायगा। जिस के मन में सरे समाज को सुखी देखने की इच्छा प्रबल होती है वह सुख के कारण को बाहरी चीजों में नहीं दूढ़ता। वह अन्दर न बूर ढालता है और वहाँ उस को वे कारण मिल भी जाते हैं। वह रंक और राजा की बात सोच कर ही नहीं रह जाता। वह अपने मन में तरह तरह के सर्वांग उठाता है। वह इस तरह सोचता है : एक रंक राजा की गहरी तो ले सकता है पर राज-काज नहीं चला सकता। एक लैटैत लठ के बलपर किसी सौदागर की दूकान का कब्जा तो ले सकता है, उस के घन

पर कुछ दिनों रंगेरलियाँ उड़ा सकता है पर दूकान को ठीक हंग से चला नहीं सकता । एक अपद किसी प्रोफेसर की कुर्सीपर वा डट सकता है पर सिवाय इस के कि वह विद्यार्थियों के लिलबाड़ की चीज़ बन जाय, उन्हें बता क्या सकता है ? इस तरह के विचार उसे ऐसी जगह पहुँचा देते हैं जहाँ पहुँचकर समाज में फैली हुई असमता का ठीक ठीक कारण वह समझ जाता है और अब उसको असमता में ही समता दिखाई देने लगती है । वह यह समझने लग जाता है कि चीटी और हाथी में एकता आत्मा है । पर चीटी किसी तरह भी हाथी के देह को नहीं संभाल सकती और न हाथी के आत्मा में इस बक्क इतनी ताकत है कि वह चीटी के देह में समा जाय । इस तरह के विचार उसे इस तत्त्वपर ले आते हैं कि वह आदमी की यह जाँच करे कि आदमी कितने अंश में स्वाधीन और कितने अंशों में पराधीन है ।

देशनात् असमानता ?

इस में आदमी का क्या बश है कि वह हिन्दुस्तान में पैदा हो गया । हिन्दुस्तान में पैदा होने के नाते वह हिन्दुस्तानी कहलाने लगेगा और अब वह हिन्दुस्तानियों का अपना और चीनियों, जापानियों, रूसियों का पराया बन जायगा । अब वह कितना ही उन लोगों को प्यार करे, उनका अपना नहीं हो सकता । कुछ चीनी, जापानी, रूसी समझदार तरह तरह की आड़ी टेढ़ी परख के बाद उसे किसी तरह अपना मान भी लें तो सब जापानी तो नहीं मानेंगे और उन मुखों के हिन्दुस्तान के साथ लड़ाई छिड़ जाने के बाद तो वह समझदारों की नजर में भी उनके मुख का दुष्मन समझा जाने लगेगा और अगर वह इन मुखों में से कही हो तो जेल स्वाने के सिवाय उस के लिए कोई जगह नहीं रह जायगी । उस का हिन्दुस्तान में पैदा हो कर हिन्दुस्तानी होना भर काफी सबूत है कि वह चीनी, जापानी, रूसी नहीं । और अगर वह इनमें से कोई एक बनता

है तो वह धोखेबाज है, धोखा देना चाहता है और अगर सच्चा है तो देश-द्रोही है। अब यताइये वह हिन्दुस्तानियत जो उस के मर्बी के बिना उस पर थोप दी गई है उस का वह क्या करे? वह उस के लिए बला बन गई है। और फिर दुर्ऊतों यह कि इस जबरदस्ती थोपी हुई जीवनपर आदमी अभिमान की बड़ी से बड़ी इबेली खड़ी कर लेता है। बल, यह जबरदस्ती की हिन्दुस्तानियत, जिस के गढ़ने में आदमीका जरासा भी हाथ नहीं है असमता की बींज बन बैठती है। इस बींज के बीजपन को जलाए बिना असमताकी बेल को उगाने से नहीं रोका जा सकता।

जाति-गत असमानता?

आदमी का इस में क्या बश है कि वह एक हिन्दूपर में पैदा हो और अब उसे चाहे-अनचाहे अपने को हिन्दू कहना पड़ेगा और कुल के अनुसार चोटी रखानी होगी, जेनेझ पहनना पड़ेगा और पंथ के अनुसार तिलक छाप लगाना होगा और भी न जाने क्या क्या करना होगा। यह हिन्दूपन भी आदमी के सिर जबरदस्ती का थोपा हुआ नहीं तो और क्या है? कोई बच्चा माँ के पेट से हिन्दू या मुसलमानी निशान लेकर पैदा नहीं होता। आज तक इन्सान न कोई ऐसी मशीन बना पाया है और न ऐसे साधन जुटा पाया है जिसपर कस कर या जिनकी मटद से वह किसी बच्चे के बोरे में यह बता सके कि वह हिन्दू माँ के पेट से पैदा हुआ है या मुसलमान माँ के पेट से। वह हिन्दू बाप के वीर्य से है या मुसलमान बाप के नुक्के से। कुदरत ने ऐसा भेदभाव रखा ही नहीं और वह रखती भी क्यों? उसे क्या पता था कि यह आदमी का बच्चा जिसको उसने इस सारे पृथ्वीग्रह का मालिक बनाया है वह इसको एशिया, यूरप के ढुकड़ों में काट डालेगा और फिर उस के हिन्दुस्तान और चीन जैसे और छोटे ढुकड़ कर डालेगा और फिर फाढ़कर पंजाब, बंगाल जैसी येकलियाँ बना बैठेगा। और उस कुदरत को यह भी क्या पता था कि वह आदमी का बच्चा जिस

को उठने सारे मानव समाज का सुदृश्य बनाकर पैदा किया था, एकदिन इस मानव समाज के पट को छोटी-छोटी बजिजियों में बांट देगा और उन को हिन्दू, मुसलमान, ईसाई नाम देकर इतनी असमता पैदा कर लेगा कि हर धर्मका अनुयायी अपने को भेड़िया और दूसरे धर्मवालों को निरी भेड़ समझने लगेगा और यो मानव समाज काढ़खाऊ दल और फाड़ खाये जाने वाले दलों में बँट जायगा ।

विचार और भाषा की असमानता ?

कुद्रत को यह भी क्या पता था कि उसका विचार और भाषा के अनोखे जेवरों से लदा आदमी का बच्चा और भी ज्यादा प्रेम-इन्धन में बंधने की जगह द्वेष की आग से जलकर राख के कणों की तरह हवा की मदद से कण-कण में बिल्कुल जायगा या जगह जगह कुछ कण-पुंजों का टीला बना कर जम जायगा । और फिर आद्ये दिन एक टीले के कुछ कण दूसरे टीले में जा मिलेंगे और दूसरे के कुछ कण तीसरे में जा मिलेंगे या पहले में आ मिलेंगे । और फिर यह साधारण-सी बात भी द्वेष की भभक के कारण झगड़े की बात बन जाया करेगी । हिन्दू, मुसलमान, ईसाई पना न प्रकृति की देन है और न मानव की सूझ । यह तो आदमी के सिर घोपी हुई बलाएँ हैं । न मुहम्मद साहब ने कोई नई बात कही, न कहने का दावा किया और न हजरत ईसा ही कोई नई बात कह गये थे । रही हिन्दूधर्म की बात, उसे तो किसी एक के सिर मढ़ना आज असमव-सा हो रहा है । वह तरह तरह के विचारों की स्थान है । सब उस के लिए समान हैं और वह सब के लिए उमान । किस तरह किसी देश में जन्म लेना हमारे वश की बात नहीं, वैसे ही किसी धर्म में जन्म लेना भी हमारे वश के बाहर है । यह है, तो है पर मुकिल तो यह है कि हम इस बेबही की सिर पँडी बोती को पेसे ही अपनाते हैं मानो हमारी यह निवारी कमाई हुई चीज़ है । तब उसे अपने मोल आँकने पर इसी आती है और अपनी

बपौती से पाई चीज़ के साथ हम किसी तरह भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसा अपनी कमाई हुई चीज़ के साथ। अपनी कमाई हुई चीज़ की रग-रग से हमारी जानकारी होती है, उस के कमाने के हथकण्डों से हम बाक़िफ़ होते हैं; उस के दूटने-फूटनेपर उसे सुधार-संवार सकते हैं। इतना ही नहीं उस के कमाने के हथकण्डे हम किसी और को भी सिखा सकते हैं। उस के बारे में हमें यह भी विश्वास होता है कि हमारी तरह से कोई और भी उसे जल्दी ही आसानी से कमाना सीख सकता है और यह जानकारी हम में अपनी कमाई हुई चीज़ की बज़ह से धमग्रह को बहुत कम पास आने देती है या बिल्कुल पास नहीं आने देती। बपौती से पाई चीज़ के बारे में हम से एकदम उल्टा होता है। न उसे हम ठीक समझते हैं और न उसका ठीक ठीक मोल ही आंक सकते हैं और कभी आंकने ही लग जाय तो हचार में से नवसौ निजानवे आदमी उस के दाम इतने आंकेंगे जिसको दूसरे सुनकर दंग रह जायें। यही बज़ह है कि आदमी जिस धर्म में पैदा होता है उसकी कुछ भी जानकारी न होने से या ठीक ठीक जानकारी न होने से उस का मोल बेहद ऊँचा आंक जाता है लेकिन अगर उसे अपनी छिन्दगी में कभी पूरी तरह से उस धर्म के जांचने का मौका मिल गया जिस में वह पैदा हुआ है, मूर्खता का पता लगता है। उसने भूल सिर्फ़ इतनी ही की होती है कि उसने अपने धर्म का मोल किसी दूसरे धर्म को सामने रख कर आँका होता है, जब कि उसकी जानकारी दोनों ही धर्मों के बारे में शून्य होती है। पर अब जब वह अपने धर्म की जाँच करता है और सच्चे जी से जाँच करता है तो वह उसे चमकता हुआ तो मालूम होता है, पर साथ ही साथ उसे मालूम होता है कि दूसरा धर्म भी उतना ही चमकता हुआ है। और उसे यह भी मालूम होता है कि इस तरह की चमक उस के अन्दर भी मौके भेजीके पैदा होती रही है। पर इतनी दूर तक पहुँचने का अवसर किसी को ही मिल पाता है। इसलिये उस

धर्म का अभिमान जिस धर्म में एक आदमी पैदा हुआ है कर बैठना किसी समय भी खतरे से साली नहीं होता। धर्म के ऐसे अन्ध-विद्वासी जो कारनामे कर गुजरते हैं उनकी कथाओं का समूह इतिहास नाम पाता है। और उस इतिहास पर हमारे जवानों की बुद्धि का पालन-पोषण होता है। और उसी की बबह से समाज को वे दिन देखने पड़ते हैं जिसके बारे में बदलत्य ही नहीं कर पाता कि आज का दिन किस दिन की किस कार्रवाई का फल है। बस, सिर पर धुपे धर्म का अभिमान किसी तरह ठीक चीज़ नहीं और उस से बचे रहने में ही अपना और समाज का भला है।

अमीरी किसी पुण्य-कर्म का फल नहीं है

चाहने न चाहने से कोई आदमी किसी अमीर घराने में जन्म नहीं लेता। अमीर घराने में जन्म लेना पुण्य कर्मों का भी फल नहीं होता।

यह ठीक है कि बहुत से लोग उस को पुण्य-कर्मों का ही फल मानते हैं परं यह उनकी कोरी धीरा-धीरी है या बेमतलब की मनसमझीती है। अगर कुदरतने, भाग्य ने या दूश्वरने किसी बालक को उसके पुण्य-कर्मों के बदल में या किसी बबह से जानबूझकर और सोच-समझकर अमीर घराने में जन्म दिया होता तो अमीर घर में पैदा हुआ बालक कभी गली की धूल से खेलना पसन्द न करता। और गन्दी नाली में हाय डालना तो उसे जन्म के पहले दिन से ही न मुहाता। अमीर घर की टासटासियां ही नहीं, उस बालक की चाँची, ताई, दादी, नानी, भाई-बहन यहाँ तक कि उनकी मां भी उसे टीन और चांदी के चम्मच में तमीज़ करना नहीं सिखा सकती। वह कभी भी चांदी के चम्मच को फेंककर टीन का चम्मच लेना पसन्द करेगा और उसके लिए रो-रो कर सारे घर को सर पर उठा लेगा। वह चांदी के चम्मच को गन्दी नाली में ऐसे ही फेंक देगा जैसे मिट्टी की ढली को। दूसरी तरफ वह मिट्टी की ढली को बड़े चाव से मुंह में देगा और देर तक मुंह में रखना पसन्द करेगा।

सोने की ढली को भी वह मुंह में देगा पर शायद उतने चाव से और उतनी देर तक उसे मुंह में रखना पसन्द न करेगा, जितने चाव से और जितनी देर तक उसने मिट्टी की ढली अपने मुंह में रखती थी। सारा घर बरसों उसे अमीरी सिखाने में लगा रहता है पर सफल नहीं हो पाता। बटिया से बटिया और साफ़ से साफ़ कपड़ों में धूल भरने में उसे कोई किसक नहीं होती। वह किसी किसी काम के करने में शर्माता जल्द है पर वह शर्मा कर चाना यही चाहता है कि अमीरी बहुत खराब चीज़ है और यह अपनाने की चीज़ नहीं है। तुम लोग क्यों मुझे ऐसी खराब चीज़ अपनाने को खो देते हो। वह साफ़ कहता मालूम होता है कि रेत से बढ़कर रुई के गंदे नहीं हो सकते और घास से बढ़कर मखमल का कपड़ा नहीं हो सकता और फूलों से बढ़कर सोने-चांदी के बनावटी फूल नहीं हो सकते। मतलब यह कि वह अपने हर काम से यही साक्षित करना चाहता है कि कुदरत ने सोच-समझ कर उसे अमीर के घर पैदा नहीं किया है और न वह खुद ही सोच समझ कर वहाँ पैदा हुआ है। इस पैदा होने में शायद कोई भेद की बात भी हो पर वह इतनी थोड़ी निकलेगी जिसके जान लेने से इस बात के साक्षित करने में कोई मदद न मिलेगी कि पुण्य-कर्म के फल से कोई बालक अमीर घराने में जन्म लेता है और जो जयादा बात मिलेगी वह सिर्फ़ यही साक्षित कर सकेगी कि यह निरी आकृतिक घटना है और इतनी ही आकृतिक है जितना एक हैंट का मकान की बुनियाद में लगना या सुंदर पर लगाना।

अमीरी से सुख भी नहीं मिलता :

सुख-दुख के लिहाज़ से भी घर में पैदा होकर ज्यादा सुख नहीं मिल पाता। बीमारियों पर अमीरी का कोई अधिकार नहीं है। अगर बीमारियों पर किसी को कुछ अस्तित्यार है तो वह है उफाई को, खुली हवा को चांदनी और धूप को, चश्मे के बहते हुए ताज़ा पानी को और हवा, धूप,

खाई, घूल, मिट्टी को और फिर और कुछ है तो ताजा-ताजा फलों को, महकते फूलों को, मीठी मीठी बड़ों को, लटमिट्टी पत्तियों को, चटपटी बड़ी-बूंदियों को और ये सब चीज़ें अमीरों को बहुत कम नसीन होती हैं। पैसे के बलपर वह इन बड़ों को जुटा सकते हैं, पर जान-बूझकर नहीं जुटते। धूल-मिट्टी की अमीर को क्या कमी। पर वह तो यह समझता है कि धूल-मिट्टी में खेलना गरीबों का काम है। इस से अमीरी को धक्का लगता है। चांदनी और धूप की अमीर को क्या कमी रह सकती है, पर वह तो यह समझता है कि बच्चे का नंगा रहना गरीबी की मार है। अमीर उस मार को क्यों सहे ? इसलिए अमीर का बच्चा तन्दुरुस्ती के सीधे-सोदे साधनों से बहुत दूर पड़ जाता है और बीमारियों से लम्बी दोस्ती गांठ लेता है। इससे साफ ज़ाहिर है कि सुख का अमीरी से कोई सम्बन्ध नहीं। इसलिए पुण्यकर्मों का अमीरी से कोई सम्बन्ध नहीं। क्योंकि पुण्यकर्म सुख के साधन जुटायेगा। और सुख के साधन जहाँ रहते हैं वहाँ जाने में अमीर अपनी हेटी समझता है। फिर पुण्यकर्म किसी को सुख के लिये तो अमीर घर में जन्न नहीं देगा। वह, तो यह पता चला कि अमीरी भी आदमी के सिरपर चाहे-अनचाहे शुप जाती है। अमीर बच्चों में से सौ में से निनानवे यह कहते मिलेंगे कि उनकी अमीरी उनके लिए कारागार बनी हुई है और वे उसमें कैदी हैं। जिस एक को ऐसी दिक्कायत नहीं होगी उसे यह न समझिये कि वह आज़ाद है। असल में वह इस योग्य ही नहीं है कि स्वाधीन-जीवन और बन्दी-जीवन में तमीज कर पाये। इसे कौन नहीं जानता कि शुद्धेदन को जब अपने बेटे सिद्धार्थ का जो आज बुद्ध नाम से जाने जाते हैं, यह पता चल गया कि वह अमीरी की धोखेबाजियों को समझ गया है और अमीरी का मामूली जेलखाना वह उसे किसी तरह नहीं रोक सकता, उसने उसको भागने से रोकने के लिए कितनी नई और कितनी ऊँची-ऊँची दीवारें खड़ी की थीं। कहाँ नाच-गाने का सामान जुटाया था, कहाँ बढ़िया से बढ़िया संगिनी उस के गांठ बांध दी थी। बढ़िया,

से बढ़िया बाग-बगीचे उसके लिए तैयार किये गये थे और रथ-मंडोलियों की तो कोई गिनती ही न थी। क्या इसके बाद भी किसी को शक रह सकता है कि अमीर घर में पैदा होना जेलखाने में पैदा होना है और क्या पुण्यकर्म ऐसे नीच काम करने की सोच सकता है?

असमृता की जड़-अमीरी का धमण्ड

इम वह तो नहीं कहना चाहते कि अमीर घराने में जन्म लेना पाप का फल है, क्योंकि यह कहकर तो इम वही भूल करेगे जो इसको पुण्य-कर्म का फल बताकर कर रहे हैं। इम यहाँ पुण्य-पाप के पचड़े में नहीं पड़ता चाहते। हमें तो सिर्फ़ इतना ही कहना है कि अमीर घर में अगर कोई आदमी पैदा हुआ है तो इस में उसका कोई कमूर नहीं, क्योंकि यह बात उस के बूते के बाहर की थी। कसूर तो वह यह करता है कि इस जबरदस्ती सर पड़ी बला को ऐसे ही अपनाता है मानो उसने बड़ी मेहनत और तपस्या से अमीर घर में जन्म पाया हो। इस भूल का नतीज़ा यह होता है कि वह अमीर और गरीब में फ़रक़ करने लगता है। जिस फ़रक़ को न वह पैदाइश से साथ लाया था और न अपने बचपन में किसी तरह मानकर देता था। वह फ़रक़ उस में उसकी मरज़ी के बिना ढूंसा गया है और अब उसको वह इस तरह अपनाता है, मानो जानबूझकर उसने उसे शौक के साथ पिया हो। यही बज़ह है कि वह अपने आपको एक ऐसी जगह खड़ा कर लेता है जहाँ खड़े हो कर समाज की तराज़ू की ढंडी किसी एक तरफ़ को छुक जाती है और समाज की समता बिगड़कर समाज में खलबली मच जाती है और वह तुफान उठता है जो औरों को ही नुकसान नहीं पहुँचाता उसको भी आफ़त में डाल देता है। बस, ऐसी सिर पर शुपी अमीरी का धमण्ड करना भूल ही नहीं, मूर्खता भी है। इतने मूर्खपने के लबांद तन पर लाद कर हम समाज की सेवा के लिए निकल खड़े होते हैं और जब उस काम में सफल नहीं होते जिसे हम करना चाहते थे तब अमीरी असफलता

का भांडा किसी और के सिर फोड़ने लग जाते हैं। और यो एक और चड़ी मूर्खता कर बैठते हैं। असल में तो हमें इन चीजों का अभिमान मानना ही नहीं चाहिए जो हमें देश, धर्म, वंश, कुल की बब्रह से हाथ लग गई हों और जिन में हमारी अपनी कमाई का जरा-न्सा भी हिस्सा न हो या अगर हम किसी तरह से उन का अभिमान माने बिना रह ही नहीं सकते तो उन के बाहर को यहाँ तक निकाल डालना चाहिए कि उनका अभिमान इतना ही रह जाय जितना एक नाम का। जिस तरह हमारा नाम राममोहन है और दूसरे का श्यामकुमार है और तीसरे का मुहम्मद अली है और चौथे का डेविड है पर जब हम गेंद का खेल-खेलते हैं तब 'डेविड' का नाम 'डी' पर होने से पहला दाव उसे देते हैं और श्यामकुमार का नाम 'एस' से शुरू होने से सब से पीछे खेलते हैं। उस बत्ते हमारी निगाह सिर्फ नाम के अक्षरों तक रहती है, उस से आगे नहीं जाती। अगर यही बात देश, धर्म, कुल, वंश के साथ ही जाय तो दुनिया का बहुत कछु सुधार हो जायगा। पर हमें यह आसान बात ज्यादा मुश्किल और देर में सफल होने वाली मालूम होती है और यह मुश्किल बात कि सिर पर युपी चीजों का अभिमान छोड़ दो, ज्यादा आसान मालूम होती है। इसी लिए हम इस बातपर जोर देते हैं।

असमता मिटाने का मार्ग

असमता के मिटाने के लिए ऊपर के तीन उदाहरणों में और भी जोड़े जा सकते हैं और यह काम हम पढ़ने वाले पर ही छोड़ते हैं। हम तो मोटे रूप से यही कह देना चाहते हैं कि देश, धर्म, कुल का खोटा अभिमान असमता को कभी नहीं मिटने देगा। मिटने देने की बात तो एक और उसे उत्पन्न पनपाता रहेगा। इस लिए इस बेमतलब की चीज़ को तो छोड़ने में ही अपना और समाज का गला है। यहाँ यह और समझ लेना चाहिए कि हम सिर से पैर तक इन्हीं जबरदस्ती शुपे गुणों के निरे

बंडल नहीं हैं, हम अपनी भी कोई चीज़ लेकर जन्मे हैं और वह है इमारा पुरुषार्थ, इमारा व्यक्तित्व, इमारी समझ, इमारा अन्तरात्मा। हम अपने अभिमान को सब ओर से हटा कर इसी एक अन्तरात्मा या ब्रह्मीर पर पुंजी-भूत कर दें, पानीला हकड़ा कर दें तो हम बहुत जल्दी उमाज में अपनी ऐसी जगह बना लेंगे जो ऊंची तो होगी पर असमता को पैदा न करेगी, जो बड़ी तो होगी पर दूसरे उसे देखकर अपने में छोटे पने का अनुभव न करेंगे, जो महान् तो होगी पर समाज में से किसी एक में भी तुच्छता के पांव न जमने देगी। इमारा अन्तरात्मा अपने आप हमें ऐसे रास्ते ले चलेगा जहाँ कोंटे अपने आप फूल में बदलते चले जायेंगे और फिर अन्तरात्मा की आजादी की ऐसी बाढ़ आ जायगी जैसे खरबूजों के बेल में एक खरबूजा पकने से अनेकों खरबूजे पकने का तांता बंध जाता है। योड़ी ही खलबली तो इस काम में भी होगी पर वह मीठी टीस की तरह खुशी खुशी बरदाइत कर ली जायगी या बच्चा पैदा होने के बक्क की पीर की तरह रोते हुए भी सहन करने में दिल के अन्दर एक गुदगुदी बनाये रखेगी।

अन्तरात्मा की समता से ही समता फैल सकती है।

यह सवाल न उठाइये कि अन्तरात्मा आपको कुण्ड में जा गिराएगा। अन्तरात्मा परमात्मा का अंश है। उस से ऐसा काम कभी नहीं हो सकता। हाँ, छठे अभिमान के साथ जो आत्मा कर बंटता है वह अन्तरात्मा नहीं होता। वह मन और मस्तक का घड़यंत्र होता है। लोग नासमझी से उसे अन्तरात्मा की पुकार कह बैठते हैं। यहूदी ईसा का अन्तरात्मा जो कुछ बोला वह ईसाई धर्म नहीं है। ईसाई धर्म तो ईसा के स्वतंत्र अन्तरात्मा की पुकार है। मुसलमान या और किसी धर्म वाले मुहम्मद की अन्तरात्मा की पुकार इस्लामधर्म नहीं था और न है; वह तो मुहम्मद की स्वतंत्र आत्मा की पुकार है और वही तो ईश्वरीय इलहाम है। इसी तरह से बुद्ध और महावीर सभी देश, धर्म, और कुल के अभिमान से एक दम परे

यह असमता क्यों ?

होकर ही स्वतंत्र और स्वाधीन अन्तरात्मा को पहचान सके, उसकी मुन सके और उसी की आवाज को लोगों तक पहुँचा कर किसी हदतक समाज की असमता को मिटाने में सफल हुए और समता की स्थापना करने में कामयाबी प्यासके । इस, समता के लिए अन्तरात्मा की समता सब से ज्यादा बहुरी है । अपने भीतर की समता के बल से ही बाहर समता फैलाई जा सकती है ।

: ९ :

व्यक्ति का पुनर्निर्माण

भद्रन्त आनन्द कौसल्यायन

आज पुनर्निर्माण की चर्चा है, व्यक्ति के नहीं, समाज के, अपने नहीं दूसरों के। क्या व्यक्ति का पुनर्निर्माण एकदम उपेक्षा की चीज़ है?

यह सत्य है कि व्यक्ति समाज की उपज है और यदि सारा समाज लड़ा-लगड़ा रहे तो एक व्यक्ति भी सीधा नहीं खड़ा हो सकता, किन्तु फिर समाज भी तो व्यक्तियों का ही समूह है, यदि व्यक्ति व्यक्ति की ओर ध्यान न दे अथवा व्यक्ति अपनी ही ओर ध्यान न दे तो समाज भी आखिर कैसे खड़ा हो सकता है?

अग्रेजी की एक प्रसिद्ध तुकबन्दी का भावार्थ—यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने सुधार की ओर ध्यान दे तो एक जाति का निर्माण कितना आसान है।

बौद्धर्घम में सम्यक् व्यायाम के चार अंग कहे गये हैं—

१—इस बात की सावधानी रखना कि अपने में कोई अवगुण आ न जाय।

२—इस बात का प्रयत्न करना कि—अपने अवगुण दूर हो जायें।

३—इस बात की सावधानी रखना कि अपने सद्गुण चले न जायें।

४—इस बात का प्रयत्न करना कि अपने में नये सद्गुण चले आयें।

यदि चारोंमें अच्छे फल—फूल न लगाये जायें और जमीन को यूं ही पड़ा रहने दिया जाय तो उसमें बेकार के शाढ़-शङ्काड़ उग ही आयेंगे।

यदि अवगुणों को दूर करने और सद्गुणों को लाने का प्रयत्न निरन्तर नहीं किये जायेंगे तो अवगुण बने ही रहेंगे और सद्गुण नहीं आ पायेंगे। इसलिये यदि इस चतुर्मुखी कार्यक्रम को धटा कर इसके केवल दो अंगों को स्वीकार कर लिया जाय तो भी मैं समझता हूँ कि भगवान् बुद्ध का उद्देश्य पूरा हो सकता है।

अवगुणों को दूर करना और सद्गुणों को अपनाना ये दोनों भी क्या अर्थ की दृष्टि से एक ही नहीं हैं? इसका उत्तर हाँ और नहीं—दोनों में देना होगा।

एक आदर्शी को व्यर्थ बहुत बक-बक करने की आदत है। यदि वह अपनी इस आदत को छोड़ता है तो वह अपने व्यर्थ बोलने के अवगुण को छोड़ता है किन्तु साथ ही और अनायास ही वह मितभाषी होने के सद्गुण को अपनाता चला जाता है। यह तो हुआ हाँ पक्ष का उत्तर। किन्तु एक दूसरे आदर्शी को सिगरेट पीने का अभ्यास है। वह सिगरेट पीना छोड़ता है और उसकी बजाय दूध से प्रेम करना सीखता है, तो सिगरेट पीना छोड़ना एक अवगुण को छोड़ना है और दूध से प्रेम करना एक सद्गुण को अपनाना है। दोनों ही दो भिन्न वस्तुएँ हैं—पृथक् पृथक्।

अवगुणों को दूर करने और सद्गुणों को अपनाने के प्रयत्न में, मैं समझता हूँ कि अवगुणों को दूर करने के प्रयत्नों की अपेक्षा सद्गुणों को अपनाने का ही महत्त्व अधिक है। किसी कमरे में गन्दी हवा और स्वच्छ हवा एक साथ रह ही नहीं सकती। कमरे में हवा रहे ही नहीं, यह तो हो नहीं सकता। गन्दी हवा को निकालने का सबसे अच्छा उपाय एक ही है—सभी खिड़कियाँ और दरवाजे खोल कर स्वच्छ हवा को अन्दर आने देना।

अवगुणों को भगाने का सब से अच्छा उपाय सद्गुणों को अपनाना है।

येसी बातें पढ़ सुन कर हर व्यादमी यही कहता सुमार्ह देता है, जो किसी समय बिचारे दुयोग्यन के मुँह से निकली थी :

‘धर्म’ जानता हूँ, उसमें प्रदृष्टि नहीं ।

‘अधर्म’ जानता हूँ, उसमें निष्प्रति नहीं ।

एक दूसरे व्यादमी में कुटेव पड़ गई—सिगरेट पीने की ही सही । अत्यधिक सिनेमा देखने की ही सही । बिचारा बहुत संकल्प करता है, बहुत कर्म स्वाता है, कि अब सिगरेट नहीं पीऊंगा, अब सिनेमा देखने न जाऊंगा, किन्तु समय आने पर जैसे आप ही आप उसके हाथ सिगरेट तक पहुँच जाते हैं, और सिगरेट उस के मुँह तक । बिचार के पांव सिनेमा की ओर जैसे आप ही आप बढ़े चले जाते हैं ।

क्या सिगरेट न पीने का और सिनेमा न जाने का उतका संकल्प सच्चा नहीं, क्या उसने शूदी कर्म स्वार्ह है ? क्या उस के संकल्प की दृढ़ता में कमी है ? नहीं, उसका संकल्प तो उतना ही दृढ़ है जितना किसी का भी हो सकता है । तब उसे बार बार असफलता क्यों होती है ? होती है और बार बार होती है ।

इस ‘असफलता’ का कारण और ‘सफलता’ का रहस्य कदाचित् इस एक ही उदाहरण से समझ में आ जाय ।

जमीन पर एक छः इंच या एक फुट चौड़ा-लम्बा लकड़ी का तख्ता रखा है । यदि आप से उस पर चलने के लिये कहा जाय तो क्या आप चल सकेंगे ? क्यों नहीं ? बड़ी आसानी से । अब इसी तख्ते के एक सिरे को किसी मकान की छत पर रख दिया जाय और शेष तख्ते को यूँही खुले आकाश में अगे बढ़ा दिया जाय और तब अग्र से उसी तख्ते पर चलने के लिये कहा जाय तो, क्या आप तब भी चल सकेंगे ? डर लगेगा । नहीं चल सकेंगे ।

कोई पूछे, क्यों ! आप इस के अनेक कारण ज्ञाएंगे, सच्चा कारण
एक ही है। आप नहीं चल सकते, क्योंकि आप समझते हैं कि आप नहीं
चल सकते।

यदि आप आब यह विश्वास कर लें कि आप चल सकते हैं और
उसी लकड़ी के तख्ते को थोड़ा थोड़ा जमीन से ऊपर उठाते हुए इसी पर
चलने का अभ्यास करें, तो आप उस पर बढ़ आराम से चल सकेंगे।
सरकस वाले चलते चलते तारों पर कैसे चल लेते हैं ! इस ऐसे ही चल लेते
हैं। वे विश्वास करते हैं कि वे चल सकते हैं और तदनुसार अभ्यास करते
हैं। वे चल ही लेते हैं।

यदि आप किसी अवगुण को दूर करना चाहते हैं तो उस से दूर
दूर रहने का दृढ़ संकल्प करना छोड़ दीजिये, क्योंकि जब आप उस से दूर
रहने की कस्में खाते हैं, तब भी आप उसी का चिन्तन करते हैं। चोरी
न करने का संकल्प भी चोरी ही का संकल्प है। पक्ष में न सही, विपक्ष
में सही, है तो चोरी के ही ओर में। ‘चोरी’ न करने की इच्छा रखने
वाले को चोरी के सम्बन्ध में कोई संकल्प-विकल्प ही न करना चाहिये।

यदि आप अपने संकल्प-विकल्पों द्वारा अपने अघगुणों को बल्वान
न बनायें तो हमारे अवगुण अपनी मौत आप मर जायेंगे।

हमें अपने संकल्प-विकल्पों द्वारा अपने सद्गुणों को बल्वान बनाने
की आवश्यकता है।

यदि आप की प्रकृति ‘चंचल’ है, आप अपने ‘गंभीर स्वरूप’ की
‘भावना’ करें। यथावकाश अपने मन में अपने ‘गंभीर स्वरूप’ का चित्र
देखें। अचिरकाल में ही आपकी प्रकृति बदल जायगी।

यदि आप की प्रकृति ‘अस्वरूप’ है, आप अपने ही ‘स्वस्थ स्वरूप’ की
‘भावना’ करें। यथावकाश अपने मन में अपने ‘स्वस्थ-स्वरूप’ का चित्र
देखें। अचिरकाल में ही आप की प्रकृति बदल जायगी।

यदि आप की प्रकृति 'अशांत' है, आप अपने ही 'शांत स्वरूप' की 'भावना' करें। यथावकाश अपने मन में अपने 'शांत स्वरूप' का चित्र देखें अचिरकाल में ही आप की प्रकृति बदल जायगी।

शायद आपको 'गम्भीरता' 'स्वास्थ्य' 'शांति' की उतनी आवश्यकता ही नहीं जितनी दूसरी लौकिक चीजों की।

उन लौकिक चीजों की प्राप्ति में भी यह नियम निश्चयात्मक रूप से सहायक होगा, किन्तु निर्णायिक नहीं।

संसार में प्रत्येक कार्य अनेक कारणों से होते हैं। यदि दूसरे कारण एकदम प्रतिकूल हों तो अकेली भावना क्या करेगी? कोई तरुण अपना शीर बलवान बनाना चाहता है, खान-पान के साधारण नियमों का खयाल नहीं करता, स्वच्छ हवा में नहीं सोता, व्यायाम नहीं करता, केवल भावना के ही बलपर बलवान होना चाहता है। यह असम्भव है।

भावना अपना काम करती है, किन्तु अकेली भावना खाने, पीने, स्वच्छ हवा और व्यायाम सभी की जगह भावना नहीं ले सकती।

बो बलवान बनाने की सच्ची भावना करेगा वह अपने खान, पान, स्वच्छ वायु और व्यायाम की भी चिन्ता क्यों न करेगा?

इन व्यर्थों में भावना को सर्वार्थ-साधिकार कहा जा सकता है।

सब भावनाओं में सुहृद भावना एक ही है, जिसे जैन, बौद्ध, हिन्दू, सभी ने अपने अपने धर्म ग्रन्थों में स्थान दिया है :

सभी के प्रति मैत्री, गुणियों के प्रति प्रसुदता,

दुखियों के प्रति दया, दुष्टों के प्रति उपेक्षा ।

सचमुच इस से बढ़ कर 'ब्रह्म-विहार' की कल्पना नहीं की जा सकती ॥

: १० :

इन भूतनि मोहि नाच नचायो

राजमल ललवानी

सब की बात मैं नहीं जानता । मुझे तो बचपन में भूत-पिण्डाचों की कहानियाँ सुनने का बहुत बार मौका मिला है । उनकी चमत्कारिक कहानियाँ सुन-सुनकर कभी-कभी तो उन्हें देखने और उन से बातें करने की भी इच्छा हो जाती थी । और सच मानिये, मैं इन कहानियों के भूतों को आदमी के रूप में, शकल में नहीं मानता था । मेरी उत्सुकता बढ़ती और कभी-कभी तो कल्पना करने लगता कि घर की दीवालों में, छेदों में भी भूत रहते होगे । अंधेरे में सूँ-सूँ की जो आवाज़ मेरे कानों में पड़ती उस से मुझ नींद नहीं आती और मैं ढर जाया करता था । इस डर का कारण भूत के अस्तित्व की कल्पना होती । लेकिन अफ़सोस कि ऐसे भूत मुझ अब तक नहीं मिले । इसलिए जैसे-जैसे मैं बढ़ा होता गया, भूत पर से मेरा विश्वास उठाता गया । जब कभी सुनता कि फलाँ छी या पुरुष के शरीर में भूत है और दुख देता है या किसी को उसके दर्शन हुए हैं, तो मैं हँस देता और कहने वाले की मूढ़ता प्रकट करता ।

लेकिन आज मुझ पर ही अनेक भूतों और भूतनियों का प्रभाव स्थापित हो गया है । बड़े अचरज मैं हूँ कि यह सब कैसे हो गया ! जानता हूँ कि यह सब भूत हैं और दुख देते हैं, किर भी उनसे अपने को दूर नहीं कर पा रहा हूँ । इलाज का भी प्रयत्न किया, लेकिन इन भूतों की दवा तो, सुनता हूँ यमराज के दरबार में भी नहीं है । शायद दूसरे लोग भी मेरे समान ही इन भूतों के शिकार हों । मैं तो बढ़ा दुखी हूँ । आदमी दुख अकेला नहीं सुगतना चाहता । उसे तो वह

बैठना चाहता है। आप हिरण्यदार नहीं बनें, तो भी आप के दुख में मैं तो साक्षीदार बन ही सकता हूँ और मैं ही आपको अपने दुख में साक्षीदार मान दूँ तो क्या बनने-बिगड़ने वाला है? तो, सुनिए मेरे भूलों की राम कहानी।

मेरा बचपन गरीबी में बीता था। इसलिए मैं समझने लगा कि बिना मेहनत-मजदूरी के दो जूत खाना भी नहीं मिल सकेगा। लेकिन माय्य मेरा (यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य, कौन जान) कि मैं गरीबी को ठोकर मारकर अपीरी की गोद में जा बैठा। अम करने की आदत तो थी, लेकिन घनवान का बेटा होकर अम कर्ण—यह कैसे हो सकता था। मेरी हँचा होती कि मैं श्रम करूँ, लेकिन मुझे कहा जाता कैसा मूर्ख हूँ! ऐसा करने से अपनी इज्जत कम होती है। मैंने सोचा, चलो दोनों हाथ लड्डू हैं। अम से बच्चूंगा और इज्जत भी बढ़ेगी। धीरे-धीरे हालत यहाँ तक बढ़ गई कि नहीं समय साबुन लगाने के लिए भी एक आदमी मेरे साथ रहता। अब क्या या, आलस और प्रमाद मुझपर पूरी तरह हावी हो गये। पहले तो मुझे कुछ भी नहीं लगा, बल्कि आनन्द हुआ कि देखो मेरी सेवा हो रही है। लेकिन अब तो अनुभव हो रहा है कि वह आलस का प्रलोभन था, अपनी सेवा कराने के लिए। आज सचमुच यह आलस रूपी भूत मुझ से सेवा ले रहा है।

मैं बचपन में ज्यादा नहीं पढ़ सका। पढ़ने के साधन भी नहीं थे। भगवान जाने मुझ में अकल नाम की कोई चीज़ थी भी या नहीं, लेकिन धनी-परिवार का अंग बन जानेपर तो मेरी बुद्धि की प्रशंसा के पुल बांध जाने लगे। इस तरह ‘ठोक पीटकर’ तो नहीं ‘प्रेम और प्रशंसा की थपकियो’ से बुद्धिमान बना दिया गया। सेठबी के पास आनेवाले मेरी प्रशंसा अपने स्वार्थन्बश करते थे कि सेठबी का पद लेनेपर मेरी दृष्टि उनपर कृपा पूर्ण रहे। साथी भी मेरी प्रशंसा करते। धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगने

स्मा कि मैं जो करता और कहता हूँ वही टीक है। इसतरह मेरे भीतर अहंकार बढ़ने लगा। यह अहंकार स्पी भूत मेरे इतना पीछा पड़ गया है कि कई बार पछाड़ ला कर गिर चुका हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि इस के पंच से छूट जाऊँ, लेकिन कुछ नहीं। छटपटाकर रह जाता हूँ। सचमुच इस से मैं बड़े कष्ट में हूँ।

गरीबी के कारण माता-पिता अच्छी तरह पढ़ाने में असमर्थ थे। मैं बरार में अपने एक सम्बन्धी के यहाँ रहकर पढ़ने लगा। व्यावहारिक कुशलता इसी में है कि जितना खाने-पढ़ने को दिया जाय उस से कुछ अधिक काम तो लिया ही जाय। मुझसे पूरा काम लिया जाता। मेरा बहुत-सा समय तो पानी भरने, कण्ठ थापने, क्षाहू देने में चला जाता। बचपन में खेल सब को प्यारे लगते हैं, लेकिन मेरे पास समय और साधन कहाँ था? एक दिन कुछ बच्चे गोलियाँ खेल रहे थे। मैं खूल से लौट रहा था। देखकर इच्छा हुई कि अपने को भी गोलियाँ चाहिए। लेकिन पैसा? नहीं, तो यही उठाकर भाग चलो! उस बक्त मुझे ये पत्तवर की गोलियाँ सोने-चांदी से भी अधिक कीमती लग रही थीं। मैं उठाकर जेतहाशा मारा, मारा और घर में जा कर छुप गया। लड़कों ने पीछा किया और घर में कह दिया। अब क्या था। बे-माव पिटाई हुई। इस घटना की याद कर के आज भी सिहर चाता हूँ। उस समय मेरे दिल में आया कि यदि मुझे कोई सौ रुपया भी दें देतो मैं दूकान कर के मचे मैं नहूँ। लेकिन कुछ समय बाद तो मैं लाखों का मालिक बन गया। अब तो संतोष मानना चाहिए था। लेकिन लोभ बढ़ता ही गया। इस लोभ और इच्छा रूपी भूत ने इस तरह फँसा रखा है कि मुँह खोलने पर दुः होता है, नहीं खोड़ तो भी दुः होता है।

बचपन में अपने ऊपर कोष करने वाले पर मुझे दुः होता था कि ये कैसे लोग हैं जो मुझे नाहक पीढ़ा देते हैं और खुद दुखी बनते हैं।

लेकिन आज तो मैं स्वयं क्रोध के अधीन हूँ। मुझे खयाल ही नहीं होता कि मैं जिन लोगों पर क्रोध करता हूँ वे क्या समझते होंगे। जब मुझे क्रोध आता है तब एकदम अविचारी बन जाता हूँ। बाद में पश्चात्ताप भी होता है, पर यह तो भूत है न। जब चढ़ता है तो सारी सुष्ठुप्ति भुल देता है।

यही हाल भूल, निद्रा, चिन्ता आदि भूतनियों का है। भूल लगती है तो कुछ खा लेता हूँ, नींद आती है तो सो लेता हूँ और चिंता को कुछ पढ़ने से हटा देता हूँ। लेकिन, आठ घंटे भी नहीं बीत पाते कि फिर भूल और नींद का दौर शुरू हो जाता है। बात-बात में चिंता युँह फाड़ने लगती है।

इस तरह आपको क्या-क्या गिनाऊँ। इन भूतों ने मुझे इतने तरह-तरह के नाच नचाए कि मैं भी नहीं जानता। रात-दिन और सब के जीवन में इन भूतों का खेल चलता रहता है। मैंने देखा तो नहीं है, पर यदि कहीं किसी कोने में भूतों का शत्रु भगवान् लुक छिपकर बैठा हो तो, मैं विनम्र अद्वा के साथ, अपने मन में प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे देवता ! मुझे इन के कन्दे से छुड़ा ले।

“इन भूतनि मोहि नाच नचायो।” ही गुनगुनाता हूँ मैं तो। लेकिन, ‘सब चोर मैसेरे भाई’ की इस दुनियां में कौन मेरी प्रार्थना सुनेगा। यमराज भी मेरा ही इलाज करेंगे, भूतों के बाप का क्या बिगड़ने वाला है।

फिर सोचकर चुप हो जाता हूँ—अरे बाबा, यह सृष्टि ही ‘भूतों’ का पुत्र है और ‘भूतों’ में ही मिल जाना है।

तो, ले बाबा, जिन्हें नचाना हो नचाए। वे जीते, हम हारे। अगड़ा शांत। दुनिया चली, चल रही और चलेगी।

क्या समझदार पाठक इन भूतों को दूर करने की कोई राम-बाण ददा बता सकेंगे ?

: ११ :

समाज सेवा (१)

रिषभदास रांका

एक पुराने कार्यकर्ता तथा अनुभवी सज्जन के पास जब असंग्रह-नीति के आधार पर कार्य चलाने की योजना भेजी गई तब उसपर अपना मत-भेद प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा : “ प्रुवकोष के बिना कोई भी संस्था रियर होकर स्थापी काम नहीं कर सकती । इस लिए संस्था को मजबूत बनाने के लिए संग्रह करना आवश्यक है । इसके बाद ही कोई कार्य किया जा सकता है । ”

सेवा मनोरंजन की वस्तु

गहराई से विचार करने पर प्रतीत होता है कि जन-सेवा मानकर जो कार्य हम करते हैं, उसमें सेवा की अपेक्षा कुसेवा ही अधिक होती है या कोई सेवा ही नहीं होती । सच तो यह है कि जिस काम में हमारी रुचि होती है और जो सहज-साध्य होता है, जिससे सहज में नाम और यश मिल सकता है और आनन्द भी मिल सकता है उस ही हम सेवा का कार्य समझते हैं और समझ लेते हैं कि इसके बिना समाज की भलाई या उत्तिहो ही ही नहीं सकती । समाज में चलनेवाली प्रवृत्तियों में से अधिकांश ऐसी ही हैं जो खा-पीकर चैन से इने बालों के मनोविनोद की सामग्री हैं । ये लोग घर में या ऑफिस में बैठकर बड़ी-बड़ी रिपोर्टें अवश्य बनाया करते हैं लेकिन शायद ही किसी पढ़ोसी सहधर्मी से उनका सम्बन्ध रहता है । जैन-धर्म की रक्षा और प्रचार के नाम पर ग्रतिवर्ष लालों और करोड़ों का खर्च होता है, लेकिन शायद ही कोई बता सके कि जैनों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है और धर्म की रक्षा किस प्रमाण में हो सकी है । बल्कि सभी

कार्यकर्ता अपनी असफलता ही प्रकट करते हैं। ऐसे लोगों के मनोविज्ञान या ऑफिशियल प्रचार को कोई समाज-सेवा कहना चाहे तो वह कह सकता है। परन्तु वास्तव में वह समाज-सेवा नहीं है, बल्कि एक बोझ है जो समाज के लिए असत्य है।

सेवा बनाम चंदा

सर्व-साधारण जनता का जीवन इस समय कठिन बनता जा रहा है। भविंगराई के कारण जीवनोपयोगी वस्तुओं का मिलना मुश्किल हो रहा है। चहुत-से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दोनों वक्त पेट-भर मोजन भी नहीं मिल पाता। उन्हें बाल-बच्चों की शिक्षा, बीमारी तथा विवाह-शादियों के अवसर पर कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन समाज-सेवा का दम भरनेवाले सुखी लोग आध्यात्मिकता के महत्व पर मार्मिक भाषणों द्वारा घन की असारता बढ़ाकर चंदा एकत्र करने में सेवा की सार्थकता समझने लगते हैं। समाचार-पत्र निकाला तो चंदा, संस्था का अधिवेशन होनेवाला है तो चंदा, ब्रह्मचर्यार्थम खोलना है तो चंदा। इस तरह न जाने कितने कामों के लिए चंदा एकत्र किया जाता है। चंदा एकत्र करने वाले उन्हीं के पास पहुँचते हैं जो स्वा-पीकर सुखी होते हैं और मानते हैं कि पैसा दे करके वे समाज-सेवा करते हैं। देनेवाले इसलिए देते हैं कि घर बैठे वे समाज-सेवक कहला सकते हैं, अस्त्रारों में उनके चित्र चूप सकते हैं, मवन की दीवाल्यर उनका स्मरण-लेख जड़ा जा सकता है, समा-मंचोंपर उन्हें मसनद और मान-पत्र मिल सकते हैं, पदवियाँ मिल सकती हैं। इस तरह सेवा का 'व्यापार' चलता रहता है। वास्तव में देखा जाय तो बहुसंख्यक निर्धनों की उपेक्षा कर सेवा के नाम पर जो प्रदर्शन होता है उसे हिंसा ही कहा जा सकता है। अधिवेशन में समाप्ति के स्वागत में, मंच-निर्माण में हबारों रुपया खर्च करके शान और व्यवस्था की बढ़ाई भले ही की बाय, उसे सेवा तो नहीं कहा जा सकता।

सफलता का आधार कोष

दान का भी महत्व है और उसका निषेध नहीं हो सकता। लेकिन सच्चा दान तो वही हो सकता है जो काम की उपयोगिता देखकर सच्चा पूर्वक दिया जाता है। और उसकी सारथकता इसी में है कि जिस काम के लिए वह मिला है, उस में खर्च हो। लेकिन आज की स्थिति दूसरी है। वह संस्था असफल मानी जाती है जिसके पास फंड नहीं होता। वह कार्यकर्त्ता अकुशल माना जाता है जो संस्था को फंड एकत्रित करके नहीं दे सकता। कई संस्थाओं के पद उन चतुर व्याख्याताओं के लिए सुरक्षित रहते हैं जो जनता की मावनाओं को उत्तेजित कर हाताओं का गुण-गान कर, उन्हें महान् बताकर फंड बमा करने में कुशल होते हैं। और उन फंडों का उपयोग प्रायः ऐसे साहित्य के निर्माण में होता है जो संस्था की, कार्यकर्त्ताओं की और दाताओं की प्रशंसा के लिए लिखा होता है। देखा गया है कि फंड एकत्रित होने के बाद वहाँ स्वार्थ और ईर्षा का बाजार गर्म हो जाता है और सेवा के स्थानपर झगड़ होते हैं।

सेवा का स्वरूप

मनुष्य का जीवन समाज के उपकारों से बनता और बढ़ता है। समाज से यदि मनुष्य को कुछ न मिले तो वह जीवित नहीं रह सकता। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह भी समाज को कुछ दे। इस पारस्परिक आदान-प्रदान के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। कोई मनुष्य समाज से केवल लेता ही लेता रहे तो समाज-व्यवस्था बिगड़ जायगी। पिता बच्चे के लिए कुछ करता है तो एक समय बच्चे को भी पिता के लिए कुछ करना आवश्यक है और यही सच्ची सेवा होगी। लेकिन ऐसी सेवा में किसी प्रकार की आसक्ति रखना सेवा के लिए बाधक है। निःस्वार्थ सेवा का फल अवश्य मिलेगा, और वह अधिक मधुर होगा। पिता यदि बच्चे से कहे कि मैंने बुदापे में अपनी सेवा के लिए दुश्म पाल-

पोस्कर बड़ा किया है तो शायद पुत्र भी कुछ अनुचित उत्तर दे सकता है जो दोनों के लिए हानि-प्रद बन जावेगा। भविष्य तो निराश हो ही जायगा—किए-कराए पर पानी भी किर जायगा। इसलिए सेवा का यथार्थ स्वरूप तो यही हो सकता है कि निःस्वार्थ भाव से यथा-शक्ति आवश्यकतानुसार अपना सहयोग दिया जाय। सेवा स्वभाव बनकर ही सार्थक हो सकती है। अभिमान और अद्विकार बनकर तो वह कलंक ही हो सकती है। सेवा करने वाले के लिए सेवा के कई नए नए क्षेत्र अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। उसे संस्था स्थापित करने की, उसके लिए धन एकत्रित करने की या सेवा के विज्ञापन की जरूरत नहीं रहती। उसके सामने जो काम आ जाता है उसे वह सहज भाव से कर देता है।

सेवक का धर्म

सच्चा सेवक फल की या प्रतिसेवा की आशा नहीं रखता। वह इसकी भी चिन्ता नहीं रखता कि उसका काम छोटा है या बड़ा, तुच्छ है या महान्, गरीब का है या धनवान का, शूद का है या ब्राह्मण का। न वह आशा और आदेश पर चलता है। उसके लिए ऑफिस, टेबल, हिसाब-किताब, रिपोर्ट और भाषण, स्वागत और स्टेज कोई महत्व नहीं रखते। कोई इंजीमार दीखा तो दवा ला देगा, खिलापिला देगा। अन-पढ़ दीखा तो पढ़ा देगा। कोई भूखा दीखा तो पास में होनेपर खाने को दे देगा। कोई बेकार हो तो उसे काग सिखा कर उद्योग में लगा देगा। इस तरह एक नहीं, हजारी सेवा के काम उसे अपने आप सज्ज पड़ेंगे और वह करता चला जायगा। अपनी शक्ति और साधनों का वह यथोचित उपयोग करेगा। उसकी सामर्थ्य से बाहर काम होगा तो उसके प्रति सद्भावना रखेगा और उपर उपर रहेगा। उसे नाम, काम और दाम का मोह नहीं होगा। उसकी सेवा छिपी नहीं रह सकेगी। जनता उसे साधन जुटा देगी और वह अपना काम करता चला जायगा। साधनों के अभाव में न वह दुख प्रकट करेगा, न विज्ञापन करेगा, न समाज को दोष देगा।

दक्षिण के भाई और सेवक

यहाँपर कुछ उदाहरण देना उचित होगा। जैन समाज में गरीब और बेकारों की संख्या कम नहीं है। उत्तर की अपेक्षा दक्षिण के भाई बहुत गरीब हैं और उन्हें खेती और दूसरी मध्यदूरी करके भी भरपेट खाने को और शरीरपर ओढ़ने को ल्याना-कपड़ा नहीं मिलता। शायद हमारे अधिकांश उत्तरीय सेवकों को उनका पता भी नहीं है। और बहुत से तो उन्हें गरीबी के कारण जैन भी नहीं मानेंगे। वे आर्थिक संकट के कारण बच्चे की छात्रवृत्ति के लिए यदि अपने को पिछड़ा जाति में लिखाकर सुविधा प्राप्त कर लें तो उनका ऐसा करना कई लोगों को समाज के गौरव को दानि पहुँचाने वाला मालूम देगा और संपन्न लोग अपने समाज को भले ही प्रगतिशील मानें, परन्तु अपनी गौरव-गाथा गाने में लाखों रूपए खर्च करने वालों ने इन दीन-हीन भाइयों को कभी फूटी आंखों भी चाहा है? कभी उनकी स्थिति का निरीक्षण किया है? क्या उनका जीवन-स्तर ऊँचा उठाने के लिए वे प्रयत्नशील हैं? किसी के धर्म-परिवर्तन करने पर या रूढ़ि विस्तृद्ध कार्य करनेपर आन्दोलन मचाने वाले या जाति बदिष्कृत करनेवाले कभी उनकी स्थिति और आवश्यकता पर विचार करते हैं? उत्तर स्पष्ट है; और यही कारण है कि प्रति वर्ष लाखों-करोड़ों रूपए खर्च होनेपर तथा करोड़ों के फंड होनेपर भी सामाजिक उन्नति के कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते।

भिखारी नहीं, योग्य मनुष्य बनाओ

किसी को दया-वश कुछ सहायता देने को कोई भले ही उपकार मान ले, लेकिन यह बहुत बड़ा पाप है। जिसे सहायता मिलती है उसका विकास रुक जाता है और उसमें हीन-भाव निर्माण हो जाता है। यदि धन-प्रिय समाज-सेवक यथार्थ में समाज की सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें संस्था, फंड, नाम और यश का मोह छोड़कर ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज की शक्ति और योग्यता का विकास हो। उन्हें पारसी समाज

का अनुकरण करना चाहिए। लाखों उपयोग कमानेवाले व्यापारी यदि अपने कारखानों में कुछ भाइयों को रखकर उन्हें योग्य बनावें, विद्वान् यदि कुछ विद्यार्थियों को अपने पास रखें तो लाखों-करोड़ों के कण्डों की अपेक्षा यह कई गुनी उपयोगी सेवा हो सकती है। ऐसी सेवा करनेवाले न समाज-भूषण और दानबांध कहलायेंगे, न उनके मानपश्चात्रों और जीवन चरित्रों में कागज और स्याही बर्बाद होगी।

कार्यकर्ताओं से

उपर जो कुछ लिखा है, वह दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को सोचने के लिए है। दूसरों की निन्दा-टीका न करते हुए सेवा की भावना से ही यथा-शक्ति अपने तन-मन से सेवा करते हों ऐसी अपेक्षा करना अनुचित नहीं है। हम लोगों ने यदि यह किया तो बिना भ्रुव फंड के भी हमारी संस्था बहुत कुछ कर सकेगी। यह मेरा ढढ विश्वास है और यह मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। नीचे कतिपय घटनाओं में से एक अपने कार्यकर्ताओं के सन्मुख रखता हूँ। इससे वे जान सकेंगे कि हमारी प्रामाणिकता और सच्ची सेवा ही बड़ा धन है। और उसके लिए समाज के सबीब फंड (दृदय) की हमें कमी नहीं पड़ेगी।

पैसा नहीं बचा था

अक्टूबर'४९ की बात है। जैन जगत के लिए मंडल के पास एक पैसा भी नहीं बचा। २८ अक्टूबर को कार्यकारिणी की बैठक में हिसाब बताते हुए भाईं जमनालालजी ने अपनी रियति और परेशानी व्यक्त की। सचमुच बात परेशानी की ही थी लेकिन मैं निश्चिन्त था। मुझे पूरा विश्वास था और है कि यदि हमारा काम सच्चा है और समाज के लिए उसका उपयोग है तो वह धन के अभाव में रुक नहीं सकता। कहीं-न-कहीं से उसे सहायता मिलेगी और काम चलेगा। और ऐसा ही हुआ। ये क्षण कसौटी

के थे। जो इसमें लगा उत्तर जाव उसका तब साथ होगे। मैंने जमना-लालजी से लाफ कह दिया कि “यदि समाज के लिए हमारा काम अनुष्ठोगी होगा तो वह अपने आप बन्द हो जायगा। तब इसमें अपने को परखने का अवसर मिलेगा। अतः इसमें दुख या आनन्द मानने जैसी कोई बात नहीं है।” ‘जैन जगत’ को सहायता मिली और ऐसी अमूल्य सहायता मिली जिसकी लालों के दान से तुलना नहीं की जा सकती।

भी रामदयाल सिंहल की सहायता

वर्षी का ऐसा कोई व्यक्ति और विकारी नहीं जो सिंहल मास्टर को नहीं जानता। रामदयालजी को मले ही इनें-गिने जानते हों परंतु सिंहल मास्टर को तो आप हरेक के मुँह पर पा सकते हैं। व्यक्तित्व आकर्षक नहीं, परं चेहरे पर आलस और प्रमाद की लिकुडन भी नहीं। यों परिभ्रम कब गोरा रहने देता है, जो उनपर दया करता। व्यवसाय की भाषा में उनकी योग्यता का माप यदि पूँजी से कोई करना चाहे तो कहा जा सकता है कि वे परिभ्रम के घनी हैं। किन्तु केवल परिभ्रम पूँजी नहीं होती, उसमें सहृदयता और सहयोग-भावना का जबतक संभिभण नहीं होगा, वह पूँजी किसी काम की नहीं। सतत परिभ्रम से वे अपनी शृङ्खलाते हैं। जो अध्यापक हैं वे अपनी कठिनाइयों को जानते हैं और जिम्मेवारी को समझते हैं। किंतु जो इसका निर्वाह करते हुए चाहे जिसके यहां आवश्यकता पड़ने पर, सेवा के लिए उपस्थित रह सकते हैं, उनकी स्थिति की केवल कल्पना ही की जा सकती है। ऐसा व्यक्ति योड़ा-बहुत कमाकर पारिवारिक निर्वाह भले ही करे और खा-पीकर सुखी भी रहे, पर धन-संचय तो वह नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ कि संप्रद के बाद ही दान का या त्याग का अहंकार जाग्रत होता है और जिस असंप्रद में से दान और त्याग निपजता है वह सच्ची सेवा का प्रतीत होता है। मास्टर

सिंहल यदि दो महीने खाली बैठे रहें तो संभव है कि परिवार उन्हें आर्थिक चिंता में डाल देगा। ऐसी स्थिति में अन्तःकरण से जो उद्गार और द्रव्य निकलता है उसका मूल्य अंकों में नहीं आंका जा सकता। मास्टर साइब वैष्णव हैं, उनका जैनधर्म के प्रति विशेष आकर्षण और संपर्क नहीं है, आदर हो सकता है। फिर भी वे जैनजगत के नियमित पाठक रहे हैं। उन्हें उस से स्वाभाविक प्रेम हो गया है; यों हम स्वयं नहीं जानते कि जैन जगत द्वारा मिन्न रूप में नाम-विशेष के धर्म और उसके अनुशासियों की कितनी सेवा कर पाते हैं, किन्तु अजैनों में भी कुछ नियमित पाठक उसकी बाठ जोहा करते हैं।

उस समय पैसा तो हमारे पास था ही नहीं और कर्ज लेकर सेवाकार्य चलाना भी उचित नहीं जँच रहा था। नाव डगमगा रही थी। इतने में एक दिन मास्टर साइब आए और उन्होंने कहा : “मैं जैनजगत को एक सौ एक रुपया सहायता देना चाहता हूँ।” सचमुच मैं तो दंग रह गया। कुछ क्षण मैं उनके चेहरे में अपने को पढ़ने लगा। मैंने कहा : “आप यह क्या कर रहे हैं मास्टर साइब !” क्यों कि मेरे आगे उन की स्थिति, धर्म भिजता और अपने कार्य की अनिश्चितता का चित्र स्पष्ट था। किसी करोड़पति के लाल रुपए लेकर प्रदर्शन और दिखावे में लचू कर देना यदि तुम नहीं माना जावेगा तो कम-से-कम इस पैसे का यदि सदुपयोग नहीं ढुआ तो वह किसी पाप से कम न होगा। इसे मैं जानता था।

बड़े असमंजस और संकोच में छुवा था मैं। मांगने जाने को तो मृत्यु के समान कहा गया है, क्लेकिन छाकर देने वाले के पुण्य में वाघक कैसे ढुआ जाय ! बैठे भी नहीं बनता था। उन्होंने चेक मेरे आगे उरका ही तो दिया।

जिस संस्था के पास एक पैसा भी नहीं या और जिसके एक एक अंक में तीन-चार सौ रुपयों का स्वर्च हो जाता है उसके लिए १०१) कितने दिन के। और इनके होना-जाना क्या था। लेकिन नहीं, इन रुपयों के बिषय में ऐसा नहीं सोचा जा सकता। इन रुपयोंने इमें एक नई प्रेरणा और नवा प्रकाश दिया, उत्साह और आशा दी कि फिर यह काम रुक ही नहीं सका। इन एक सौ एक रुपयों को इम नींव का पत्थर मानते हैं। इस के बाद तो इमें द्रव्य का अभाव रहा ही नहीं। इमें विश्वास हो गया कि संस्था बिना ध्रुव-फण्ड के भी अपना कार्य कर सकेगी।

परिश्रम की कमाई में से निकला दान पवित्र होता है और उसका वैसा ही उपयोग करने की जिम्मेवारी कार्यकर्ता पर आती है। ऐसे पैसे का तानिक-सा दुरुपयोग महान् पाप है।

उपर्युक्त घटना से पाठक जान सकेंगे कि अच्छे कार्यों के लिए द्रव्य तथा दाताओं का अभाव नहीं है, उस द्रव्य का सदुपयोग करने वालों के अभाव में ही संस्थाएँ पैसा बटोरने में लग जाती हैं।

१२ :

समाज-सेवा (२)

रिषभदास रांका

अहिंसा की व्यापकता

मैं देवी अहिंसा का सीमित शक्ति वाला एक उपायक और सेवक हूँ। यद्यपि मेरी शक्ति और पात्रता सीमित है तथापि मेरी निष्ठा और आस्था असीम है। मेरा विश्वास है कि जीवन के हर पहलू में और हर क्षण में अहिंसा का उपयोग है और उसी से सारी समस्याएँ मुज़्ज़ह सकती हैं। अहिंसा से ही मानव-जीवन का विकास हो सकता है। अहिंसा की निष्ठा के कारण ही मैं उसका आचरण कर पाता हूँ। मैं तो आप सब में और भिज्ज भिज्ज विचार रखनेवाले समाज-सेवकों में भी अपना ही प्रतिबिम्ब देखना चाहता हूँ। कूर से कूर और हिल से हिल माने जानेवाले प्राणियों में भी अहिंसा का अधिष्ठान रहता है। जिस दिन जगत से अहिंसा उठ जाएगी उस दिन जगत शून्य हो रहेगा। इसलिए मैं यह कहने में असमर्थ हूँ कि अमुक एक विषय या साधन को ही अपनाया जाय।

व्यक्ति का दृष्टिकोण

प्रत्येक व्यक्ति का सेवा का दृष्टिकोण उसकी रुचि, वृत्ति, शक्ति, योग्यता और संस्कार के अनुसार होता है। और अपनी दृष्टि से वह जो कुछ करता है वह सही होनेपर भी दूसरों को स्वीकार होगा ही, यह कहना कठिन है। क्यों कि इम सब का व्यक्तित्व भिज्ज-भिज्ज है। इसीलिए इम सब को खुले दिल से चर्चा कर के अधिकांश लोगोंकी राय जान लेना चाहिए। इमें वही करना है जो समाज के लिए उपयोगी

और आवश्यक हो। एक आदमी की राय सुन्दर और आवश्यक होनेपर भी यदि समाज स्वीकार नहीं करती तो उसका आप्रह रखना लाभ-प्रद नहीं होगा। इस कारण मैं तो मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने का पूरा मौका मिलना चाहिए ताकि समाज की आवश्यकता और उसके साथनों का पता चल सके।

कैसा और कौनसा काम हम इय में लें, इसका निर्णय पहले से तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी कार्य-पद्धति क्या हो इस बारे में समाज-सेवकों और शानियों से मैं जो कुछ समझ पाया हूँ उसे सामने रखना आवश्यक प्रतीत होता है।

सेवा उपकार नहीं, कर्त्तव्य है

कई लोगों से बहुत कुछ लेनेपर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस तरह समाज का वह झट्टी होता है। समाज से प्राप्त किए हुए उपकारोंको चुकाना सबका कर्त्तव्य है, और इस चुकाने का मतलब प्राप्ति का स्वार्थ नहीं, नेतृत्व का उत्तरदायित्व है। इस अर्थ में सेवा उपकार नहीं, एक कर्त्तव्य है। और ऐसा कर्त्तव्य है जिस को किए बिना प्रजा का जीवन ठीक से नहीं चल पाता। जहाँ इष्ट कर्त्तव्य के प्रति उपेक्षा और प्रमाद होता है वहाँ अनेकों दुर्गुण पैदा हो जाते हैं, अव्यवस्था फैल जाती है, समाज का जीवन नई बन जाता है। और यह हिंसा है। हिंसा आती ही तब है, जब सेवा उपकार बनती है और उस में अंकार जागता है। ऐसा आदमी सेवा शब्द की भक्त ही रखा करे, अपनी और समाज की हिंसा से बह नुक्क नहीं हो सकता।

नामवरी सेवा नहीं है

सेवा किसी भी कल की आवा से नहीं की जानी चाहिए। आवा की पूर्ति न होनेपर कार्य के अन्त में निराशा होती है और वैष्णव अपने

मार्ग से हट जाता है। उसपर इस असफलता की प्रतिक्रिया भी हो सकती है और उसका परिणाम बुरा निकलता है। इसलिए ज्ञानियों का कहना है कि अच्छे कार्यों में भी आसकि नहीं रखनी चाहिये। आज हमने इस संदेश को मुला दिया है। घोड़ी-सी सेवा करते ही हम में यश की, नाम की, पद-प्रतिष्ठा की लालसा जाग उठती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ऐसे तुच्छ नाम और पद के लिए ही हम लोग कार्य करते हैं। इसे सेवा के क्षेत्र में घोड़ा कहा गया है। और इससे हमें सावधान रहना चाहिए। तन्दुल की खेती करनेपर धास पर खुश होना यदि पागलपन है तो नाम को ही सेवा का फल मान बैठना भी बुद्धिमानी नहीं है।

नाम और काम

ज्ञानियों ने नाम और यश को अरियर और नाशवान माना है। लेकिन लोकेष्टन—अच्छा कहलाने की वृत्ति—सब में रहती ही है। और यह स्वाभाविक है। इसे जबरदस्ती दूर भी नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती से की जानेवाली चीज हार्दिक न होने के कारण स्थायी और जीवन—व्यवहार की नहीं हो पाती। फिर भी नाम के ल्येम में हम लोग काम को एकदम भूले जा रहे हैं अथवा नाम को ही काम मान बैठे हैं। समाज—सेवा का ब्रत लेकर निकलने वाले अखबारों में जब नाम और दाम की स्तुति पढ़ने में आती है तब सहज ही ध्यान में आता है कि आज वास्तविक काम क्या रह गया है। हमें सोचना है कि काम और नाम में कौन उपयोगी है और दोनों का क्या महत्व है, अथवा किसका स्थान है।

व्यष्टि हित में समष्टि हित

प्रायः देखा जाता है कि लोग सेवा या भलाई की विम्मेदारी दूसरों पर डालते रहते हैं। सोचने, बोलने और लिखने में कोई किसी से कम नहीं होता। हम यह मानकर चलते हैं कि उपदेश की दूसरोंको जरूरत है और उन्हीं का 'मुघार' भी करना है। यह हमारे धर्म से बिलकुल उल्टी

बात है। हम जिस धर्म के अनुयायी हैं उसमें तो अपने ही उद्धार या कल्याण को अधिक महत्व दिया गया है। दूसरों की अपेक्षा अपने आपको जीतना बड़ी बात है। जिनेश्वर को हम इसीलिए भगवान् कहते हैं कि वे अपने आप पर विजय प्राप्त करते हैं। मुझे सन्देह है कि हम भगवान का रास्ता छोड़कर कहीं जीतान के रास्तेपर तो नहीं बढ़ रहे हैं? हम यदि अपना सुधार करें और जीवन में सचाई ले आंखें तो अपने आप समाज का सुधार हो। जावेगा। व्यष्टि-हित में ही समष्टि-हित समाया हुआ है। मैं समझता हूँ इमारी सारी उलझनें इसीलिए हैं कि हम स्वयं कुछ न कर दूसरों से अपेक्षा रखते हैं।

उपदेश देना नास्तिकता है

संसार में ज्ञान की कमी नहीं है। आत्मा प्रत्येक में है। आत्मा का लक्षण ही ज्ञान और चेतना है। बाहर से भले ही तुलना में एक-दूसरे के ज्ञान में भिन्नता या न्यूनाधिकता दिखती हो; किन्तु आत्म-विकास के लिए सब में पर्याप्त ज्ञान रहता है। इसलिए मैं तो मानता हूँ कि दूसरे को उपदेश करना नास्तिकता है अथवा आत्मा के अस्तित्व में अविवेकास करना है। एक साधक या विकास मार्ग का पथिक किसी से अनुभव तो पूछ सकता है, लेकिन अपने विकास का मार्ग जितना स्पष्ट उसे दिखता है, उतना दूसरे को नहीं। इसलिए महान् आत्माएँ कभी यह नहीं कहतीं कि अमुक मार्ग से ही चलो। उनका काम विवेक को जगा देना होता है और शक्ति से परिचित करा देना। ज्ञानियों ने कहा है कि दूसरों को करने के लिए कहने की चिन्ता रखने की अपेक्षा सेवकों को अपने करने की चिन्ता रखनी चाहिए। दूसरों को उपदेश देना मोह ही है। उस से हमें टलना चाहिये। यदि लोगों को विवास हो जाए कि हमारा काम अच्छा है और उस से लाभ होता है, तो वे अपने आप बिना कहे भी उसे अपना लेंगे और वैसा करने लगेंगे। अन्यथा हजारों अच्छी अच्छी दलीलों से

कुछ हेमा-चाना नहीं है—मधुर वाणी से और भाषा से किसी को मुख्य भले ही कर लिया जाय।

इम सब बिल्कर कार्य करे

यह लोक-तंत्र का युग है। इसमें किसी भी विषय का निर्णय अत्य-मत और बहुमत के आधार पर ही किया जाता है। लेकिन इस अत्य और बहुमत के सागड़ेने हमें चक्कर में डाल दिया है। मनुष्य यदि अपने मत को इठाग्रह का स्पष्ट न दे, तब तो यह एक अच्छा मार्ग है। लेकिन देखा यह गया है कि इससे दलचन्दियाँ बढ़ती हैं। फूट को उत्तेजना मिलती है। इसलिए हमें ऐसे कामों को हाथ में लेना चाहिए जिनके कारण मत-गणना का अवसर ही न आए और यदि आए भी तो सद्भावना नष्ट न होने पावे। सरे कार्य सर्वानुमति से होने चाहिए। मत-गणना और चुनाव से ऐसा विष फैल रहा है कि भाई भाई का शास्त्र बनता जा रहा है, मित्र की मित्रता दूरी जा रही है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कुछ विचारकों ने मान लिया है कि मत देना अपने आपको कीचड़ में फँसाना है और आगे से वे किसी को अपना मत नहीं देंगे। ऐसे ही कायों का चुनाव होना चाहिए जिन्हें इम एक मत से संयोजित कर सकें। इससे हमारे कार्य में तेज प्रगट होगा। हमें काम करना है, फूट नहीं फैलानी है।

जातिवाद और इमारा छङ्ग

यह बात बिल्कुल सही है कि जातिवाद का विष इन दिनों बहुत बढ़ रहा है। वह राष्ट्रीय शान्ति के लिए घातक है। हर जाति अपने से भिज जाति को अपनी भर्ती में बाधक मानकर दूसरे के मार्ग में स्वयं बाधक बनती जा रही है। प्रान्त, भाषा और जाति के इन बादों की विनाशक लपटें बैनूं समाज को भी स्वर्ण कर रही हैं। राजस्थान के, रहने वाले हम झुटूं महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बंगाल, बर्मई और मद्रास आदि प्रान्तों में बाकर व्यापार करते हैं, घर बसाते हैं और घर कराते हैं। किन्हीं भी

कारणों से कहिए, उन उन प्रान्तों के मूळ निवासियोंकी अपेक्षा हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। यह उन लोगों के लिए ईर्ष्या की बात होना स्वामानिक था। चारों तरफ वही दिक्षार्थी दे रहा है। बनियों के प्रति अभाव-पीड़ितों का जो आज दृष्टिकोण है उसे अवासानिक नहीं कहा जा सकता। विहार में बंगालियों के प्रति जो भाव है वही दूसरे प्रान्तवालों में राजस्थानियों के प्रति है। इसलिए यह कोई बात नहीं है कि प्रान्तीयता और जातीयता किसी एक सास प्रान्त और जाति के प्रति ही पैदा हुई है। यह हवा तो चारों ओर बह रही है। इसकी बड़ मनुष्य का स्वभाव है। हर व्यक्ति में 'रब' के प्रति आकर्षित और मोह होता है, उसी की ओर उसका शुद्धाव होता है। इस स्वभाव-हृति में हमें इतना ही सुधार करने की चर्चरत है कि स्वचाति की सेवा दूसरी जातियों के लिए कुसेवा और वास्तव न बनकर बिकास में पूरक और सहायक बने। ऐसा होनेपर एक जाति का कार्य देवा के लिए अपने भाषप सहायक बन जाएगा।

भलाई की साम्प्रदायिकता उपादेव है

इस बारे में एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। छोटे-छोटे समूह बना कर कार्य करने में एक प्रकार की सुविधा रहती है। जिन लोगों से हमारा जितना निकटती लम्पक और सम्बन्ध रहता है, कार्य में उतनी ही आसानी होती है। उनसे जर्वा करने में अधिक निःसंकोचता होती है। लेकिन इस में विवेक रखने की इसीलिए चर्चरत है कि कहीं हम सम्बन्धों और निकटता को पश्चात और मोह में रंग न लें। अपनों के बीच रहकर और उनकी भलाई की सोचकर भी उससे किसी का अहित नहीं होगा यह सावधानी सदा रखनी होगी। इस तरह कोई भी जाति किसी की भी ईर्ष्या और देष की पात्र न होगी। मेरी बात लौटिए। मार्इ साहब श्री० राजमलजी की प्रेरणा से मैं खेती के कार्य में रस लेने लगा। सेठ जमनालालजी बजाज की खेती कंपनी की भागीदारी में तथा निजी रूप

मैं भी दो-चार गाँवों में मैं खेती करता हूँ। इस बात का मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कि मेरी खेती बढ़िया हो, फसल खूब हो। स्वामानिक ही है कि इस तरह मेरी खेती दूसरों की अपेक्षा कुछ अच्छी ही होती है। मेरी खेती से अधिक आमदनी होते देखकर दूसरों ने भी अपनी खेती पर ध्यान देना शुरू किया और अब सारे गाँव की खेती बढ़िया होने लगी है। इस तरह यदि एक व्यक्ति, परिवार, जाति या प्रान्त का काम स्वयं अपनी सीमा के लिए अच्छा होता है तो उसका लाभ दूसरों को भी मिले बिना नहीं रह सकता। जिसकी नींव मैं भलाई है ऐसी सम्प्रदायिकता को मैं संकीर्णता से पर मानता हूँ।

समय अनुकूल है

इस सब को समाज की भलाई किस तरह की जाय, यह सोचना है। हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जीवन-निर्बाह सुख से कैसे किया जाय। यह प्रश्न यों तो मनुष्य के समान प्राचीन है। किन्तु इर समय भूत-काल अच्छा और वर्तमान कठिन ही कहा जाता रहा है। और निरन्तर मनिष्य के सुख की आशा में संगठन पर ओर दिया जाता रहा है। महंगाई बढ़ गई है, खर्च बढ़ गया है, जीवन-निर्बाह मुश्किल और चिन्ता-प्रद बन गया है। किर भी मेरा तो खलाल है कि ऐसा समय इतिहा के हजारों वर्षों में नहीं आया। हम स्वतंत्र हुए और अहिंसा से। दो दो महायुद्ध से संतान होकर आज विश्व शान्ति को ढूँढ़ रहा है। अहिंसा धर्मियों के लिए यह अपूर्व अवसर है कि वे अपने कार्यक्षेत्र को विस्तृत करें और शान्ति के पिपासुओं को अहिंसा का फ़रना बताएँ। लेकिन यह केवल दूर से उंगली बताने से नहीं होगा। निष्ठी अहिंसक आचरण द्वारा ही हम विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ा सकेंगे।

भय हिंसा है

भयभीत रहकर संगठन करने की बत ज़ंचती नहीं। दर में रक्षा का भाव है, और उसके लिए हिंसा मूलक संगठन भी आवश्यक हो जाता

है। और यह चीज दूसरों के प्रति धृणा और तिरस्कार प्रकट करती है। डरनेवाला दूसरे की रक्षा की नहीं सोच सकता। और यही हिंसा है। दूसरे की रक्षा की सोचना ही अहिंसा है।

मध्यम वर्ग की आर्थिक दीनता

मध्यम वर्ग की स्थिति इस समय संकट पूर्ण है। मूर्तिपूजक श्वेता-भवर कॉन्फरेंस ने अपने फ़ालना अधिवेशन में इस संबन्ध में कुछ फंड भी एकमित किया है, लेकिन मैं सोचता हूँ लाखों नहीं करोड़ों के फंडों से भी कुछ नहीं होनेवाला है। इस संबन्ध में पूँ विनोबाजी से मैंने बच्चों की थी। उन्होंने बताया :—

“मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ऐसे परिवारों में कमानेवाला एक होता है, और एकही की कमाई पर परिवार का सर्व-निर्भर रहता है। उसे हर चीज मौल लेनी पड़ती है। अतः इस वर्ग के परिवारों की जियाँ कुछ काम करें और उद्योग द्वारा ही बालकों की शिक्षा होतो इस वर्ग का आर्थिक बोझ बहुत कुछ हल्का हो सकता है। राजस्थान में अच्छे अच्छे घरों की जियाँ कातती थीं। जमनालालबी बजाज की मॉटोरी होनेपर भी काफी सूत कात लेती हैं। जब वे चीबनोपयोगी वस्तुएँ पैदा करेंगी तब न केवल कुदम्ब की आर्थिक स्थिति ही मुघरेगी, उद्योग का बातावरण भी निर्माण होगा। आब मध्यम वर्ग में जो दीनता आ गई है वह नष्ट होकर स्वावलंबन और आत्म-विश्वास बढ़ेगा।”

विनोबाजी की यह सूचना विचारणीय ही नहीं, प्रयोग में लाने योग्य भी है। और यदि इस दिशा में कठम उठाया गया तो देश की भी बहुत कुछ आर्थिक समस्या हल हो सकती है। वस्तु को छोड़कर जब हम रस्यां के पीछे पढ़ते हैं तब अपने आप में हम कितने दुखी हो जाते हैं इसका एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ।

एक उदाहरण

छोटे-छोटे राज्य जब सत्त्वम् हुए तब बहुत से ज्ञान बेकार हो गए। मध्य भारत के एक छोटे से राज्य की राजधानी में एक भाई रहते थे। ३० या ४० रु० उनका बेतन था और निची मकान था। नौकरी तथा दो-एक मनेशियों के पालन से गृहस्थी चल जाती थी। बड़ा बाहर या नहीं। किसी तरह काम चल रहा था। अब अदाळत बन्द होने से नौकरी छूटी और नौकरी की तलाश में घूमते फेरे। उनकी स्थिति को देखकर मेरे एक सेवा-भावी मित्र को उनपर दिया आगई। एक शहर में ७५ रु० की नौकरी उन्हें दिलवा दी। जहाँ वे नौकरी करते हैं वहाँ से तो ५० रु० ही मिलते हैं, २५ की पूर्ति मित्र अपने पास ले करते हैं। लेकिन ७५ रु० पाकर भी वे सुखी नहीं हैं। बुद्ध समझ बाद मेरे मित्रको दिलाई दिया कि उस बेचारे का गाँव न छुड़ा कर वहीं किसी बंधेपानी से लगा दिया जाता तो कदाचित् भेरे २५ रु० उस के लिए उपयोगी बन पड़ते।

कार्य की सहायता ही आदमी को सशक्त बनाती है

तो, मैं कह वह रहा था कि केवल पैसा ही किसी के जीवन को ऊँचा नहीं उठा सकता। जो भाई और सुबक काम चाहते हैं उन्हें अपने पास रखकर यदि समर्थ लोग योग्य बनायें और काम-बंधे से लगा देवें तो बहुत बड़ी सेवा होगी। पैसे की सहायता बला ठालने से कम नहीं है। और इस से आदमी और भी अधिक बेकार और आळसी बनता है। काम तिखाकर उद्योग में लगवा देना ऐसी सहायता है जो पानेवाने को सशक्त और साहसी बनाती है। अब वह समझ नहीं रहा कि श्रमको इस्का समझा जाय। बुद्ध और अमरा बदि इम एक साथ उपयोग कर सकें तो हमारा भविष्य उज्ज्वल है—चिन्ता करने की कोई बात नहीं।*

*ओसिकाल कार्य-कर्त्ता सम्मेलन नारायणगांव में दिया गया अध्यक्षीय भाषण

१३

व्यापार और अहिंसा

बमनालाल जैन

अगर हम अहिंसा को आत्मा कहें तो व्यापार शरीर संचार पा सकता है। बुद्धि आत्मा को ज्ञाहिए और रोटी शरीर को। यह जगत् है कि इसमें नाना तरह के बाद और बिवाद हैं। एक कहता है कि जड़ का मोह मूढ़ता है और यो शरीर के सम्बन्ध मिथ्या हैं। दिखाई देने वाला जगत् का रूप और वैमव क्षणिक और अशाश्वत है। सूत्र में कह दिया गया कि जगत् माया है। लेकिन बुद्धि जड़ नहीं थी। उसने कहा—“नहीं, जगत् माया नहीं है। इंश्वर स्वयं धोखा है।” जो प्रत्यक्ष है और जिसका उपयोग है, उसके बिना उसकी सचाई को अस्वीकार कैसे किया जा सकता है?

अध्यात्मवाद आत्मा को लेकर चला और उसने भौतिकवाद को तुच्छ, अस्थिर, क्षणिक और दुःख का कारण बतलाया। यह बड़े अचरज की बात है कि अध्यात्मवाद का प्रभाव संसार के अधिकांश लोगोंपर बहुत गहरा स्थापित हुआ है। कम-से-कम विचारों में तो अध्यात्मवाद अपनी सत्ता जमा चुका है। यह कैसे हुआ, इसका ऐतिहासिक अन्वेषण यदि किया जाय तो बड़ी मनोरंजक सामग्री पढ़ने को मिल सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अध्यात्मवादियों में कुछ ऐसे गुण थे कि वे अपने कार्य में बहुत सफल हो सके। अध्यात्मवाद का सर्व प्रथम अस्त्र है—मरण या परिवर्तन। मरण या परिवर्तन का चित्र प्रस्तुत कर आदमी को जल्दी ही वश में किया जा सकता है। इर आदमी जानता है, देखता है और समझता है कि उसके पूर्वज मरे हैं, उसकी वस्तुएँ नष्ट हुई हैं, उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है।

इस सचाई को वह इन्कार नहीं कर सकता। अध्यात्मवाद का दूसरा अख्त है—अदृश्य की पूजा। जिसे आदमी जानता नहीं, जो दिख नहीं सकता, उसे इतना चमत्कार-पूर्ण बनाकर मनुष्य के सामने पेश किया गया कि उस को बरबस उसे स्वीकार करना पड़ा। और उसका तीसरा अख्त है—आराम। अम और कष्ट कोन चाहता है? एक के बदले यदि आधी ही रोटी मिले तो भी आदमी अम से बचने की कोशिश करेगा। इसमें शक नहीं, अध्यात्मवाद ने आराम की बड़ी सुन्दर राह दिखाई है। अध्यात्मवाद का सहारा लेकर कोई भी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है और आत्म-कल्याण के नामपर चिना किसी अम के शरीर का आजीवन पोषण करता रह सकता है। अपने शब्दों में कह सकता हूँ कि मनुष्य को अम से बचे रहने के लिए अध्यात्मवाद ने वैराग्य नाम की बड़ी मीठी दवा पिलाई है।

अध्यात्मवाद में या कि वैराग्यवाद में ही एक और भी बड़ी विशेषता है। उस में अपने अभावों का समाधान और कमज़ोरियों का छिपाव बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मुझे संगीत की परत नहीं है या मुझे हँसना नहीं आता है तो विरागी कहलाकर इसपर परदा ढाला जा सकता है। जिससे आदमी की अथेग्यता छिप जाय, उसका आश्रय लेने में कोई क्षय हिचकिचाएगा! मान लीजिए मेरे पास इतने पेसे नहीं हैं या मैं कमा नहीं सकता हूँ कि हर दूसरे तीसरे दिन कपड़े बदलूँ और मैं अपनी विवशता के कारण अगर अख्त-न्यस्त तथा मैले-कुचले कपड़ों में रहता हूँ तो यदि मेरे लिए शर्म की बात हो सकती है। लेकिन लोग मुझे उदासीन या विरागी या कि दार्ढनिक कहते हैं तो मेरी शर्म पर स्वभावतः पर्दा पढ़ जाता है। यह पर्दा पढ़ना एक प्रकार से महत्व को बढ़ाता है। ऐसी स्थिति में अध्यात्मवाद का सहारा अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होने लगता है। आब अध्यात्मवाद का जो परिणाम हमारे सामने है, उसका यह दर्शन है।

पर सच है कि व्यवहार में ऐसा आदमी पूरा बुद्धू समझा जाता है। कोई चतुर आदमी उसे आर्थिक या सामाजिक बिमेदारी नहीं सौंप सकता; भले ही उसके अध्यात्म की वह चाहे जितनी प्रसंशा करता रहे। तो मत-लब यह कि व्यवहार का जो सत्य है, सिद्धान्त के काम का वह नहीं है।

यही हम व्यापार और अहिंसा में देख सकते हैं। बचपन में मुना या एक व्यापारी के मुख से कि व्यापार की उत्तम, मध्यम और अचन्य तीन अणियाँ हैं। उन्होंने बताया था—सराफी उत्तम, बजाजी मध्यम और कुछ अचन्य व्यापार है। व्यापारी अहिंसा-धर्मी थे। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने यह भी कहा था कि जो ज्यों व्यापार में हिंसा बढ़ती जाती है, वह नीचे गिरता जाता है। मैं मति-मूट बालक उस समय क्या बानता था कि हिंसा क्या और अहिंसा क्या है! पर अब समझ में आया कि हिंसा वह जिसमें केवल जीवों का धात होता है। यही व्यापारिक इष्टिकोण व्यापार के अणी-विभाजन में रहा। मेरा खायाल है, उस समय बाजार में उष्ट्रा उतरा नहीं था। अगर उतरा होता तो इसमें शक नहीं कि सराफी को भी वह पीछे टकेल देता। सूठ और परिग्रह उस अहिंसक के लिए चल जाता है जो केवल जीवों का धात करनेवाला हिंसक व्यापार नहीं करना चाहता। मैं इस अहिंसकता को यहाँ तक सीमित मानता हूँ। और इसमें व्यापारी की मुख्य इष्टि उसकी मुविषा की ही है। दूकान साफ हो, लेन-देन में कष्ट न हो, बैठक मुहानी हो, आराम से बैठने और सोने को मिले, मविलयाँ भिन-भिन न करें और चीटियाँ फौज न बढ़ावें। इतनी मुविषा और व्यवस्थावाला व्यापार ही अहिंसक हो जाता है। यह सोचने की वहाँ जरूरत ही कम होती है कि उस व्यापार में सत्य, प्रामाणिकता, उपयोगिता, निलोभता और विनम्रता का कितना अंश व्यवहार में उतरता है। वहाँ अखल्य चल सकता है, परिग्रह बढ़ सकता है, लेन-देने के बाटों में अन्तर रखा जा सकता है, ब्लैक मार्केट भी चल सकता है—सब कुछ चल सकता है—केवल कीड़ी-मकोड़ी की हिंसा नहीं चल सकती।

उत्तर सहे का विक आया है। आज नगर-नगर और गाँव-गाँव बल्कि गली-गली में स्त्री और पुरुष, बच्चे और बूढ़े सहे के पीछे पड़े हुए हैं। एक दिन चर्चा करने पर एक भाई ने, जो खादीजारी है, कहा—‘देखोबी, सहे जैसा प्रामाणिक घन्धा और कोई नहीं है। न उसमें पूँजी की जरूरत है, न दूकान की, न बही-खातों की, न लिखा-पट्टी की। दिन भर परेशान भी नहीं होना पड़ता, रात में भी हम दो-चार घण्टे यह काम करते हैं और यह सारा काम विश्वास के बल पर चलता है। छठ और हिंसा को तो इस में कर्तव्य स्थान नहीं है। आप के यहाँ तो बही-खातों में तथा कागज-पत्रों में लिखा-पट्टी होने पर भी लोग लेन-देन में परेशान होते हैं, छठ बोलते हैं।

मैं भुन ही सकता था, बोलता क्या ! बेचारे दो या चार, आठ या दस रुपयों पर सौ सौ की जोखम उठाते हैं, रात के दो-दो बजे तक जागते हैं, और दूसरे दिन चुपके चुपके सारा भुगतान भी कर चुकते हैं। अचरब है कि अपने को प्रामाणिक कहनेवाला सटोरिया भी कानून से बचकर चलना चाहता है। प्रामाणिकता में तो साहस होता है पर यहाँ तो भय विचित है। मैं मानता हूँ कि यहाँ भय होता है, वहाँ सचाई नहीं रहती और अहिंसा भी नहीं रहती। सहे का घन्धा देखने में कितना ही प्रामाणिक प्रतीत हो और उसमें जीवों की हिंसा न होती हो; पर है वह प्रथम भेणी का हिस्क घन्धा। कारण, इसमें फँसा हुआ आदमी आलसी, निकम्मा और लोभी बनता जाता है। अपने भाग्य को परखने की ओट में वह चाहता है कि दूसरों की जेब का सैकड़ों रुपया उसकी तिजोरी में आ जाय। इस लूट का नाम अगर भाग्य है तो उस दान को भी पुरुषार्थ कहना चाहिए जो स्वर्ग पाने की रिश्वत में दिया जाता है।

आब के व्यापार की यही हालत है। जीवों की हिंसा से तो बचा गया, पर अहिंसा उसमें नहीं आ पाई। अज्ञ और वस्त्र के बिना किसी

का चल सका है एंसा कोई दीखा नहीं। अहिंसा के महात्मती साधु के दांतों तले भी भोजन के कौर पड़ते ही हैं। पानी वे छना ही पीते हैं। छानने का साधन वस्त्र है। पर अचरज है कि अन्न और वस्त्र के उत्पादन को वे निकृष्ट और हिंसक बतलाते हैं। माना, कि खेती में जीव-हिंसा होती है, पर उसकी मर्यादा है, उपयोगिता है, अनिवार्यता है और विवशता है। और फिर हिंसा कहाँ नहीं होती! रहने को मकान चाहिए, फिरने को सड़क चाहिए, बोलने में श्वासोच्छ्वास भी चलता है। मैं नहीं समझता कि इन सब क्रियाओं में बिना हिंसा के काम चल जाता है। भोजन बनता है, उस के लिए भी चूल्हा सिलगाना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि अन्न उत्पादन की अपेक्षा भोजन तैयार करने में अधिक जीव-हिंसा होती है। इस तैयार भोजन को आग ठण्डी करके किया जाय या चाहे जिस तरह; जो होनी थी वह हिंसा तो हो चुकी। तब क्या अहिंसा का महात्मती भी महान् हिंसक नहीं हो जाता? नहीं, वह नहीं हो सकता, न होना चाहिए। क्योंकि यह अनिवार्यता है और दृष्टि इस में हिंसा की नहीं है।

इसी तरह कृषि को भी हिंसक उद्योग नहीं कहा जा सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसे हिंसक कहने वाला भी भारी हिंसक है। अगर भोजन ग्रहण करनेवाला साधु हिंसक नहीं हो जाता तो उसे पैदा करनेवाला कैसे हिंसक बन जाय? सच बात तो यह है कि ज्यो-ज्यो आदमी के पास पैसा बढ़ता गया, श्रम और प्रामाणिकता उससे दूर होती गई और वह परिग्रह के पीछे पड़ गया, लो-ल्यो उसने अपनी मुविधा और रुचि के अनुसार हिंसा और अहिंसा की व्याख्याएँ रचकर अपने बढ़प्पन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया है।

व्यापार कोई हो और चाहे जैसा हो, उसकी अहिंसा केवल जीव-धातु न करने तक ही सीमित नहीं है। उस अहिंसा का क्या मूल्य जिस से अम नष्ट होता हो और जो राष्ट्र-निर्माण के लिए धातक हो? और असत्य

समाज और जीवन

११४

तथा परिग्रह को पुष्ट करनेवाली अहिंसा भी क्या हिंसा नहीं है ? वही व्यापार अहिंसक हो सकता है जिससे राष्ट्र की शक्ति बढ़ती है, मनुष्य के स्वावलम्बन का विकास होता है। केवल जीवों की हिंसा से बचानेवाली अहिंसा, अहिंसा नहीं बल्कि अहिंसा की विडम्बना है। और इस हष्टि से किया जानेवाला व्यापार, व्यापार नहीं बल्कि लूट है, अत्याचार है। *

* अहिंसा को हमें व्यापक अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। अहिंसा का अर्थ में तो ऐसा करता हूँ कि जो कर्म प्रमाद, वसावधानी और स्वार्थ के वशीभूत होकर किया जाता है और जिस कर्म से राष्ट्र का कोई हित नहीं होता, वह हिंसामय ही है—उस से जीवों का घात हो या न हो। आज तो हमारी अहिंसा हिंसा से बढ़ कर खतरनाक हो गई है। इस अहिंसा की विडम्बना पर क्या कभी रोक लगेगी ?

हमारे सुरुचि-पूर्ण प्रकाशन

व्यारे राजा बेटा (भाग १ और २)

दोनों पुस्तकों में संसार के २३ महापुरुषों की सरल, सुन्दर कहानियाँ हैं। अनेक पत्रों तथा विद्वानों और रोडियो स्टेशन द्वारा प्रशंसित। पुस्तक मध्यग्रांतीय हिन्दी साहित्य समेलन द्वारा पुरस्कृत।

मूल्य प्रत्येक भाग का ||=)

महावीर-बाणी (जैन गीता)

भ० महावीर के जीवनोपयोगी मंगल-सूत्रों का संकलन। पृष्ठ २५०; दो रंगा चित्र। मूल्य १॥।)

मणिभद्र—

त्याग, संघर्ष और प्रेम का महावीरकालीन उपन्यास। मूल्य १।)

बुद्ध और महावीर तथा दो भाषण—

आचार्य कि. घ. मशरूबाला की लेखनी से लिखा गया दोनों क्रातिकारी धर्म संस्थापकों का तुलनात्मक जीवन-परिचय। साथ में महावीर सम्बन्धी दो भाषण भी हैं। पृष्ठ १५०। मूल्य १।)

उज्ज्वल प्रवचन—

राष्ट्रीय महापुरुषों पर महासती उज्ज्वलकुमारीजी के धार्मिक प्रवचन। पृष्ठ ९०। मूल्य ||=)

भारत जैन महामण्डल, वर्धा

हमारे आगामी प्रकाशन

शीघ्र ही निकल रहे हैं

पहले मूल्य भेजकर ग्राहक बननेवालों को पैने मूल्य में

जीवन-जौहरी-स० जमनालालजी जैन व्यावसायिक और सामाजिक सफलता तथा निर्भीक व्यक्तित्व पर प्रकाश डालनवाली वह पुस्तक जिससे स्कूल और कालेजों से निकलने वाले तरुणों को व्यवसाय और उद्योग के क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रामाणिक मार्गदर्शन करेगी। जमनालालजी के जीवन की कुछ प्रभावात्मक घटनाएं और संस्मरण।

पृष्ठ १५०, मूल्य सजिल्ड १।।।)

तत्त्व समुच्चय-डॉ हीरालालजी जैन एम. ए. डी. लिट।

दिग्भर और खेताभर परम्परा के प्राचीन प्राकृत ग्रन्थों के आधार पर जैनधर्म और आचार का प्रामाणिक परिचय। गीता जैसे व्यवस्थित और सुंदर संकलन।

तत्त्वार्थ-सूत्र-प० सुखलालजी। यह महान् कृति जैनोंके सभी सम्प्रदायों में समान रूप से आदृत है। ऐतिहासिक तथा दार्शनिक समीक्षा से समन्वित यह टीका कई जगह पाठ्य-क्रम में है।

पृष्ठ लगभग ५००। मूल्य ४)

समाज और जीवन-संपादक जमनालाल जैन। इस में समाज और जीवन को स्पर्श करने वाले अनुभवी विद्वानों के विन्तन प्रचान लेखों का संग्रह है।

पृष्ठ १००। मूल्य १)

धर्म और संस्कृति-संपादक जमनालाल जैन। इस में धर्म और संस्कृति पर विभिन्न दृष्टिकोणों को लेकर हमारी समस्याओं को स्पर्श किया गया ह। यह भी लेखों का संग्रह है।

पृष्ठ १००। मूल्य १)

गीता प्रबन्धने-आचार्य विनोबा

श्रीमद्भगवद्गीतापर विनोबाजी के मार्मिक और गंभीर प्रबन्धनों का मराठी भाषाका संग्रह।

पृष्ठ लगभग २५०। मूल्य १।।)

भारत जैन महामण्डल, वर्धा

